सप्तम माला, 2 February 1980

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

First -session

(सातवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय सूची

अंक 10, शनिवार, 2 फरवरी, 1980/13 माघ, 1901 (शक)

विषय	पृष्ठ
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1
—श्री रामचन्द्र रथ	
विशेषाधिकार के प्रश्न	1—5
(एक) श्री जे० आर० डी० टाटा द्वारा संसद सदस्यों के विरुद्ध की गई अपमानजनक टिप्पणी	
(दो) विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा गृह मंत्री द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो के उपमहानिरीक्षक श्री के० एन० सिंह की कथित गिरफ्तारी के बारे में गलत सूचना।	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	5—21
सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	22
श्री जार्ज फर्नांडिस	
नियम 377 के अधीन मामले	23—25
(एक) अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह में सूखे की स्थिति	
—श्री मनोरंजन भक्त	
(दो) राजस्थान सरकार द्वारा बिजली में की गई कटौती के प्रभाव का मामला	
—श्री विरधी चन्द जैन	
(तीन) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या में प्रस्तावित कटौती का समाचार	
(चार) कोको के बीजों के मूल्य में कमी के कारण केरल के किसानों में व्याप्त गहरी चिन्ता	
—श्री पी० जे० कुरीयन	
(पांच) श्री समर मुखर्जी, संसद सदस्य के दिल्ली स्थित निवास-स्थान पर आये अतिथियों की आसूचना विभाग के कर्मचारियों द्वारा फोटो लेने का कथित मामला	
—श्री सोमनाथ चटर्जी	
विनियोग (रेल) विधेयक, 1980	25—27
विचार करने का प्रस्ताव	
—श्री कमलापति त्रिपाठी	

विषय | | पृष्ठ
खंड 2, 3 और 1
पारित करने का प्रस्ताव
चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय संबंधी सांविधिक संकल्प
अस्वीकृत तथा चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय विधेयक
विचार करने का प्रस्ताव : 27 109
श्री मगनभाई बारोट
श्री चन्द्रजीत यादव
श्री फ्रैंक अन्थनी
श्री ज्योतिर्मय बसु
श्री मनोरंजन भक्त
श्री ए० के० राय
श्री विजय कुमार यादव
श्री हरीश रावत
श्री सोमनाथ चटर्जी
श्री एन० वी० ई० सेल्वाराजू
श्रीमती प्रमिला दण्डवते
श्री सी० पी० एन० सिंह
श्री प्रणव मुखर्जी
श्री अटल बिहारी वाजपेयी
खंड 2 से 17 तथा 1
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में
श्री निरेन घोष
श्री प्रणव मुखर्जी
राज्य सभा से संदेश 110
बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक
राज्य सभा द्वारा संशोधन के साथ लौटाये गये रूप में
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक 110 121
विचार करने का प्रस्ताव
श्री पी० शिवशंकर
श्री आनन्द पाठक
श्री नगागोम महेन्द्र
खंड 2 से 5 तथा 1
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में
श्री पी० शिवशंकर
श्री पी० एम० शुभा

विषय	पृष्ठ
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक	121
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री आर० वेंकटारमन	
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	
श्री सतीश अग्रवाल	
श्री टी० आर शमन्ना	
खंड 2 से 6 और 1	
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	
—श्री आर० वेंकटारमन	
आसाम राज्य के संबंध में जारी की गई उद्घोषणा के संबंध में सांविधिक	133
संकल्प-स्वीकृत ।	
श्री पी० वेंकटसुब्बया	
श्री समर मुखर्जी	
श्रीमती गीता मुखर्जी	
श्री संतोष मोहन देव	
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	
श्री चन्द्रजीत यादव	
बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक	148
राज्य सभा द्वारा किये गए संशोधन पर विचार करने का	
प्रस्ताव-स्वीकृत हुआ ।	

लोक सभा

शनिवार, 2 फरवरी, 1980/13 माघ, 1901 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्री राम चन्द्र रथ (आसका)

विशेषाधिकार के प्रश्न

(एक) श्री जे० आर० डी० टाटा द्वारा संसद सदस्यों के विरुद्ध की गई अपमानजनक टिप्पणी

अध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु, संसद सदस्य ने एयर इण्डिया के भूतपूर्व चेयरमैन श्री जे० आर० डी० टाटा द्वारा संसद सदस्यों, सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति (छठी लोक सभा) के सदस्यों तथा उसके सभापति के विरुद्ध 28 मई, 1979 को समाचार पत्रों को दिए गए एक वक्तव्य में उनके द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणियों के बारे में श्री टाटा के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना दी है ।

यह सूचना गत लोक सभा के दौरान आई थी और तत्कालीन अध्यक्ष ने नियम 222 के अन्तर्गत अपनी अनुमति दी थी और तत्पश्चात सभा के एक प्रस्ताव पर यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया था । विशेषाधिकार समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने से पहले ही लोक सभा भंग हो गई । चूंकि श्री ज्योतिर्मय वसु जिन्होंने 1979 में मामला पेश किया था, इस पर पुनः जोर दे रहे हैं, इसलिए नियम 222 के अन्तर्गत मैं इसकी अनुमति देता हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : धन्यवाद । मैं आपका आभारी हूं । श्री पीटर महाता, अमेरिका और कनाडा के लिए एयर इण्डिया के क्षेत्रीय निदेशक के बारे में भी मैंने आपको लिखा है और मेरे पास मूल दस्तावेज हैं······

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने क्षमा मांगी है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री जे० आर० डी० टाटा के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग करने का प्रस्ताव विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि श्री जे० आर० डी० टाटा के विरुद्ध विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एन० जी० रंगा (गुंटूर) : महोदय, चाहे यह श्री जे० आर० डी० टाटा हों या कोई और, इस मामले में आपके द्वारा अनुमति दिए जाने से पहले हमें भी कुछ कहने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि यह एक बड़ा गम्भीर मामला है। पिछली संसद में इसी तरह की घटनायें हुई थीं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप किस नियम के अन्तर्गत इसका उल्लेख कर रहे हैं ?

श्री एन० जी० रंगा : आपने इस प्रस्ताव पर अपनी अनुमति दी है .....

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह जानना चाहिए कि आप किस नियम के अन्तर्गत इस मामले का उल्लेख कर रहे हैं।

श्री एन० जी० रंगा : यह नियम का प्रश्न नहीं है। यह वह मामला है जो अब सभा के समक्ष है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपनी अनुमति दे दी है।

(दो) विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा गृह मंत्री द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो के उपमहानिरीक्षक श्री एन० के० सिंह की कथित गिरफ्तारी के बारे में गलत सूचना दी।

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि मैंने सभा में पहले बताया है, कुछ सदस्यों द्वारा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा गृह मंत्री के विरुद्ध उनके द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो के उपमहानिरीक्षक श्री एन० के० सिंह की गिरफ्तारी के बारे में सभा को 29 जनवरी, 1980 को कथित गलत सूचना देने के बारे में दी गयीं विशेषाधिकार प्रश्न की सूचनायें मैंने सम्बन्धित मंत्रियों को मेरे पास तथ्यपूर्ण टिप्पणी भेजने के लिए सौंप दी थीं जिससे मैं उस पर विचार कर सकूं। श्री मधु दंडवते द्वारा इस मामले से सम्बन्धित हरियाणा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार प्रश्न की एक सूचना भी मैंने गृह मंत्री के पास भेज दी थी।

मुझे विधि, न्याय और कम्पनीकार्य मंत्री तथा गृह मंत्री से तथ्यपूर्ण टिप्पणी मिल गयी है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय ने अपने तथ्यपूर्ण टिप्पणी में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया है :—

"......सभा की कार्यवाही की मंत्री को असंशोधित रिपोर्ट के निम्नलिखित उद्धरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो कि श्री एन० के० सिंह की कथित गिरफ्तारी के सम्बन्ध में संगत ही प्रतीत होगा।

'मैं यह कहता चाहता हूं कि मेरे साथी, माननीय गृहमंत्री की जानकारी के आधार पर यह महाशय गिरफ्तार नहीं किये गए हैं।'

जैसा कि मंत्री के वक्तव्य से स्पष्ट है, यह बात उसी समय मंत्रिमंडल स्तर के साथी द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर सभा में उन्होंने कही थी।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मंत्री महोदय ने जो कुछ किया है वह तो उनके द्वारा एक साथी से उन्हें प्राप्त जानकारी की सूचना देना मात्र है।"

गृह मंत्री ने अपने तथ्यपूर्ण टिप्पण में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा है :—

"मैंने विधि मंत्री को जो जानकारी दी थी वह हरियाणा सरकार से टेलिफोन पर प्राप्त जानकारी पर आधारित थी। 29 जनवरी को मुझे हरियाणा के मुख्यमंत्री से, जो उस दिन नई दिल्ली में थे, एक अर्ध सरकारी पत्र मिला था... ... इसके बाद हरियाणा सरकार के गृह सचिव से 31 जनवारी की शाम को एक बेतार संदेश मिला था... इससे यह पता चलेगा कि हरियाणा सरकार द्वारा भेजी गई जानकारी यह थी कि श्री एन० के० सिंह कीं गिरफ्तारी नहीं हुई है। अतः मैंने जो जानकारी दी थी वह हरियाणा सरकार द्वारा भेजी गई जानकारी पर आधारित थी।

मेरे पूर्वाधिकारी माननीय डा० गुरदयाल सिंह ढिल्लों ने 2 दिसम्बर, 1974 को इसी के तरह एक मामले में सभा में विनिर्णय दिया था : —

"विशेषाधिकार के भंग होने या सभा का अपमान होने के लिए यह सिद्ध करना होगा कि वक्तव्य गलत था गुमराह करने वाला ही नहीं था अपितु सभा को गुमराह करने के लिए यह जानबूझ कर दिया गया था। इस सम्बन्ध में मैं तत्कालीन अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह द्वारा 18 अप्रैल, 1966 को दिए गए एक विनिर्णय का उल्लेख करता हूं। विनिर्णय इस प्रकार था।

"यदि कोई भूल हुई है या वक्तव्य सही नहीं है तो किसी विशेषाधिकार प्रस्ताव का तब तक कोई प्रश्न नहीं है जब तक यह सिद्ध न हो जाये कि सही स्थिति को जानते हुए जान बूझकर एक गलत वक्तव्य दिया गया है।"

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय द्वारा बताई गयी वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा गृह मंत्री द्वारा सभा को जान-बूझकर गलत जानकारी नहीं दी गई थी।

जहां तक हरियाणा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध श्री मधु दंडवते के विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना का सम्बन्ध है, मुझे हरियाणा के मुख्य मंत्री से एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया है :

"यह सत्य है कि मैंने 31 जनवरी, 1980 को अपने निवास स्थान पर एक प्रेस सम्मेलन बुलाया था। लगभग 1½ दर्जन प्रेस संवाददाता तथा इंडियन एक्सप्रेस के प्रतिनिधि उपस्थित थे। यह सत्य है कि मुझ से एन० के० सिंह के मामले के बारे में कुछ प्रश्न पूछे गए थे और इंडियन एक्सप्रेस के अलावा अनेक समाचार पत्रों तथा····

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) संसद की विश्वसनीयता समाप्त हो जायगी।

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है।

"हिन्दुस्तान टाइम्स, दि स्टेटसमैन, पैट्रियट और ट्रिब्यून ने मेरे उत्तर का सारांश प्रकाशित किया है। मैंने एक संवाददाता के प्रश्न का उत्तर देते हुए केवल वह कहा था कि मेरे कहने के मुताविक सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे श्री एन० के० सिंह के विरुद्ध शिकायत पर कोई कार्यवाही करने से पहले संसद के स्थगन की प्रतीक्षा करें। मेरे उत्तर से संसद का कोई असम्मान नहीं हुआ है··· ··· अंत में मैं आपको और आपके माध्यम से संसद के माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं संसद का बड़ा सम्मान करता हूं और इस देश की कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था को बड़ा महत्व देता हूं।"

अतः मैं नियम 222 के अंतर्गत विशेषाधिकार के प्रस्ताव के रूप में मामला उठाये जाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं।

(व्यवधान)

श्री सिंह, यह मेरा काम है। आप हमेशा उत्तरदायित्व संभालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं?

मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है। इस विनिर्णय के वाद व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आपने मुझ से पूछा था कि व्यवस्था का प्रश्न किस विषय से सम्बन्धित है?

अध्यक्ष महोदय : किस विषय से संबँधित है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने जे० आर० डी० टाटा के मामले के बारे में विचार व्यक्त किया कि आप इसे विशेषाधिकार समिति को भेजने जा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : वह किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं?

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 223 के अन्तर्गत।

श्री पीटर महाता, क्षेत्रीय निदेशक, एयर इंडिया, अमरीका और कनाडा ने एक लम्बा पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने क्षमा मांगी है। परन्तु उन्होंने बिना शर्त क्षमा नहीं मांगी है।

उन्होंने एक लम्बा पत्र दिया है जो लगभग दो महीने पहले आपको दिया गया था और आपने विचार व्यक्त किया है कि विशेषाधिकार प्रस्ताव अभी भी आपके पास है। कृपया, आप···

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : यह सभा के समक्ष नहीं है। आपने इसे विशेषाधिकार समिति को भेजा है। यह सभा के समक्ष नहीं है। वह अब इसे नहीं उठा सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप मुझे लिख सकते हैं। श्री बसु, आप व्यर्थ में सभा का समय ले रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, आप अध्यक्ष से भी बढ़कर हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर समुचित रूप से विचार किया है। यह आपका विशेषाधिकार प्रस्ताव है, मेरा नहीं। आप पुनः कोशिश कर रहे हैं···(व्यवधान)।

श्री भागवत झा आजाद : महोदय, वह पीठासीन अधिकारी पर छीटाकशी कर रहे हैं। उन्हें इसको वापस लेना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है। इस पर आपत्ति नहीं उठायी जा सकती।

श्री संजय गांधी (अमेठी) : उन्हें सदन को इस प्रकार बाध्य नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री सी० पी० एन० सिंह (पडरौना) : सदन में इस प्रकार की धमकी नहीं दी जा सकती।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके पास उत्तर भेज दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं उत्तर देख लूंगा। उत्तर में उन्होंने सशर्त माफी मांगी है और वह यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने अपना कर्त्तव्य पूरा कर दिया है··

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर पत्र रखे जायें। श्री बी० शंकरानंद।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

विभिन्न शैक्षिक तथा प्रशिक्षण संस्थाओं के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा तथा विलंब के कारणों को बताने वाले विवरणों सहित लेखा परीक्षित लेखे

शिक्षा और स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री

(श्री बी० शंकरानन्द) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, कालीकट के वर्ष 1977-78 के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब तथा उनका हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 245/80)

(2) (एक) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, श्रीनगर के वर्ष 1977-78 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 246/80)

(3) (एक) सरदार वल्लभ भाई प्रादेशिक इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी कालेज, सूरत के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण)** की एक प्रति लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी संस्करण) (ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 247/80)

(4) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) संस्थान के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण सम्बन्धी समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(तीन) विलम्ब तथा संस्थान के लेखे सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एव विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 248/80)

(5) (एक) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के बार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) न्यास के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । (ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 249/80)

(तीन) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(चार) (एक) वर्ष 1977-78 के लेखापरीक्षित लेखे सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब और (दो) वर्ष 1978-79 के लेखापरीक्षित लेखे सभा पटल पर न रखे जाने के

**प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण 18 मई, 1979 को सभा पटल पर रखा गया था ।

कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 250/80)

(6) (एक) विश्वऐश्वर्य प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, नागपुर के वर्ष 1977-78 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 251/80)

(7) (एक) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, दुर्गापुर के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) कालेज के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(तीन) वार्षिक प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब तथा उसका हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (ग्रंथालय में रखे गये। देखिए एल० टी० 252/80)

(8) (एक) केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन, संस्थान, सारनाथ के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) संस्थान के वार्षिक लेखे सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 253/80)

(9) (एक) केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषाएं संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) संस्थान के कार्यकरण की समीक्षा सम्बन्धी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(10) केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषाएं संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1978-79 के प्रमाणित लेखे

(11) लेखे का हिन्दी संस्करण साथ साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 254/80)

(12) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा सम्बन्धी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 255/80)

(13) मोलाना आजाद प्रौद्योगिकी कालेज, भोपाल के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 256/80)

(14) दिल्ली पुस्तकालय बोर्ड के वर्ष 1978-79 के लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 257/80)

(15) (एक) नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। (ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 258/80)

(16) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) लाइब्रेरी के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। (ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 259/80)

(17) (एक) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) लाइब्रेरी के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(तीन) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित दस्तावेज को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब को बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 260/80)

(18) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (उत्तरी क्षेत्र) चण्डीगढ़ के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) संस्थान के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। (ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 261/80)

(19) भारतीय प्रबन्ध संस्थान कलकत्ता के वर्ष 1977-78 के लेखे के लेखापरीक्षित विवरण की एक प्रति। (ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 262/80)

(20) (एक) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, सिल्चर के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन *(हिन्दी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभापटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 263/80)

(21) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) संस्थान के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 264/80)

(22) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) संस्थान के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। (ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 265/80)

(23) (एक) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक पति।

(दो) अकादमी के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 266/80)

(24) (एक) स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्किट्रैक्चर, नई दिल्ली, के वर्ष 1977-78 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 267/80)

(25) (एक) संगीत नाटक अकादमी के वर्ष 1977-78 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) अकादमी के लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति।

(तीन) लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 268/80)

(26) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन, कलकत्ता के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखाओं का विवरण।

---

*प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण 7 मई, 1979 को सभा पटल पर रखा गया था।

(दो) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा की एक प्रति। ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 269/80)

(27) (एक) राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद संस्थानों की समिति पटियाला के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) संस्थानों के कार्यकरण की समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 270/80)

(28) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अधिनियम 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1978-79 के लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) लेखे सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब और उसका हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 271/80)

(29) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखे लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीने की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 272/80)

(30) बौद्ध दर्शन विद्यालय, लेह के वर्ष 1978-79 का प्रतिवेदन तथा लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीने की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 273/80)

(31) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीने की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 274/80)

(32) (एक) मालविया प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, जयपुर के वर्ष, 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन, की एक प्रति।

(दो) कालेज के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(तीन) कालेज के प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण (ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 275/80)

(33) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजक तथा स्टाफ कालेज नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) कालेज के कार्यकरण की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी. 276/80)

(34) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, तिरुचिरापल्ली कालीकट और जयपुर के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीने की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी. 277/80)

(35) (एक) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, कालीकट के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(दो) कालेज के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(तीन) प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी. 278/80)

(36) (एक) राष्ट्रीय फाउण्डरी एण्ड फोर्ज संस्थान, रांची के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) संस्थान के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(तीन) संस्थान के लेखे सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । (ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी. 279/80)

(37) (एक) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) कालेज के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(तीन) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, तिरुचिरापल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । (ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी. 280/80)

(38) (एक) भारतीय बालभवन सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दीं तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे ।

(दो) सोसाइटी के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । (ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी. 281/80)

(39) (एक) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) अकादमी के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(तीन) लेखा परीक्षित लेखे सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 282/80)

(40) (एक) केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(तीन) वार्षिक प्रतिवेदन सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब तथा लेखा परीक्षित लेखे सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 283/80)

(41) (एक) राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संस्थान के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। (ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 284/80)

(42) भारतीय संस्थान, बम्बई के वर्ष 1977-78 के लेखे हिन्दी में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 285/80)

(43) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षित लेखे, लेखे वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीने की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 285 क/80)

(44) (एक) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) संस्थान के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। (ग्रंथालत में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी 286/80)

(45) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रति-वेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) संस्थान के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(तीन) संस्थान के वर्ष 1978-79 के लेखा परीक्षित लेखे सभा पटल पर

न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 287/80)

(46) (एक) भारतीय प्रबन्ध संस्थान बंगलौर के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) संस्थान के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। (ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 288/80)

(47) (एक) तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, अदियार, मद्रास के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) संस्थान के कार्यकरण की समीक्षा (हिण्दी तथा अंग्रेगी संस्करण) की एक प्रति।

(तीन) प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभापटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 289/80)

(48) (एक) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1976-77 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) उपरोक्त लेखे सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 290/80)

(49) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, विश्व भारती और हैदराबाद विश्वविद्यालय के विवरण में प्रत्येक के सामने दिखाये गये वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 291/80)

(50) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

एक (1) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। (ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 292/80)

(51) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीने की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 293/80)

(52) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखे और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीने की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रंथालय में रखा गया। दे.खिए संख्या एल० टी० 294/80)

(53) (एक) विश्वभारती के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) विश्वभारती के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा की एक प्रति।

(तीन) प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जान के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 295/80)

(54) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के वर्ष 1977-78 और 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीने की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जान के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 296/80)

(55) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीने की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बतान वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल० टी० 297/80)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री बसु जी, कृपया सपनी सीट पर बैठिये। इसके बारे में आप चैम्बर में मेरे से बात कर सकते हैं। श्री ए. पी. शर्मा।

(व्यवधान)

दिल्ली परिवहन निगम के वर्ष 1976-77 के प्रमाणित लेखे और समीक्षा तथा बिलम्ब के कारण बताने वाला विवरण तथा केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि०, कलकत्ता के वर्ष 1978-79 की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन।

संसदीय कार्य तथा संचार मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) :—श्री ए० पी० शर्मा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली परिवहन निगम के वर्ष 1976-77 के प्रमाणित लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) दिल्ली परिवहन निगम के वर्ष 1976-77 के लेखाओं की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(तीन) लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 298/80)

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां (ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 299/80)

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर-पश्चिम) मेरे नोटिस का क्या बना ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इन सब को निपटा चुका हूं।

(व्यवधान)

श्री राम जेठ मलानी : मैंने 30 जनवरी को आपको नोटिस भेजा था। उसका क्या हुआ ?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था कायम रखें। मैं आपकी बात भी सुनूंगा। श्री गांधी, पहले आप मुझे उनकी बात सुन लेने दें। मैं आपको भी अपनी बात कहने का मौका दूंगा।

श्री संजय गांधी : (अमेठी) उनके बोलने के बारे में ही मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर सभी एक साथ बोलेंगे तो मैं कुछ भी नहीं सुन पाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री संजय गांधी : महोदय नियम 350 देखें। यह एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब कोई सदस्य बोलना चाहता है तो उसका नाम अध्यक्ष द्वारा पुकारा जाएगा। तो आपने अध्यक्ष के नाते माननीय मंत्री को बोलने के लिए कहा। और फिर अगर एक से अधिक सदस्य एक साथ खड़े हो जाते हैं तो उसी सदस्य को बोलने का अधिकार होगा जिसका नाम पुकारा गया है।

केवल मंत्री महोदय का नाम पुकारा गया था और वही बोल सकते हैं न कि श्री जेठ मलानी।

(व्यवधान)

श्री राम जेठमलानी : अध्यक्ष महोदय, आपने तीन बार मुझे बोलने को कहा····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। अपना विनिर्णय दूंगा आप बैठ जाइए। जब कोई सदस्य कोई मुद्दा उठाता है तो वह किन्हीं नियमों के अन्तर्गत उठाता है। अगर जिस नियम का वह हवाला देता है वह ठीक है तो मैं उसे और व्याख्या करने को कहूंगा। अगर मैं उसे नहीं मानता तो वह नहीं बोलेगा। यही प्रक्रिया है। मैं नियमों का हवाला देने का प्रत्येक सदस्य को मौका दूंगा।

डा० बसन्त कुमार पण्डित (राजगढ़) : यह कैसा नियम है ?

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। यदि आप जैसे सम्मानित सदस्य ऐसा व्यवहार करेंगे···(व्यवधान) मैं एक-एक कर पुकारूंगा और इस पुस्तक के अनुसार अपना फैसला दूंगा। श्री जेठ मलानी ! आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री राम जेठ मलानी : महोदय, मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि 30 जनवरी, 1980 को मैंने जो लिखित नोटिस दिया था उसका क्या हुआ।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे फैसले में आ जाता है।

श्रीराम जेठ मलानी : मैं नियम 225 का हवाला दे रहा हूं।

परन्तु यह कि जिस मामले में अध्यक्ष ने नियम 222 के अन्तर्गत अपनी अनुमति नहीं दी है···मैं समझता हूं कि आपने नियम 222 के अन्तर्गत अनुमति नहीं दी है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री राम जेठ मलानी : परन्तु क में कहा गया है :

"परन्तु जब अध्यक्ष ने नियम 222 के अन्तर्गत अपनी सम्मति देने से इनकार कर दिया हो या उसकी राय हो कि चर्चा के लिए प्रस्तावित विषय नियमानुकूल नहीं है तो, यदि वह आवश्यक समझे, उस विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना पढ़ कर सुना सकेगा···" और यह कह सकेगा कि सूचना नियमानुकूल नहीं हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उस नोटिस को पढ़ने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे नहीं मानता।

श्री राम जेठ मलानी : यह मेरा अधिकार है कि मैं आपसे अनुरोध करूं।

अध्यक्ष महोदय : यह जरूरी नहीं है।

श्री राम जेठ मलानी : यह संसदीय प्रक्रिया है।

अध्यक्ष महोदय : अब बहस की जरूरत नहीं है।

श्री राम जेठ मलानी : पर आप उन भद्रपुरुषों को बताएं जो नियमों से अनभिज्ञ हैं।

(व्यवधान)

श्री राम चन्द्र रथ : (आसंका) महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । अगर माननीय सदस्य अध्यक्ष पर आरोप लगाते हैं तो यह सभा की तौहीन है । उन्हें आपसे और सभा से क्षमा मांगनी चाहिए । (**व्यवधान**) आप उन्हें चेतावनी दें और खींचें । कम से कम इतना तो शिष्टाचार अवश्य बरता जाना चाहिए ।

श्री सी. पी. एन. सिंह (पडरौना) : अध्यक्ष महोदय (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके सबकी बात सुनूंगा । आप किस नियम की बात कर रहे हैं ?

श्री सी. पी· एन. सिंह : वे इस ढंग से वात नहीं कर सकते । इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मलित नहीं किया जाना चाहिये । इन्होंने कहा कि अन्य सदस्य··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतान्त देखूंगा ।

श्री सी. पी. एन. सिंह : आप इन्हें कहिये ।

श्री राम चन्द्र रथ : मेरा अनुरोध है कि—

अध्यक्ष महोदय : आपको अनुमति नही है मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न किया जाये ।*

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतान्त देखूंगा । यदि कोई बात पीठासीन अध्यक्ष पीठ के लिये अपमानजनक हो तो हम इस पर विचार करेंगे ।

अब सभा पटल पर पत्र रखे जायें । श्री ए. पी. शर्मा ।

लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान सरकार द्वारा दिए गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों आदि पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही बताने वाले विवरण

संसदीय कार्य तथा संचार मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मन्त्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विवरण संख्या 23—नवां सत्र, 1973 पांचवीं लोक सभा
(2) विवरण संख्या 17—दूसरा सत्र, 1977
(3) विवरण संख्या 18 दूसरा सत्र, 1977
(4) विवरण संख्या 12—तीसरा सत्र, 1977
(5) विवरण संख्या 13—तीसरा सत्र, 1977
(6) विवरण संख्या 15—चौथा सत्र, 1978

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(7) विवरण संख्या 16—चौथा सत्र, 1978
(8) विवरण संख्या 9—पांचवां सत्र, 1978
(9) विवरण संख्या 10—पांचवां सत्र, 1978
(10) विवरण संख्या 6—छठा सत्र, 1978
(11) विवरण संख्या 7—छठा सत्र, 1978 छठी लोक सभा
(12) विवरण संख्या 8—छठा सत्र, 1978
(13) विवरण संख्या 4—सातवां सत्र, 1979
(14) विवरण संख्या 5—सातवां सत्र, 1979
(15) विवरण संख्या 6 सातवां सत्र, 1979
(16) विवरण संख्या 7—सातवां सत्र, 1979
(17) विवरण संख्या 8—सातवां सत्र, 1979
(18) विवरण संख्या 9—सातवां सत्र, 1979
(19) विवरण संख्या 10—सातवां सत्र, 1979
(20) विवरण संख्या 11—सातवां सत्र, 1979
(21) विवरण संख्या 1—आठवां सत्र, 1979
(22) विवरण संख्या 2—आठवां सत्र. 1979

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल. टी. 300/80]

भारतीय राज्य फार्म निगम का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर. वेंकटारामन) : मैं श्री वीरेन्द्र सिंह राव की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 301/80]

हिन्दुस्तान आटो फिल्म्स, इन्दु नगर (तमिलनाडु), हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, नेशनल न्यूज प्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड नेपा नगर, हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा, विलम्ब का कारण बताने वाले वे विवरण, नारियल जटा बोर्ड का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर कलकत्ता का वर्ष

1978-79 **का वार्षिक प्रतिवेदन ।**

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री श्रार० वेंकटारामन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) हिन्दुस्तान आटो फिल्म्स, इन्दु नगर (तमिलनाडु) के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स, इन्दु नगर (तमिलनाडु) का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी. 302/80]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । (ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 303/80)

(ग) (एक) नेशनल न्यूजप्रिन्ट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपानगर के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) नेशनल न्यूजप्रिन्ट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपानगर का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । (ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 304/80)

(घ) (एक) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । (ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 305/80)

(2) उपर्युक्त मद (1) के (क) और (ख) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । (ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये एल. टी. 306/80)

(3) (एक) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत नारियल जटा बोर्ड के कार्यकलापों तथा नारियल जटा उद्योग अधिनियम,

1953 के कार्यकरण सम्बन्धी वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) नारियल जटा बोर्ड के कार्यकरण की समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 307/80)

(4) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति : —

(एक) मैसर्स इण्डिया बैल्टिंग एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड, सीरमपुर के प्रबन्ध ग्रहण की अवधि का विस्तार करने के बारे में सां० आ० 512 (ङ) जो दिनांक 4 सितम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) मैसर्स इण्डियन रबड़ मैन्यूफैक्चरर्स, कलकत्ता के प्रबन्ध ग्रहण की अवधि का विस्तार करने के बारे में सां० आ० 520 (ङ) जो दिनांक 7 सितम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 308/80)

(5) सेन्ट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, कलकत्ता के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण)* की एक प्रति। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 309/80)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पहला संशोधन) नियम, 1980, न्यू इंडिया इंशोयोरेंस कम्पनी लिमिटेड बम्बई का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा, नेशनल इंशोयेरेंस कम्पनी कलकत्ता का वर्ष 1978 का वार्षिक प्रतिवेदन और रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर वेंकटारामन) : मैं श्री जगन्नाथ पहाड़िया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं : —

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पहला संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 26 जनवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 110 में प्रकाशित हुए थे। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 310/80)

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, बम्बई के 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, बम्बई का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। (ग्रंथालय में रखा गया देखिये। संख्या एल. टी. 311/80)

(ख) (एक) नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का 31 दिसम्बर 1978 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिये एल. टी. 312/80)।

(3) ओरियंटल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली का 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 313/80)

(4) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जिसमें स्थानीय बोर्डों के निदेशकों तथा सदस्यों के पारिश्रमिक के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक (सामान्य) विनियमों के विनियम 24(1) और 24(2) के संशोधन दिये गये हैं। (ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 314/80)

मारुति मामलों सम्बन्धी जांच आयोग का प्रतिवेदन और तत्सम्बन्धी के विवरण

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत मारुति मामलों संबंधी जांच आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति तथा परिशिष्ट।

(2) मारुति मामलों संबंधी जांच आयोग के प्रतिवेदन के साथ-साथ की गई कार्यवाही का ज्ञापन सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा संस्करण)।

(3) प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर रखे न जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में एक गया। देखिये संख्या एल. टी. 315/80]

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : महोदय यह संख्या 2 और 13 में उल्लिखित

वार्षिक प्रतिवेदन 1977-78 से सम्बन्धित है। हम यह जानता चाहते हैं कि इसमें इतना असाधारण बिलम्ब क्यों हुआ ? फिर मद 3, उपमद 1 और 2 को देखें जो पृष्ठ 107 पर हैं······

अध्यक्ष महोदय : जैसा मैंने कहा, आप सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों सम्बन्धी समिति को लिखें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मद संख्या 5, पृष्ठ 108 पर आप देखेंगे कि वह 1977-78 सम्बन्धी समीक्षा है।

अध्यक्ष महोदय : इसे भी उक्त समिति के साथ उठाना होगा। नियम 305 ग के अन्तर्गत यदि कोई सदस्य नियम 305 ख के उपनियम (1) के अधीन कोई मामला उठाना चाहता है तो उसे समिति को लिखना होगा। इस सभा में वह मामला नहीं उठाया जाएगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अगर आप सभा को इस तरह विघटित होने देंगे तो हम कैसे काम कर पायेंगे।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाए।

———

सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री जार्ज फर्नांडिस (मुजफ्फरपुर) : महोदय, 29 फरवरी, 1980 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए एक माननीय सदस्य श्री के० के० तिवारी ने मेरे विरुद्ध अनेक आरोप लगाने का प्रयास किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके द्वारा लगाए गए आरोप न केवल झूंठे हैं अपितु उनसे मुझफ्फरपुर के उन लोगों की भी तौहीन हुई है जिन्होंने मुझे जिताया है। यह लोक दल, कांग्रेस (अ), सी. पी. आई. (एम), सी. पी. आई एस. यू. सी. आई. के और किसी भी दल से असम्बद्ध कार्यकताओं की बेइज्जती है जिन्होंने मुझे जिताने के लिए कठिन परिश्रम किया।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाए। तिवारी जी आपको बोलने की अनुमति नहीं दी गई है।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में सूखे की स्थिति

श्री मनोरंजन भक्त (अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह) : श्रीमान, इस वर्ष वर्षा की कमी के कारण समूचे अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में सूखे की स्थिति व्याप्त है। सरकार ने इसे सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। पीने के पानी की समस्या बहुत ही विकट है : दक्षिण, उत्तर और मध्य अन्दमान में गांव वालों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। काम के बदले अनाज योजना को व्यापक ढंग से लागू करना होगा। लोक निर्माण विभाग ने जो काम आरम्भ किया है वह पर्याप्त नहीं है। इन गांव वालों को काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत शीघ्र काम देने की जरूरत है।

मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह अन्दमान में यथाशीघ्र ग्रामीण विकास विभाग खोलें और जरूरी स्टाफ नियुक्त करें जिससे काम के बदले अनाज कार्यक्रम तेजी से अमल में लाया जा सके और लोगों को भूख से मरने से बचाया जा सके।

(दो) राजस्थान सरकार द्वारा की गई बिजली में कटौती के प्रभाव का मामला

श्री विरधी चन्द जैन (बाड़मेर) : राजस्थान सरकार द्वारा भाखरा, व्यास, भटिंडा आदि स्रोतों द्वारा बहुत कम बिजली मिलने से और अणु बिजली घर कोटा के बन्द होने से 10 पर सेन्ट से 75 पर सेन्ट की बिजली के कटौती के कारण औद्योगिक कारखानों, रोक फोसफेट संयंत्र, नागरिक हवाई अड्डे, अस्पताल डाक, तार, दवा आदि संस्थाओं में बुरा प्रभाव पड़ा है और कृषि उत्पादन भयंकर रूप से प्रभावित हुआ है और रेगिस्तानी क्षेत्रों में नगरीय एवं ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के ठप्प पड़ने से पानी नहीं मिलने से हाहाकार फैला हुआ है। ऊर्जा विभाग युद्ध स्तर पर ठोस कार्यवाई करके उपरोक्त वर्णित समस्या को हल करने में सहयोग दे।

(तीन) केन्द्रीय सरकर के कर्मचारियों की संख्या में प्रस्तावित कटौती का समाचार

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को कर्मचारियों की वर्तमान संख्या में कम से कम 12 प्रतिशत कटौती करने के लिए कहा है जिससे गैर-विकास सम्बन्धी व्यय में कटौती की जाये। यह वक्तव्य न केवल इस अनुचित धारणा पर आधारित है कि केन्द्रीय सेवाओं में कर्मचारियों की संख्या अधिक है किन्तु इससे कर्मचारियों की मनमानी छंटनी की तथा नई भर्ती पर प्रतिबन्ध की गम्भीर आशंका है। साथ ही कर्मचारियों की संख्या में प्रस्तावित कमी से गैर विकास सम्बन्धी व्यय पर अन्य अधिक मूल आर्थिक उपायों की अनुपस्थिति में बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। सरकार को केन्दीय सरकार के कर्मचारियों के संगठनों से उनके रोजगार पर प्रभाव डालने वाले किसी कदम को उठाने से पहले उनसे सलाह लेनी चाहिए।

(चार) कोको के बीजों के मूल्य में कमी के कारण केरल के किसानों में व्याप्त गहरी चिन्ता

श्री पी० जे० कुरीयन (मावेलीकारा) : महोदय, कोको के बीजों के मूल्य में भारी गिरावट के कारण कोको का उत्पादत करने वाले पांच लाख से अधिक किसानों, विशेष रूप से केरल के किसानों को गम्भीर चिन्ता और कठिनाई हो रही है। गत दशक में भारत सरकार के प्रयत्नों और प्रोत्साहन से विशेषरूप से केरल सरकार के आन्दोलन के कारण कोको की खेती अच्छी रही है। कोको विदेशों से आयात किया जाता था जिससे विदेशी मुद्रा में भारी व्यय होता था। किन्तु हाल ही में केरल और कर्नाटक के किसानों के कठिन परिश्रम के कारण इसकी अच्खी फसल हो रही है और इससे काफी लाभ एवं प्रोत्साहन मिल रहा है। गत एक-एक दशक में 5 लाख से अधिक किसानों ने कोको की खेती के कठिन काम को आरम्भ किया है किन्तु जब उन्हें इसमें सफलता मिलने लगी तो इसकी कीमतों में गिरावट आने से उन्हें अकथनीय कठिनाइयां होने लगी। भारत सरकार और कृषि मंत्रालय को इस स्थिति से बचने के लिए बड़े उपाय करने हैं। वर्तमान मूल्य न केवल अलाभप्रद हैं और इससे उन्हें घाटा ही होता है किन्तु आगे वे इसकी खेती करना भी बंद कर देंगे। देश को वाध्य होकर इसका आयात करना पड़ेगा जिससे राष्ट्रीय राजकोष को हानि होगी और विदेशी मुद्रा के साधनों की कमी हो जायेगी। क्या मैं कृषि मंत्री से निवेदन करूँ कि वे सभा में इस स्थिति से बचाव के लिए उनसे तत्काल उठाये जाने वाले कदमों और केरल तथा कर्नाटक और समस्त देश में पांच लाख से अधिक किसानों की सहायता के बारे में एक वक्तव्य दें।

(पांच) श्री समर मुखर्जी संसद-सदस्य के दिल्ली स्थित निवास स्थान पर आये अतिथियों की आसूचना विभाग के कर्मचारियों द्वारा फोटो लेने का कथित मामला।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादव पुर) : महोदय, 31 जनवरी, 1980 को लगभग 1 बजे तीन व्यक्ति संसद में भारतीय साम्यवादी दल (मा०) के नेता श्री समर मुखर्जी के 4, अशोक रोड स्थित निवास स्थान तथा भारतीय साम्यवादी दल (मा०) के केन्द्रीय समिति के कार्यायय में आने-जाने वालों के फोटो ले रहे थे। जब उन्होंने दो आने वालों के फोटो लिए जो 4, अशोक रोड आये थे तो आने वालों ने इस तीनों व्यक्तियों को पकड़ कर उन्हें पुलिस को सौंपने का प्रयत्न किया किन्तु दो व्यक्ति कैमरा लेकर भाग गये और तीसरा व्यक्ति जिसने फोटो लिया था, आने वालों तथा वहां से गुजरने वालों द्वारा पकड़ा गया और उसे पुलिस को सौंप दिया गया। नियन्त्रण कक्ष के एक पुलिस अधिकारी श्री ए. जे. एस. साही उस व्यक्ति को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ले गये। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस स्टेशन में इस व्यक्ति के विरुद्ध जिसे रंगे हाथों पकड़ा गया कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया और यह प्रयत्न किया जा रहा है कि सारे मामले को दवाया जाये। यह बहुत ही गम्भीर मामला है जिससे संसद सदस्यों तथा बिरोधी दलों के काम करने के बारे में बड़ी चिन्ता है अतः मैं गृह मन्त्री से निवेदन करता हूं कि इस बारे में वक्तव्य दें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : यह गम्भीर मामला है।

श्री जार्ज फर्नांडिस (मुजफ्फरपुर) : यह इतना गम्भीर मामला है कि इसे नियम 377 के अधीन किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : इसे मन्त्री के ध्यान में लाया जायेगा।

——

विनियोग (रेल) विधेयक, 1980

रेल मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1979-80 सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1979-80 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे।

अब प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और खंड 3 विधेयक में जोड़ दिए गए। अनुसूची खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

रेल मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया : "कि विधेयक पारित किया जाये।"

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हारबर) : महोदय, मैं विनियोग विधेयक पर बोलता हूं। तरल ईंधन की स्थिति समस्त विश्व में और विशेष रूप से इस देश में बहुत बुरी है। यदि मन्त्री महोदय परिवहन संस्थान, बंगलौर जायें तो उन्हें ज्ञात होगा कि सड़क परिवहन की तुलना में रेल से यातायात के लिए यातायात को चलाने की प्रधान ऊर्जा की आवश्यकता बहुत कम है। यह निश्चित रूप से विश्व में सबसे कम है। किन्तु यह उपेक्षित क्षेत्र है। केवल जब स्थिति में अवरोध आ जायेगा तभी यह सरकार जागेगी अन्यथा नहीं। आज क्या हो रहा है? डीजल की कमी के कारण एक अकेले राज्य में 30,000 ट्रक बेकार पड़े हुए हैं। डीजल तेल 8 रुपये प्रति लिटर के हिसाब से बिक रहा है (एक माननीय सदस्य : कौन जिम्मेदार है?) केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है। (**व्यवधान**) मैं मन्त्री महोदय से इस सभा में बार-बार कहता आया हूं। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों में यह कहा गया है कि रेलों का यथा सम्भव अधिक से अधिक

विस्तार किया जाना चाहिए। किन्तु महोदय, मुझे यह कहते हुए बहुत खेद होता है। रेलवे बोर्ड में एक सेल है जो नई रेलवे लाइनों के सम्बन्ध में कार्यवाही करता है। सड़क परिवहन के पक्ष में कुछ लोग बहुत ही शक्तिशाली और सक्रिय प्रयत्न कर रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप इस देश में रेलों का विकास बिल्कुल ही समाप्त हो गया। यही स्थिति है।

महोदय, अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। वह यह है कि मेरा आर.डी.एस.ओ., लखनऊ से लम्बी चर्चा हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात है भार योग और खाली गाड़ी के भार के अनुपात में कमी करना। अर्थ-व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। धड़ा —भार योग अनुपात एक महत्वपूर्ण बात है। मैं माननीय मन्त्री से यह कहना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में कोई गम्भीर अनुसंधान नहीं किया गया है। हमें बताया गया है कि समस्त देश में दुमंजली गाड़ियां आ रही हैं। किन्तु हो क्या रहा है ? कुछ नमूनों के अलावा और कुछ नहीं है। सड़क परिवहन वालों का अपने पक्ष में भारी प्रचार चल रहा है। वे पुर्जे, तेल आदि बेचना चाहते हैं। वे रेलों का विस्तार नहीं चाहते। आप उनसे यह नहीं कह सकते कि आप अपने घर जाइए। दुमंजली गाड़ियों के बारे में धड़ा—भार योग अनुपात है और अन्य बहुत सी बातें हैं। हमने एल्युमीनियम के डिब्बों की सिफारिश की है। प्रधान यातायात ईंधन के उपभोग को कम करने का यही एकमात्र उत्तर है। आपने एकाएक 500 करोड़ रुपये की लागत से कोयले की बजाय डीजल के प्रयोग को अपनाया है। इसमें लाभ क्या है ? यदि आप लागत को देखें तो ज्ञात होगा कि प्रति टन-किलो मीटर यातायात के सम्बन्ध में वृद्धि मुश्किल से 2 प्रतिशत है। यह स्थिति है। मन्त्री महोदय, आप यहां केवल सजावट के लिए नहीं हैं हम आशा करते हैं कि आप इन सब बातों को समझें और दल से परे लोगों से सलाह लें जिससे रेलों को और देश को लाभ होगा।

अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं वह यह है कि बज-बज नाभरवाना रेलवे लाइन का सर्वेक्षण आपात स्थिति से पहले हुआ था। इसे स्थायी लाइन समझा गया। जब हम हिरासत में थे तो पूर्व रेलवे के एक महाप्रबन्धक ने इस सारी परियोजना को काट दिया। इसके परिणामस्वरूप विशाल सुन्दर बन, जहां 22 लाख लोग निर्धनता में रहते हैं, को हानि उठानी पड़ी। यह लाइन अचानक ही क्षमता युक्त से अक्षम हो गई। महोदय, 1977 में प्रो० मधु दण्डवते रेल मन्त्री थे। उन्होंने इस बात की गम्भीरता तथा इसकी सम्भावनाओं को समझा था और 1977-78 के बजट में स्थल के बारे में अन्तिम चुनाव करने के लिए 3.85 लाख रुपये का आबंटन किया था। मैंने माननीय मन्त्री को इस मामले को उठाने के लिए लिखा और इस मामले को दलगत आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए किन्तु देश की आर्थिक प्रगति के लिए इस पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि देश के आर्थिक विकास और कुल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि के लिए रेल परिवहन का बड़ा महत्व है।

रेल मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : अध्यक्ष महोदय, यह जो ऐप्रोप्रीएशन बिल है यह सप्लीमेंटरी डिमान्ड्स का है। माननीय सदस्य ने बहुत सी बातें वैसे ही उठा दीं। जब रेल बजट पेश होगा उस वक्त यह बातें कही जायें तो उसका उत्तर दिया जायगा। मेरी प्रार्थना है कि ऐप्रोप्रीएशन बिल को सदन पास करे ताकि सप्लीमेंटरी डिमान्ड जो है उसके अनुसार कार्यवाही की जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

— — —

चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय संबंधी सांविधिक संकल्प अस्वीकृत तथा चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब हम कार्यसूची की मद 11 और 12 पर विचार करेंगे। इन दोनों मदों पर एक साथ विचार हो रहा है। अब हमारे पास केवल लगभग एक घन्टा बचा है। श्री मगनभाई बरोट अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री मगनभाई बरोट (अहमदाबाद) : महोदय, कल सदन की क्षमता के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करते हुये यह प्रश्न उठाया गया था कि उच्चतम न्यायालय ने मेनका के मामले में यह व्यवस्था दी है कि "आप भारत के किसी नागरिक की स्वतन्त्रता नहीं छीन सकते।" मेरे विचार में मेनका के मामले में उच्चतम न्यायालय के इस विनिर्णय का हवाला देना सही होगा। विनिर्णय देते हुये मुख्य न्यायाधीश ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किये।

इस सदन की क्षमता के बारे में जान कर इस सदन को प्रसन्नता होगी। मैं उच्चतम न्यायालय के अगस्त, 1978 के प्रतिवेदन (पृष्ठ 624) से सम्बद्ध अंश उद्धृत करता हूं।

> "तर्क और न्याय की परीक्षा का रूप अमूर्त नहीं हो सकता। उन्हें राष्ट्र की आवश्यकताओं से दूर नहीं रखा जा सकता। इस जांच का आधार व्यवहारिक होना चाहिये अन्यथा वह तर्क हीन होगा। लोक हित में पासपोर्ट को जब्त करने की प्राधिकारियों की स्व-विवेक शक्ति कानून को अवैध नहीं कर सकती। हम इस आशंका से, कि ऐसी शक्ति का दुरुपयोग किया जायेगा, ऐसी शक्ति भी कार्यकारी प्राधिकारियों को देने से संसद को नहीं रोक सकते जो बैध रूप से प्रयोज्य शक्ति के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नितान्त आवश्यक हो पासपोर्ट जारी करने, निलम्बित, जब्त अथवा रद्द करने के मामलों में किसी व्यक्ति के अन्य राज्यों के राष्ट्रिकों अथवा प्राधिकारियों के साथ व्यवहार पर विचार करना होगा।

प्रो० मधुदण्डवते : महोदय आप इस सम्बन्ध में पहले ही विनिर्णय दे चुके हैं।

श्री मगनभाई बरोट : मैं उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय से उन लोगों के लिये उद्धरण दे रहा हूं जो यह कहते हैं कि हम ऐसा कानून नहीं बना सकते। उसमें आगे कहा गया है :

> "इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा कल्याण के ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जिसके सामने व्यक्ति का यह मूल अधिकार कि वह जहां भी चाहे जा सकता है, गौण हो जाता है।"

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यह सदन ऐसा कानून बनाने में सक्षम है।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी याद दिलाना चाहता हूं, कि जो माननीय सदस्य श्री राम जेठमलानी ने 19 जुलाई, 1978 को इस सदन में आंसुका (निरसन) विधयक पर बहस में भाग लेते हुये कहा था ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप संक्षेप में कहिये । आपके पास केवल 4-5 मिनट हैं ।

श्री मगनभाई बरोट : महोदय, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि किसी सदस्य को किसी समय एक बात और दूसरे समय दूसरी बात नहीं कहनी चाहिये । श्री राम जेठमलानी ने 19 जुलाई, 1978 को इस सदन में जो कहा, वह यह था ।

> "किन्तु जब तक इस देश में एक ऐसा संगठित राजनीतिक दल है जो सांवैधानिक औचित्य में विश्वास नहीं करता, जो राजनीतिक शिष्टाचार में विश्वास नहीं करता, जो अब भी देश के सबसे बड़े अपराधी से प्रेरणा प्राप्त करता है, तब तक कानून की व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकती और आप वर्तमान सरकार को निवारक नजरबन्दी को जब तक संभव होगा तब तक जारी रखने के लिये बाध्य करेंगे और जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे तो इस कानून का आपके विरुद्ध प्रयोग किया जायेगा ।

यह बात उन्होंने राजनीतिक दलों के बारे में कही थी । यह विचारधारा उन माननीय सदस्य की थी, जिन्होंने आंसुका (निरसन) विधेयक का समर्थन किया था और कहा था कि राजनीतिक दलों के लिये भी निवारक नजरबन्दी कानून होना चाहिये । मेरा यह कहना है कि श्री जेठमलानी ने, जो देश की जनता को अपराधी समझते हैं अपराधी देश की जनता की राय का सही मूल्यांकन नहीं किया है । यदि उन्होंने यह बात हमारी नेता के बारे में कही है तो उनकी बात गलत सिद्ध हुई है । अब यह सिद्ध हो गया है कि वह न केवल भारत की नेता हैं किन्तु मानव मात्र की भी नेता हैं और वह श्री मती इन्दिरा गांधी हैं ··

(व्यवधान)

इसका इलाज क्या है ? एक माननीय सदस्य ने कहा है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन करना चाहिये । यहां पर अनेक माननीय सदस्य बैठे हैं जो आपराधिक कानून की वकालत कर रहे हैं । धारा 151 में यह व्यवस्था है कि एक पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध में किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ़तार कर सकता है किन्तु उस व्यक्ति को 24 घन्टे के अन्दर किसी मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होता है । क्या आप इस धारा में संशोधन कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हत्या के आरोप में गिरफतार किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने 24 घण्टे के भीतर पेश किया जाना चाहिये और आर्थिक अपराधी को छः महीने के लिये पेश न किया जाये । क्या आप आपराधिक प्रक्रिया संहिता में यह व्यवस्था करेंगे ? असम्भव — इसलिये तो मैं यह कहता हूं कि हमें यह समझना चाहिये कि 1980 के चुनाव गिरती हुई कानून और व्यवस्था और मूल्य वृद्धि के विरुद्ध एक स्पष्ट निर्णय है । 1977 में आपको स्पष्ट बहुमत मिला था । आपने कहा कि लोगों ने आपको आसुंका को समाप्त करने का स्पष्ट आदेश दिया है और आपने आसुंका को समाप्त कर दिया । अब हम कहते हैं कि

लोगों ने हमें जमाखोरों, काला बजारियों तथा जनता के रक्तचूसको पर प्रतिवन्ध लगाने का आदेश दिया है और हम यह करेंगे। इसके लिये यदि आवश्यक हुआ तो संविधान में संशोधन किया जायेगा और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि गरीबों का शोषण न किया जाये। इसलिये इस कानून का समर्थन किया जाये। मुझे इस सम्बन्ध में यही कहना है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जिस अध्यादेश को कानून की शक्ल देने के लिए यह विधेयक सदन में पेश किया गया है, मैं समझता हूं कि जिस समय यह अध्यादेश लाया गया था, उस समय देश में एक विशेष परिस्थिति थी। इस देश में 77 साल के वाद सव से भयंकर सूखा पड़ा हुआ था और देश का सारा उत्तरी भाग उस भयंकर सूखे से पीड़ित था। देश में डीजल, कैरोसीन और दूसरी चीजों का बहुत बड़ा अभाव हो गया था। वह अभाव इसलिए नहीं था कि उन चीजों की कमी थी, वल्कि चूंकि पानी नहीं वरसा, बिजली नहीं पैदा हो सकी, इसलिए डीजल की आवश्यकता पहले से करीव-करीव दुगनी हो गई थी, और सामान्य स्थिति में जितना डीजल होता है, उससे काम नहीं चल सकता था। चीजों की कीमतें वढ़ीं और बड़े पैमाने पर चोर-बाजारी शुरू हुई। डर इस बात का था कि अगर सरकार प्रभावी ढंग से दखल नहीं देगी, तो देश की आम जनता, खास तौर से किसान और गरीब आदमी, परेशान होंगे।

दूसरी विशेष स्थिति यह थी कि चुनाव के पहले का वक्त था। इस देश में अनुभव यह है कि चुनाव से पहले व्यापारियों में एक ऐसा तबका होता है —सभी व्यापारी नहीं, वल्कि उनका एक छोटा तवका होता है—जो उस विशेष स्थिति का लाभ उठा कर सामान का दाम वढ़ा देता है, जो जिन्दगी के लिए आवश्यक होता है। चोर-बाजारी और जखीराबाजी होती है और इससे आम जनता की परेशानी बढ़ती है।

उस विशेष स्थिति का मुकाबला करने के लिए अस्थायी रूप से एक अध्यादेश लाया गया था। लेकिन जिस वक्त यह अध्यादेश लाया गया, उस वक्त आज जो शासक दल है और जो प्रधान मंत्री जी हैं, उन्होंने सारे देश में घूम-घूम कर कहा कि यह अध्यादेश मेरे खिलाफ, मुझको गिरफ्तार करने के लिए लाया गया है, मेरे समर्थकों को गिरफ्तार करने के लिए और उनको परेशान करने के लिए लाया गया है। इसलिए उन्होंने इस अध्यादेश की मुखालिफत की थी। उस वक्त उन्होंने इस अध्यादेश को गलत समझा था और जनता को कहा था कि इसकी जरूरत नहीं है और यह राजनैतिक विशेष के कारण लाया गया है। बाद में यह सावित हो गया कि यह बात सही नहीं थी, क्योंकि उन्हें या उनके समर्थकों को गिरफ्तार नहीं किया गया, वल्कि उन्होंने जो वातावरण बनाया, उसके कारण बहुत सी राज्य सरकारों ने इसे मजवूती के साथ लागू नहीं किया।

यह ताज्जुब की बात है कि जिस प्रधान मंत्री ने इस अध्यादेश का जोरों से विरोध किया, बराबर कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, यह राजनैतिक रूप से इस्तेमाल करने के लिए लाया गया है, जब देश की जनता ने उन्हें इतना बड़ा बहुमत दे दिया और वह सत्ता में आईं, तो उन्हें इस बात का आत्म-विश्वास होना चाहिए था कि वह इस देश के सामान्य कानून के मुताबिक

सरकार चलाने की कोशिश करें, मगर अब वह इस अध्यादेश को कानून का रूप देना चाहती हैं। राजनैतिक ईमानदारी की बात थी कि अगर वह इस अध्यादेश को गलत समझती थीं, तो सत्ता में आने के बाद वह इसको खत्म कर देतीं। बड़े ताज्जुब की बात है कि उस अध्यादेश को स्थायी रूप दिया जा रहा है, उसको कानून बनाया जा रहा है और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है।

प्रधान मंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से यह पोजीशन ली थी कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, लेकिन मुझे अफसोस है कि इस सरकार ने पिछले एक महीने में जिस तरह काम किया है, उससे वह बात साबित नहीं हो रही है। इसीलिए में मंत्री महोदय के प्रस्ताव का विरोध कर रहा हूं। जिस तरह से यह सरकार काम कर रही है, उससे सारे देश के कर्मचारियों में, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों में गम्भीर चिन्ता है कि यह सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। (**व्यवधान**) प्रजातंत्र में हमें इस बात को मान कर चलना चाहिए कि इस देश में सरकारें बदलती रहती हैं।

(**व्यवधान**)

श्रीमन्, इस देश में जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं और जो हमारा ऐडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उनके साथ हमें बदले की भावना से या कौन कर्मचारी किसके साथ था इसको ध्यान में रखकर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए मैं कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्य इस देश का था कि जनता पार्टी जब शासन में आई थी उस वक्त भी यह हुआ था, देश में उस वक्त भी यह वातावरण, यह माहौल बना कि कुछ सरकारी कर्मचारी राजनैतिक कारणों से हटाये जा रहे हैं। यह बात देश के लिए अच्छी नहीं थी। लेकिन अगर वह बात गलत थी तो गलत बात को फिर से दोहराना और उसी गलती को फिर से करना यह कोई अच्छी बात नहीं है और में समझता हूं कि इसका निराकरण होना चाहिए। यह हमारे और आप के दलों के हित में नहीं और देश के हित में भी नहीं है। इस देश में सामान्य आदमी, सामान्य कर्मचारी काम करता है, अधिकारी काम करता है, संसदीय व्यवस्था में जो मंत्रि-मंडल है, सरकार है, वह कोई काम करती है। लेकिन अगर जो काम करता है उसके मन में यह भावना पैदा हो जाये कि मैं ईमानदारी से अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहा हूं लेकिन अगर सरकार बदलेगी तों मैं उसके लिए दोषी ठहराया जाऊंगा और बदले की भावना से मैं उसके लिए शिकार बनूंगा तो इस देश में अस्थायित्व का वातावरण बना रहेगा जो कोई अच्छी बात नहीं है। मैं कहना नहीं चाहता, आज एन. के. सिंह के मामले को लेकर यह भावना पैदा कि क्योंकि उन्होंने कुछ केसेज् की जांच पड़ताल की थी इसलिए बदले की भावना से यह सब हो रहा है, अगर यह भावना देश के अंदर पैदा होती है और लोगों के मन में डर पैदा होता है तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैं यह कह रहा हूं और मैंने पहले भी कहा था कि आज आवश्यकता इस तरह के कानून की नहीं है। सरकार ने परसों जवाव में यह नहीं कहा कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, यह कारण है कमी का या कीमतें बढ़ने का। उसका सबसे बढ़ा कारण है मुद्रा-स्फीति, इन्फ्लेशन। सरकार उसके लिए क्या कदम उठा रही है? आज जरूरत थी कि उसके लिए कदम उठाए जाते। सरकार ने कहा कि

उत्पादन घट गया। उत्पादन घट गया तो उत्पादन कैसे बढ़ाया जाय जरूरी सामानों का उसके लिए सरकार कोशिश करती। सरकार ने यह कहा कि जनता पार्टी के राज में यहां जो वितरण व्यवस्था थी उसने ठीक से काम नहीं किया। अगर उसने काम नहीं किया तो आज पहले इस सरकार को चाहिए था .... (इंटरप्शंस).....

अध्यक्ष महोदय : आनरेबल मेम्बर जो कह रहे हैं वह बिल्कुल रेकार्ड न किया जाय। वह सदन की कार्यवाही में बार-बार विघ्न डाल रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : सरकार ने यह कहा कि पिछले ढाई तीन वर्षों में वितरण व्यवस्था इस देश में ठीक से नहीं चल रही थी। अगर नहीं चल रही थी तो सरकार इस सदन के सामने आती और यह कहती कि ढाई सालों में वितरण व्यवस्था ठीक से नहीं चली, अब उस वितरण व्यवस्था को ज्यादा प्रभावकारी बनाने के लिए और आम जनता को उसकी जिन्दगी का आम सामान ठीक कीमत पर देने के लिए हम यह व्यवस्था कर रहे हैं, उसमें सदन उसका सहयोग करता। मगर बजाय इसके कि उत्पादन बढ़ाने के लिए काम किया जाय, बजाय इसके कि मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए प्रभावकारी कदम उठाए जायं, बजाय इसके कि वितरण व्यवस्था को ज्यादा व्यापक और ज्यादा प्रभावकारी बनाया जाय जिससे कि शहरों और देहातों के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को ठीक दाम पर सामान मिले, इसके बजाय इस प्रकार के अध्यादेश को कानून की शक्ल देने का प्रयास किया जा रहा है। हम समझते हैं कि अगर इस सरकार के हाथ में इस प्रकार की ताकत दे दी गई तो इसका राजनैतिक दुरुपयोग किया जायगा और एक विद्वेष की भावना से इसका इस्तेमाल होगा। मैं समझता हूं कि यह सरकार इस काबिल नहीं है कि इसे इतना अधिकार देकर आम जनता और आम नागरिकों की जिन्दगी को खतरा पैदा किया जाय। इसलिए मैं समझता हूं कि इसका विरोध किया जाय।

कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री फ्रैंक एंथनी (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस विधेयक से उस अध्यादेश को कानून का रूप देना है जिसे कामचलाऊ सरकार ने जारी किया था। मैं अपने मित्र श्री चन्द्रजीत यादव के प्रति पूरे सम्मान के साथ यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस विधेयक के विरोध में कहा है कि यह विधेयक न केवल अवसरवाद का बल्कि कटुता का भी प्रतीक है। मेरे विचार से वह उस दल के सदस्य थे जिसने कामचलाऊ सरकार का गठन किया था। फिर भी वह सदन से बाहर चले गए हैं और इस प्रकार अपने ही कार्य का विरोध कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप इसका समर्थन करते हैं अथवा नहीं ?

श्री फ्रैंक एंथनी : आप मेरे बिचार सुनिये। आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु सहित मेरे मित्रों ने शायद इस निवारक नजरबन्दी कानून पर मगरमच्छ के आंसू बहाये थे। शांति के काल में निवारक नजरबन्दी कानून का मैं हमेशा विरोधी रहा हूं। मैंने तो अनुच्छेद 22 की भी आलोचना की थी। मैं संविधान निर्माताओं

में से एक था हमने सोचा था कि उप महाद्वीप में विशेष परिस्थितियों के कारण निवारक नजरबन्दी कानून को दोषमुक्त करना आवश्यक था और हमने इस निवारक नजरबन्दी कानून को दोषमुक्त कर दिया है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के संकल्प की बात कही है। उसका इसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। जब तक अनुच्छेद 22 है तब तक आप निवारक नजरबन्दी कानून को न केवल युद्धकाल में अपितु शान्तिकाल में भी दोषमुक्त कर रहे हैं। क्या मैं यह बात कह सकता हूं? मेरे मित्र सब भूल जाते हैं कि वह पहले जनता पार्टी से ही सम्बद्ध थे। मैं कभी यह नहीं जान सका कि कौनसा अंश जनता पार्टी का है। किन्तु यह बात स्पष्ट है कि जो व्यक्ति उच्चतम नेता था—जिसे मैं हमेशा पाखण्डी और धोखेबाजी का अवतार मानता रहा हूं, ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता में ही निवारक नजरबन्दी कानून को हमेशा के लिये बुन देने का प्रयास किया। ऐसा किसी और ने कभी नहीं किया। जनता सरकारों ने बिहार और मध्य प्रदेश में लघु-आंसुका लागू करके अनिश्चित प्रतिष्ठा प्राप्त की है। वहां उन्होंने आपत्ति नहीं की है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने यह क्यों कहा कि मैंने मगरमच्छ के आंसू बहाये हैं?

श्री फ्रैंक एंथनी : मेरे मित्र शराब के सिवा किसी वस्तु की जमाखोरी नहीं करेंगे और मेरा विचार है कि उन्हें इस कारण से गिरफतार नहीं किया जायेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सप्लायर कौन होगा?

श्री ज्योतिर्मय बसु : फ्रैंक एंथनी।

श्री फ्रैंक एंथनी : मैं यह कह रहा था कि (व्यवधान) ··कानून मेरे मित्र की दया के कारण नहीं है· मेरे मित्र की बिघ्न डालने की सुधारातीत आदत है किन्तु जब उनके भाषण में विघ्न डाला जाता है तो वह पसन्द नहीं करते। मैं अपने मित्र को कुछ सिखाना चाहता हूं, किन्तु वह सीख नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, क्या आप मुझे इस निरन्तर की जाने वाली टीका टिप्पणी के विरुद्ध संरक्षण देंगे। देश में जनता पार्टी की तथाकथित सरकार ने अत्यन्त अराजकता का वातावरण उत्पन्न कर दिया था। आज देश को युद्ध जैसे संकट का सामना करना पड़ रहा है। और पिछला बजट पेश किया गया था मेरे मित्र श्री चन्द्रजीत यादव इस सम्बन्ध में क्या कहेंगे, मैं कुछ कह नहीं सकता—किन्तु वह ऐसा बजट जानबूझ कर पेश किया गया कि मुद्रा स्फीति में अत्यधिक वृद्धि हुई। हमें तथाकथित नेताओं से अनेक प्रकार के आश्वासन और वक्तव्य सुनने को मिले। एक नेता ने कहा, ''इस बजट से एक प्रतिशत से अधिक मुद्रास्फीति नहीं होगी। किन्तु हम जानते है कि हमें तथा हमारे देश को कितनी हानि हुई। एक किंकर्त्तव्य विमूढ़ प्रधानमन्त्री, जोकि मूत्र—पदार्थ से भ्रान्त था, को जब अनेक महिलाओं ने पूछा कि आप तीव्र गति से बढ़ रही मुद्रास्फीति पर कैसे नियन्त्रण करेंगे? एक बिमूढ़ सा उत्तर दिया गया : कौन सी मुद्रास्फीति? कुछ दिनों बाद जब उन्हें बताया गया कि तीव्र गति से हो रही मुद्रास्फीति अनियन्त्रित हो गई है तो उन्होंने उत्तर दिया : मैं दस महीनों में इसपर नियन्त्रण कर लूंगा। हम जानते हैं कि किस प्रकार का नियन्त्रण किया गया। आज वह बढ़ती मुद्रास्फीति, बढ़ती हुई जमाखोरी, मुनाफाखोरी और कालाबाजारी की बुराई से और भी जटिल हो गई है।

मेरे मित्र श्री अटल बिहारी के लिये मेरे मन में सदा न केवल सम्मान रहा है अपितु स्नेह भी रहा है।

मैं यह अनुभव किए बिना नहीं रह सकता कि वह कुछ ऐसे लोगों का पक्ष ले रहे हैं जो पुराने काला बाजारिए हैं। वे जनता पार्टी के घटक हैं। इस प्रकार के कुछ लोग हैं। एक जाति विशेष है और एक समुदाय विशेष है जिनका मैं नाम नहीं लूंगा। वे काला बाजारिए, मुनाफाखोर और जमाखोरिये हैं। उन्होंने मुद्रास्फीति की आग को इतना भड़काया है कि वह आज नियन्त्रण से बाहर हो गई है। एक घटना है। मेरी पत्नी ने मुझे शिकायत की कि सभी वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। मेरी पत्नी एक दुकानदार के पास गई उसने उससे कहा कल आपने यही तीन रुपया किलो दिया था और आज आप एक किलो के चार रुपये ले रहे हैं। "दुकानदार ने कहा" सरकार मेरी अपनी है। आज मैं चार रुपए किलो दे रहा हूं, यदि आप अधिक बोलीं तो कल मैं इसी के लिए 5 रुपए लूंगा।" यह तो मेरी पत्नी के साथ हुआ। अनुमान लगाइये साधारण व्यक्ति के साथ क्या होता होगा ? यह सब ऐसे घटित हुआ। जनता के घटकों और जनसंघ ने मुद्रास्फीति में अत्यधिक वृद्धि कर दी। उन्होंने खुली छुट्टी दे दी। इस प्रकार के लोगों को साधारण कानून द्वारा नियन्त्रित नहीं किया जा सकता।

वकील होने के नाते मैं कड़े दण्ड के विरुद्ध हूं। जहां तक इन लोगों का संबंध है, मैं चाहता हूं कि शरीयत कानून के एक पहलू जैसे कोड़े लगाने को आवश्यक वस्तु अधिनियम में जोड़ा जाए। मैं उनके हाथ काटने की बात नहीं कह रहा हूं। साऊदी अरब के मेरे एक मुवक्किल ने बताया कि वहां चोर होते ही नहीं हैं। सोने को कहीं ऐसे ही छोड़ा जा सकता है। मैंने उसे बताया कि यदि शरीयत कानून या हाथ काटने का दण्ड भारत में भी लागू कर दिया जाये तो भारत में बहुत से व्यक्ति बिना हाथों के हो जाते।

इसके बावजूद मेरे मित्र अटल बिहारी बाजपेयी तर्क देते हैं। मैं नहीं जानता कि उनको यह मिसाल मिली कहां से। उन्होंने कहा "आपने 'मीसा का प्रयोग सब के विरुद्ध किया।" मैं आपातकाल का कट्टर समर्थक था। श्री मोरारजी ने मुझसे ऐसे ही बड़ी चतुराई से पूछा, आपने आपात स्थिति का समर्थन क्यों किया ? मैंने कहा "आप अपने उप-प्रधानमंत्री बाबू जी से क्यों नहीं पूछते ? उन्होंने मेरी अपेक्षा कहीं अधिक जोरदार समर्थन किया था। उन्होंने संकल्प को पारित करने के लिए एक जोरदार भाषण दिया था। मैंने तो एक वकील के रूप में इसका समर्थन किया। मैंने शाह आयोग के समक्ष श्रीमती गांधी की ओर से तर्क देते हुए कहा कि अराजकता का इलाज केवल आपातकाल ही था, विपक्ष द्वारा जान बूझकर की जा रही हिंसा का एकमात्र उत्तर भी यही था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शान्त ! शान्त ! यह क्या है ? कृपया शान्त रहिए।

एक माननीय सदस्य : आपका नामांकन…

(व्यवधान)

श्री फ्रैंक एन्थनी : मेरे नामांकन का इससे कोई संबंध नहीं है। मेरे मित्र नहीं जानते कि मैं किस पार्टी की ओर से नामित हूं।

श्री मोरारजी देसाई के पूर्ण प्रयत्नों के बावजूद, वह उसे अपने समुदाय के सम्मानित नेता पद से नहीं हटा सके। तिल भर भी नहीं हिला सके। यदि मेरे मित्र इस बात को इतना तूल न देते तो अच्छा होता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठे बातें कर रहे हैं। यह क्या है ?

श्री फ्रैंक एन्थनी : श्री बाजपेयी वकील नहीं हैं। उन्होंने 'कोफेपोसा' और इस अधिनियम में अन्तर करने का प्रयत्न किया। पहली बात तो यह है कि यह सामान्य कानून नहीं है। 'मीसा' एक सामान्य कानून था। इसे ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सकता था जो लोक व्यवस्था और सुरक्षा के लिए खतरा हो। यह एक विशिष्ट कानून है, जो कि जखीरेबाजी, मुनाफाखोरी और काला बाजारी की बढ़ती हुई भयंकर बुराई के विरुद्ध है। यह 'कोफेपोसा' के समान है। एक जखीरेबाज, मुनाफाखोर और काला बाजारिए या तस्कर में क्या अन्तर है। क्या मेरे मित्रों ने 'कोफेपोसा' का विरोध किया था ? निस्संदेह, उन्होंने नहीं किया था। परन्तु अब जैसा कि मैंने कहा है, आज मैंने कानून के मामले में नाराज कर दिया है। परन्तु आज जखीरेबाजों/काला बाजारियों और मुनाफाखोरों का मेरे मित्रों द्वारा विशेष रूप से पक्ष लिया जा रहा है। मैं इस संबंध में यही कहूंगा। मैं सरकार को इस पर बधाई देता हूं कि निवारक नजरबन्दी में जितने अधिक संरक्षणात्मक उपाय शामिल किए जा सकते थे, किए गए हैं। मैं अपने उन मित्रों से, जो मगरमच्छी आसूं बहा रहे हैं, पूछता हूं कि उन्होंने 'कोफेपोसा' के संबंध में क्या किया ? मैंने तत्कालीन विधि मंत्री श्री शान्तिभूषण को लिखा था। मैंने कहा था कि जहां तक 'कोफेपोसा' का संबंध है, वह ठीक है परन्तु तस्करों के लिए कुछ संरक्षणात्मक उपायों की व्यवस्था की जानी चाहिए। आपने धारा 5क क्यों रखी है ? धारा 5क तो निवारक नजरबन्दी का विकृत स्वरूप है। मैंने निवारक नजरबन्दी के काफी मामलों की पैरवी की थी। मैं अपने मित्रों को यह बता दूं कि 'मीसा' और 'कोफेपोसा' के अधीन मैंने सभी मुकदमें जीते। एक गलत, अस्पष्ट आधार मिलता और हमारे न्यायधीश उसे अस्वीकृत कर देते। परन्तु जो कानून हमारे मित्रों ने बनाया उसका क्या हुआ ? मैंने श्री शान्तिभूषण को धारा 5क समाप्त करने के लिए कहा। परन्तु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि वे सभी अन्दर से निवारक नजरबन्दी के कठोर कानून के विरुद्ध थे। धारा 5क के अन्तर्गत तस्करों को 10 आधार मिलते हैं, जिनमें से 9 तो बुरे हैं। परन्तु चूंकि धारा 5क अभी आपने रखी हुई है, इसलिए एक आधार ठीक था और उसकी नजरबन्दी चलती रही। आपने पूरे कानून का स्वरूप बिगाड़ दिया। सौभाग्यवश हमारे पास कुछ कानून थे। मेरे मित्र इससे भयभीत हैं। यदि वे जखीरेबाजों की श्रेणी में हैं और वे मेरे पास आते है तो मैं उनको यह आश्वासन देता हूं कि यदि एक भी आधार गलत है तो उनकी नजरबन्दी नहीं होगी।

मैं निवारक नजरबन्दी को एक बुराई मानता हूं परन्तु यह एक आवश्यक बुराई है। परन्तु जनता और जनसंघ ने हमें इससे भी अधिक बुराई दी और हमें दो बुराइयों में सन्तुलन रखना पड़ा। वह बुराई अधिक बड़ी है और हमें उसका सामना करने के लिए निवारक नजर-बन्दी को एक आवश्यक बुराई के रूप में अपनाना होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, ने काला बाजारी की बुराई की चर्चा कर रहे हैं। परन्तु एक प्रमुख बुराई तो काले धन की है। वांचू समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में नवम्बर 1970 में प्रस्तुत विमुद्रीकरण की जोरदार संधीरश की थी। उस समय उन्होंने अनुमान लगाया था कि लगभग 7000 करोड रुपए का काला धन देश में है जो कि सफेद धन का स्थान ले रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी की ओर से आपका तथा श्री सोमनाथ चटर्जी का नाम इकट्ठा दिया गया था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : संकल्प रखने वालों में मेरा भी नाम था और मुझे अलग ही समय मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे उपलब्ध समय में से ही समय देना है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं केवल 4 मिनट लूंगा।

वाँचू समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में, जिसे श्रीमती गांधी ने नष्ट करने का प्रयत्न किया था, बड़े जोरदार शब्दों में विमुद्रीकरण की सिफारिश की थी परन्तु अब इसके लिए काफी देर हो गई है। अब हम एक-एक करके यह देखेंगे कि शासक दल काला बाजारियों, जखीरेबाजों, तथा तस्करों को समाप्त करने में कितना गम्भीर रहा है। दिल्ली में मोदी फ्लोर मिल्स द्वारा गेहूं के जखीरेबाजी के मामले को लेते हैं। जहां तक मुझे याद है, उन्हें इस 'फ्लोर मिल' के पास 900 क्विटल गेहूं या अधिक गेहूं मिली थी। तत्कालीन गृह मन्त्री, यदि आप अनुमति दें तो मैं उनके नाम का उल्लेख करूं, श्री दीक्षित ने पूरे मामले को दबा दिया। इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को कुछ नहीं कहा गया। अब हम 'डन्कन' भाइयों के स्वामित्व में 'एशियन केबल' के एक और मामले को लेते हैं। श्रीं आर. पी. गोयनका शासक दल के सबसे बड़े वित्तपोषक हैं उन्होंने पोस्टरों की छपाई के लिए 14 लाख रुपए दिए थे। 'एशियन केबल्स' को आयातित पोलीथीन के कच्चे माल को काले बाजार में बेचते पकड़ा गया। इन्होंने इससे 1½ करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। उस फर्म, उस व्यक्ति और कम्पनी को कुछ नहीं कहा गया। उनके विरुद्ध कुछ नहीं किया गया। हम एक और मामले को लेते हैं। भारत हरि सिंहानिया को निर्यात किए जाने वाले 'कारपेट पैकिंग मैटीरियल' और जूट उत्पादों का कम बीजक बनाते हुए पकड़ा गया। यह मामला लगभग 49.5 लाख रुपए की चोरी का था। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने अपनी 'आर्थिक अपराधों सम्बन्धी रिपोर्ट में इस बात का विस्तार से उल्लेख किया है कि किस प्रकार प्रवर्तन निदेशालय के तत्कालीन निदेशक का इसमें गठजोड़ था। इसके साथ-साथ समिति

ने यह सिफारिश भी की थी कि श्री सिंहानिया, जैन तथा अन्य कईयों पर मुकदमे चलाए जाएं। परन्तु कुछ नहीं हुआ। आपातकाल में सीमा शुल्क के सभी समाहर्तालियों को एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि बीजक की ऐसी हेराफेरी में लगी फर्म को हाथ न लगाया जाए जिससे 1000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की हानि होती हो। उन्हें कार्य करते रहने दिया जाएं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में मुझे एक ऐसे मामले का पता चला जिसे मैं भूल नहीं सकता। श्रीमती गांधी ने आई. सी. आई. और किलाचन्द को 232 करोड़ रुपए के सीमा शुल्क की छूट दी थी। यही लोग कहते हैं कि हम काले धन और काला बाजारी को समाप्त करना चाहते हैं। ऐसे लोगों का निर्वाह कैसे होगा? आप अपनी पार्टी और चुनाव का काम कैसे चलाएंगे? आप ऐसा कर ही नहीं सकते। पूंजीवादी व्यवस्था चल ही नहीं सकती। वे केवल आंखों में धूल झोंकने का प्रयत्न कर रहे हैं और वे केवल अपने राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध इसका प्रयोग अपने हितों को साधने के लिए करेंगे।

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह) : अध्यक्ष महोदय, अब सत्ता उनके हाथ से निकल गई है। इसीलिए इस विधेयक को लाने वाले अब मुकर रहे हैं। वे इसलिए मुकर रहे हैं क्योंकि देश के लोगों को अब भलीभांति यह मालूम हो गया है कि इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने के पीछे उनकी कुछ दुर्भावना थी।

महोदय, हमें इस बात पर अबश्य ही विचार करना चाहिए कि जब कांग्रेस ने सत्ता छोड़ी थी तथा जनता पार्टी ने इस सदन में प्रवेश किया था तथा देश की सत्ता संभाली थी, उस समय देश की क्या स्थिति थी। उस समय आवश्यक वस्तुओं के मूल्य, दालों के मूल्य, खाद्य तेलों तथा अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य वर्तमान मूल्यों से आधे थे। उसके पश्चात् कांग्रेस सरकार द्वारा छोड़े गए अतिरिक्त भण्डारों के साथ जनता पार्टी की सरकार ने देश में कार्य करना प्रारंभ किया। भारी जनमत सिलने के बावजूद भी वे कुछ भी नहीं कर सके। इतने भारी भण्डारों के बावजूद भी मूल्यों में वृद्धि हुई है। वर्तमान दालों की कीमतें, खाद्य तेलों की कीमतें, सीमेंट की कीमतें तथा अन्य सभी वस्तुओं की कीमतें दुगनी हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कांग्रेस के शासनकाल में सीमेंट से नियंत्रण हटा लिया गया था। बाद में सीमेंट पर नियन्त्रश लगाया गया था केवल इतना ही नही है। विदेशों से भी सीमेंट का आयात प्रारम्भ किया गया था। कोयले का कितना उत्पादन हुआ? हमारे देश में आवश्यक वस्तुओं की क्या स्थिति थी? इस बारे में हम सभी जानते हैं। इस समय जवकि यह विधेयक हमारे सामने हैं जौर सरकार मूल्यों को रोकने के लिए कुछ कदम उठाना चाहती है तो दूसरी ओर के ये लोग जो गरीबों की भलाई के लिए बहुत बातें करते हैं बे इस विधेयक को रद्द कराने का प्रयत्न कर रहे हैं वे देश में चोरबाजारी करने वालों तथा जमाखोरी करने वालों की बेशर्मी के साथ तरफ़दारी कर रहे हैं।

महोदय हमें इस सम्बन्ध में इस बात को ध्यान में रखना है। इस देश की जनता ने मूल्यों पर काबू पाने के लिए, देश में चोरबाजारी तथा जमाखोरी को रोकने के लिए हमारी पार्टी को भारी जनादेश प्रदान किया है। यदि हम इस कार्य को प्रभावकारी ढंग से नहीं कर

पाते हैं तो देश की जनता अधिक समय तक इन्तजार नहीं करेगी । जनता ने जनता पार्टी का भी इन्तजार नहीं किया है जिसने 10 वर्षों में देश के कल्याण करने, गरीवी हटाने का वायदा किया था इसी तरह के वे हमसे भी यथाशीघ्र कुछ करने की उपेक्षा रखते हैं । देश की जनता चाहती है कि देश में गरीब लोगों की भलाई के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जायें । इसी कारण से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं तथा इस विधेयक को पेश करने के लिए मंत्री महोदय को बधाई देता हूं । इसके साथ ही मैं उनको यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि इस विधेयक की सफलता राज्य सरकारों के सहयोग पर निर्भर है । प्रत्येक व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि पूरे देश में जनता पार्टी, लोक दल, सी. पी. आई. (एम) की राज्य सरकारें सत्ता में हैं अथवा किसी अन्य पार्टियों की सरकारें कायम हैं । यदि वे इस विधेयक को लागू करने में निष्ठा से काम नहीं करती हैं, तो केन्द्रीय सरकार को देश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाने के लिए गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा क्योंकि एक बात को ध्यान में रखना है कि सी. पी. आई. (एम) द्वारा शासित राज्य में अन्य मूल्यों के साथ प्याज 5 रु० किलो बेची जा रही है । इसके लिए उन्होंने क्या प्रभावकारी कदम उठाए हैं ? मैं जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं । मैं सी. पी. एम. शासित राज्य से यह पूछना चाहता हूं कि चोरबाजारी को समाप्त करने तथा मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए उन्होंने कौन-कौन से प्रभावकारी कदम उठाए हैं । श्री ज्योतिर्मय बसु अभी-अभी यह कह रहे थे कि इस कानून को मूल्यों को रोकने अथवा चोरबाजारी तथा जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए इस्तेमाल नही किया जायेगा । लेकिन इस कानून को कार्यान्वियन किए बगैर भी वे मूल्य वृद्धि को नहीं रोक सके हैं । इसलिए जो लोग पीड़ित हैं उनके कल्याण का उपाय क्या है ?

श्री ए० के० राय (धनबाद) : यह एक विचित्र स्थिति है कि हमें यह मांग करने की जरूरत पड़ी है कि चोर बाजारी करने वालों तथा मुनाफाखोरी करने वालों को फांसी की सजा दी जानी चाहिये । इसे पंडित नेहरू ने कहा था, और हमने इसे पूरा न करने के लिये उनकी आलोचना की थी । अब हम इस साधारण तथा हानि रहित दिखने वाले विधेयक का विरोध कर रहे हैं । क्योंकि अनुभव से यह मालूम होता है कि कानून लोगों को कभी भी भ्रष्ट नहीं बनाता है, बल्कि कानून सत्ता को भ्रष्ट बनाता है, इसी कारण से हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं । अनुभव से हमें पता चलता है कि प्रत्येक बात केन्द्र में सत्ता के चरित्र, वर्ग व स्वरूप पर निर्भर करती है । इसी कारण से सदन में जोरदार आशंका व्यक्त की गई है कि इस विधेयक का दुरुपयोग किया जायेगा ।

मेरा यह न विचार है, और न ही मैं यह अपेक्षा करता हूं कि यह प्रणाली किसी भी प्रकार के निवारक नजरबन्दी कानून के बगैर चल सकती है । पिछली संसद में मैंने स्वयं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 को पूरी तरह से हटाने के लिये एक संशोधन प्रस्तुत किया था जिसके अन्तर्गत शासक दल को इस प्रकार के कानून को बनाने का अधिकार प्राप्त है । मुझे याद है,कि उस समय जो लोग सत्ता में थे, उन्होंने खड़े होकर यह कहा था कि यह एक अनिवार्य बुराई

है और हमें इसके साथ चलना ही है। अब वे ही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन मेरा विचार है कि यदि इस वर्ग का शासन जारी रहता है तो यह एक आवश्यक शर्त है। यह एक स्वाभाविक स्थिति है जिसे दूर नहीं किया जा सकता। हमें सत्ता की वर्तमान प्रणाली से ऐसे लोकतन्त्र की अपेक्षा नहीं करनी चाहिये जो निवारक नजरबन्दी कानून के बगैर चल सके। मैं जानता हूं कि निवारक नजरबन्दी कानून रहेगा, चाहे यह सज्जन विपक्ष में रहें या पक्ष में रहें। और विपक्षी दल हमेशा ही लोकतन्त्र की क्षति के खिलाफ आवाज उठाता रहेगा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी निवारक नजरबन्दी विधेयक एक राजनैतिक विधेयक है जबकि अनुचित ढंग से लाभ कमाना तथा चोर बाजारी करना सामाजिक बुराइयां हैं। प्रश्न यह है कि क्या किसी राजनैतिक विधेयक को सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिये उपयोग में लाना चाहिये। मैं कहता हूं "नहीं", क्योंकि एक राजनैतिक विधेयक कुछ संकुचित होता है जबकि सामाजिक बुरांइयों को दूर करने के लिये प्रचार तथा रहस्योद्‌घाटन करने की आवश्यकता होती है। इसलिये मैं कहता हूं कि उनका अधिक प्रचार किया जाना चाहिये। और कोई भी चीज छिपा कर नहीं रखी जानी चाहिये। पिछली संसद द्वारा उच्च पदों पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिये विशेष अदालतों सम्बन्धी विधेयक को पारित किया गया था। सरकार इस कानून को उपयोग में ला सकती है, अथवा इसके क्षेत्र को विस्तृत करने के लिये इसमें संशोधन कर सकती है ताकि इस प्रकार की बुराइयों, अपराधों को शीघ्र ही कारगर ढंग से निपटाया जा सके तथा उनको सार्वजनिक रूप से दण्ड दिया जा सके, तथा उन लोगों को जो इस प्रकार के अपराध करते हैं, सामाजिक बहिष्कार किया जा सके तथा उनको प्रभावी ढंग से दण्डित किया जा सके।

श्री विजय कुमार यादव (नालंदा)। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। जहां तक इस बिल के विरोध करने का सवाल है ब्लैक मार्केटिंग, प्रोफिटियरिंग और होर्डिंग करने वाले लोगों को रियायत देने का सवाल नहीं है। हमारी पार्टी बरावर इस बात के लिये लड़ती रही है कि ऐसे लोगों के साथ किसी तरह की कोई लीनियेंसी नहीं बरती जाय। लेकिन आज सदन के सामने जो सवाल पेश है कि बढ़ते हुए दामों को रोकने के लिये उस उद्देश्य से ब्लैक मारकेटिंग, होर्डिन्ग और प्रौफिटियरिंग के सिलसिले में जो पी० डी० एक्ट बनाने की बात की जा रही है, क्या इसका एक मात्र यही उपाय है ? हमारी पार्टी यह महसूस करती है कि हिन्दुस्तान में आज से नहीं वहुत पहले से प्रीवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट चलता रहा है। लेकिन इन कानूनों के रहते हुए भी जो तजुर्बा आज देश के सामने है वह यह है कि यह जो आर्थिक ईविल्स हैं इन पर रोक नहीं लगायी जा सकी। वहुत सारे कदम उठाये गये इस सिलसिले में और जब कभी पी० डी० ऐक्ट लागू करने की बात उठी और विरोधी पार्टियों की ओर से, खास तौर से वामपक्षियों की ओर से जब इसका विरोध किया जाता रहा तो सरकार पक्ष की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं होगा। लेकिन हमारा तजुर्बा है कि कोई भी पूंजीवादी सरकार वगैर पी० डी० एक्ट के नहीं चल सकती। अपने क्लास रूल को कायम रखने के लिये, विरोधी पार्टियों को दबाने के लिये यह आवश्यक है कि वह इस तरह का कानून बनाये

और उसका इस्तेमाल अपने विरोधी पार्टी वालों के लिये करे।

हिन्दुस्तान में केवल एक ही मौका आया 1970 में जब कांग्रेस का स्पिलिट हुआ था और श्रीमती इन्दिरा गांधी उस समय माइनारिटी में थीं। उस मौके पर हमारी पार्टी ने जो रुख लिया और उस दबाव में आकर केवल पी० डी० ए० ऐक्ट को उस समय खत्म किया गया। और उसकी अवधि लगभग 16 महीने की रही जब कि हिन्दुस्तान में प्रीवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट नहीं था। लेकिन उस समय का भी यह तजुर्बा है कि बावजूद इस बात के कि देश के अन्दर प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट नहीं रहा लेकिन जहां तक ब्लैक मारकेटिंग, प्रौफिटियरिंग और होर्डिन्ग का सवाल है उस समय के आंकड़े यह बतायेंगे, कि इस मामले में कोई बढ़ती नहीं हुई है। और बढ़ती उस समय हुई जब देश में इमरजेंसी आयी, ऐम० आई० एस० ए० लगा, और सरकार की ओर से एम० आई० एस० ए० को और ज्यादा खतरनाक बनाया गया। उस समय की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि ब्लैक मारकेटिंग आदि में बढ़ोत्तरी हुई। जब पंडित जवाहर लाल जी प्रधान मंत्री थे उस समय भी उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि इस का गलत इस्तेमाल नहीं होगा। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी आवश्सन दिया था और दूसरी सरकारों ने भी आश्वासन दिया, लेकिन व्यवहार में लगातार इसका गलत इस्तेमाल होता रहा। हमारी आशंका है कि जिस तरह के कानून बनाये जा रहे हैं उनके जरिये हिन्दुस्तान में मजदूरों के जो कानूनी आन्दोलन होंगे उनको भी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को मेन्टेन करने के नाम पर गलत इस्तेमाल करके मजदूरों के आन्दोलनों को दबाया जायगा।

केवल एक बात और इस सिलसिले में कहना चाहता हूं कि कई तरह के संशोधन आये हैं उनमें खास तौर पर जो माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्ता का अमेंडमेंट आया है जिसमें इस बात की चर्चा की गई है कि किन-किन स्थितियों में इसको अपराध नहीं माना जाएगा, वह मैं आपकी अनुमति से बढ़ देना चाहता हूं :

"परन्तु इस उपधारा के अधीन व्यवसाय संघ की किसी भी विधि सम्मत गतिविधि को जिसके अन्तर्गत हड़ताल या नियमानुसार करना आंदोलन भी आता है, अपराध नहीं समझा जायेगा।"

अगर सरकार यह आश्वासन देती है कि वह इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगी, तो वैसी हालत में इस संशोधन को मानना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका इस बात के लिये शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे ऐसे महत्वपूर्ण बिल के विषय में अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया है जिसका सम्बन्ध आज हमारे देश के करोड़ों गरीब इन्सानों से है। इस लोक-सभा से आज इस देश के करोड़ों गरीब लोग इस बात की अपेक्षा कर रहे हैं कि वह कुछ ऐसे कदमों को उठायेगी जिससे इस देश में मुनाफाखोरी की व्यवस्था का अन्त हो सके, जमाखोरी का अन्त हो सके। हमारी सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर इस बिल को यहां पर लाया गया है,

जो इस बात को परिलक्षित करता है, ध्वनित करता है कि वर्तमान सरकार, इन्दिरा जी की सरकार जनता की आकांक्षाओं और इच्छाओं को समझती है । इसके लिये मैं अपने मंत्री जी को और माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं ।

मैं ही नहीं, जो कोई अपनी मां का लाड़ला बेटा है, युवा आकाक्षाओं का प्रतीक है, उसको संजय होने में गर्व होना चाहिए ।

एक माननीय सदस्य : ओ हो ! (**व्यवधान**)

श्री हरीश रावत : मेरे भाइयो, इस तरीके से हल्लाकर आप किसी नये सदस्य का, जो पहली बार इस संसद में युवा आकांक्षाओं को व्यक्त कर रहा हो, टोकाटाकी कर के युवा-शक्ति का अपमान कर रहे हैं, देश के नौजवान लोगों का अपमान कर रहै हैं । यह इस बात को परिलक्षित करता है, बताता है कि आप किस तरह से सोचने के आदी हैं ।

कल इस सदन के माननीय सदस्य, नई दिल्ली द्वारा इस बिल को डिस्एप्रूव करने के लिये एक प्रस्ताव रखा गया है । मुझे इस बात का बड़ा खेद हुआ कि जिस बिल का सम्बन्ध पेट की समस्या से है, जिसका सम्बन्ध गरीबों की आकांक्षाओं से है, उसका यहां पर इस तरीके से विरोध किया जाये । यह इस बात को प्रमाणित करता है कि माननीय सदस्य गरीबों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ब्लैक-मार्केटियरिंग करते हैं, और मुनाफाखोरी व जमाखोरी करते हैं । यह बात इस बात से भी प्रमाणित हो जाती है कि कल इस सदन की दर्शक दीर्घा में केवल दो बड़े व्यक्ति जो कानपुर और बम्बई के समग्लर थे , यहां पर मौजूद थे, जिस समय माननीय सदस्य नई दिल्ली बोल रहे थे । मैं इस बात की पुरजोर मांग करता हूं और जानना चाहता हूं कि किस सदस्य के प्रमाण-पत्र के द्वारा वह लोग इस सदन की दीर्घा में आये थे ?

आज सारे उत्तरप्रदेश और बिहार में सरकारें जातीयता के आधार पर साम्प्रदायिकता के आधार पर कार्य कर रही हैं । वहां की सरकारें जातीयता के आधार पर संरक्षण प्रदान कर रही हैं और साम्प्रदायिकता के आधार पर वहां की प्रान्तीय सरकारें काम चला रही हैं । मैं तो सरकार से इस बात की मांग करता हूं कि यह जातीयता और साम्प्रदायिकता का विषधर साँप देश की एकता व मानवता को डसे, इससे बचने के लिए प्रिवैंटिव डिटैंशन एक्ट के जरिये ऐसी वातों को बढ़ावा देने वालों को कुचलने की व्यवस्था होनी चाहिए । (**व्यवधान**) यह दोनों आज देश की प्राथमिक समस्यायें हैं । यह चुनाव में एक प्राथमिक मुद्दा था हमारा और जनता ने हमें चुना है । (**व्यवधान**) ।

मैं जानता हूं कि इस सदन के अन्दर आज दो वर्ग ऐसे हैं, एक वर्ग तो माननीय सदस्य बागपत के नेतृत्व में जातीयता का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा वर्ग माननीय सदस्य नई दिल्ली के रूप में साम्प्रदायिकता का प्रतिनिधित्व करता है । निश्चित रूप में उनको मेरी बात बुरी लगी होगी, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि आज मुनाफाखोरों और ब्लैकमार्केटियर्स का ये दोनों वर्ग मिलकर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ।

मैं इन शब्दों के साथ मंत्री जी को और उनकी सरकार को इस बिल को यहां पर लाने के लिए बधाई देता हूं और इस सदन से आग्रह करता हूं कि इस बिल का समर्थन करे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : महोदय, यद्यपि इस विधेयक का नाम काफी प्रभावी और अच्छा है······(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं? क्या यही तरीका है?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं इस विधेयक का जो कुछ इसमें दिया हुआ है उससे विरोध करता हूं क्योंकि हम जानते हैं इसका राजनीतिक दवाव डालने के लिए प्रयोग किया जायेगा। इस सरकार को जैसी इस विधेयक में शक्ति दी गई है, प्रदान करने से इस देश में राजनीतिक स्वतन्त्रता और नागरिक अधिकारों पर रोक लगाने के लिए एक साधन मिल जायेगा। हमारे पूर्व अनुभव से यह दिखाई दिया है कि नागरिक स्वतन्त्रता तथा नागरिक स्वतन्त्रताओं का आशय वर्तमान सत्ताधारी दल के लिए अभिशाप है।

मैं इस थोड़े से समय में जो आपने मुझे दिया है उन सब बातों के बारे में जो कि इस थोडे से समय में हुई हैं बयान नहीं कर सकता हूं। किन्तु मुझे याद आता है कि 1971 में जब श्रीमती इन्दिरा गांधी सभा में वापस आईं --भारी बहुमत से—तो हमें रोज याद आता है—उन्होंने गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था तो पहला कानून जो इस सभा में आया वह 'मीसा' को अधिनियम में बदलने का था। उस समय श्री के. सी. पन्त ने, जो उस समय गृह मन्त्री थे, और अभी 'गया राम' हुए हैं, भारत सरकार की ओर से इस सभा में आश्वासन दिया था कि इसे राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जायेगा। यहां तक कि श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने जो विधिवत गृह मन्त्री थे, 'मीसा' संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान यह आश्वासन दिया था। किन्तु मैं इस सभा में किसी भी व्यक्ति को अथवा बाहर जो लोग हैं उन्हें कह नहीं सकता कि किस प्रकार 'मीसा' का राजनीतिक विरोधियों को सताने अथवा उत्पीड़न के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया गया। यह सिद्ध हो चुका है।

हमने पिछले वर्षों में देखा है कि वर्तमान सत्ताधारी दल के हाथ में निवारक निरोधक कानून उन लोगों को सताने, दबाने और उत्पीड़न के लिए एक साधन है जिन्होंने उस एक व्यक्ति का उल्लंघन किया तथा अनुसरण नहीं किया जिसने सभी संवैधानिक और राजनीतिक सिद्धान्तों के विरुद्ध राजनीतिक सत्ता पर अधिकार किया। अतः हम महसूस करते हैं कि यह ऐसा साधन है जिसे सत्ताधारी दल के हाथ में राजनीतिक विरोधियों को सताने तथा उनकी नागरिक स्वतंत्रताओं पर रोक लगाने के लिए प्रयोग किया गया।

जबसे सभा बैठी है और जबसे सरकार का गठन हुआ है हमें कई अवसरों पर यह कहा गया है कि उन्हें एक गम्भीर और बुरी बिरासत मिली है। किन्तु उन्हें नागरिक स्वतंत्रताओं पर रोक लगाने के लिए केवल इसी अध्यादेश की अध्यादेश का स्वागत है। एक भी शब्द इस बारे में नहीं कहा जा रहा है कि क्यों उन्हें यह चाहिए। यदि मैं यह कहूं कि कोई कानून प्रत्यक्षतः

आवश्यक वस्तु अधिनियम के उचित क्रियान्वयन की अपेक्षा चोर बाजारी और जमाखोरी पर प्रभावी नियन्त्रण नहीं रख सकता जबकि इस अधिनियम में सात वर्ष की कड़ी कैद की व्यवस्था है तथा जो चोर बाजारी करने वालों और जमाखोरों को भविष्य में इसी प्रकार के कारोबार करने से रोकता है और जिसमें उनके नाम समाचार पत्रों आदि में प्रकाशित करने की व्यवस्था है, उनका प्रचार किया जा रहा है। उन्हें मुकदमा चलाये बिना छः महीने तक जेल में रखने का इस प्रकार का कानून क्यों चाहिए ? और आप सम्भवत: कैसे आशा कर सकते हैं कि मूल्यों को नियंत्रित कर पायेंगे ? 'मीसा' में मूल्यों पर नियंत्रण करने के उपबन्ध थे किन्तु क्या इसका इस्तेमाल किया गया ?

मैं मन्त्री महोदय से कहता हूं कि वह सभा को तथा देश को बतायें कि क्या आपने 'मीसा' का उसके लिए प्रयोग किया ? क्या जब 'मीसा' था तो आप मूल्यों को नियन्त्रित कर सके जब इसमें इसी प्रकार की व्यवस्था थी। क्योंकि हम समझते हैं कि इसका उद्देश्य यह नहीं है। .... (**व्यवधान**)

हम समझते हैं कि यह धारणा बनाना भी एक उपहास है कि एक दल जिसकी नीतियों से दशकों तक चोर बाजारी और काले धन को पैंदा किया गया तथा जिससे अर्थ-व्यवस्था को नष्ट किया गया, क्या उसकी चोर बाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी को नियंत्रित करने की कोई राजनीतिक अथवा प्रशासनिक इच्छा है। हम समझते हैं कि जो लोग कानून के अन्तर्गत सुरक्षित हैं उन्होंने ही आर्थिक अपराधों से देश को बन्दी बना रखा है क्योंकि वे जानते हैं कि उनके मित्र आज शक्ति में हैं और वे यह भी जानते हैं इसके बास्तविक शिकार मजदूर, किसान, शिक्षक और मेहनतकश जनता होगी।

मन्त्री महोदय ने इस विधेयक को पुन: स्थापित करते समय यह संकेत किया था अथवा धमकी दी थी कि सरकार जानती है कि राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार के रास्ते पर कैसे लाना है। मैं मन्त्री महोदय से सीधे-सादे रूप में कहना चाहता हूं कि यदि आपको इस देश के संविधान के लिए कोई सम्मान है और यदि आपको इस देश के प्रशासन के संघीय स्वरूप में कोई विश्वास है तो किसी प्रकार की धमकी न दीजिए। आप हमें बंगाल की खाड़ी में फेंक सकते हैं किन्तु इस देश के लोग आपको हिन्द महासागर में फेंक देंगे।

मैं अपने विपक्षी मित्रों से केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जब 'मीसा' संशोधन आये तो मुझे याद है मैंने अपने मित्रों से कहा था कि ऐसे कानूनों का समर्थन न कीजिए क्योंकि आप एक दिन इसके शिकार बनेंगे और हुआ भी यही। श्रीमती इन्दिरा गांधी के दल के महत्वपूर्ण कांग्रेसी सदस्यों को बिना मुकदमा चलाये तथा बिना अवसर दिये 'मीसा' के अन्दर बन्द किया गया। मेरे जो मित्र भविष्य में उनके रास्ते पर नहीं आते उन्हें चोर बाजारी करने वालों और मुनाफाखोरों के रूप में अपराधी करार किया जायेगा और वे इस कानून के शिकार बनेंगे। आप यह न भूलें कि बात यहीं पर समाप्त हो जाती है। आप उन लोगों को शक्ति प्रदान कर रहे हैं जिनकी शक्ति की भूख शान्त होने वाली नहीं है। अत: मैं सरकार से सत्ताधारी दल और

अपने माननीय मित्रों से, जिनके लिए मेरी बड़ी श्रद्धा है, निवेदन करता हूं कि आप नौकरशाही को यह शक्ति न दें ।

***श्री एन. वी. ई. सेलवाराजू (तिरुचिरापल्ली) :** अध्यक्ष महोदय, इस महान सभा में अपना पहला भाषण आरम्भ करने से पहले मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों जिन्होंने राष्ट्र के इस सर्वोच्च प्रतिनिधि मंच पर मुझे भेजा है तथा अपने प्रिय नेता डा० कालेगनार करुणानिधि के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं । मैं अपने दल, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेता डा० कालेगनार करुणानिथि के प्रति आभारी हूं कि उन्होंने मुझमें अपना विश्वास प्रकट किया है ।

चर्चाधीन विधेयक 1979 में जारी किये गये राष्ट्रपति के अध्यादेश का स्थान लेगा जिससे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों जैसे चोर बाजारी, जमाखोरी आदि में सक्रिय समाज विरोधी तत्वों को नियंत्रित करना है जिनके कारण आवश्यक वस्तुओं की कमी होती है और उनके मूल्यों में भारी वृद्धि होती है । मैं द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की ओर से इस विधेयक का स्वागत करता हूं । हमारे देश के लोग चोर बाजारी करने वालों तथा जमाखोरों के कारण अकथनीय दु:ख सह रहे हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य किसी भी तरह से रुपया कमाना है । गांवों में आवश्यक वस्तुएं बिल्कुल उपलब्ध नहीं हैं । जहां वे उपलब्ध भी हैं, उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल 4 रु० से 5 रु० प्रति लिटर के हिसाब से बिक रहा है । किसानों को अपने पम्प सेटों के लिए 10 लिटर डीजल प्राप्त करने के लिए पूरा दिन व्यय करना पड़ता है । पैट्रोल पम्पों पर लम्बी लाइनें लगी हुई हैं । यह आम देखने में आता है कि सड़कों पर लारियों की 10, 20 लिटर डीजल की प्रतीक्षा के लिए लम्बी लाइन लगी हुई है । स्वभावत: आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में अत्यधिक विलम्ब होता है जिससे कमी और मूल्य वृद्धि दोनों बुराइयाँ होती हैं । मुझे विश्वास है कि इस विधेयक से उनके मन में भय पैदा होगा जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रत्येक उपलब्ध अवसर का लाभ उठाते हैं । धनी लोगों को अपनी बड़ी-बड़ी मशीनों को चलाने के लिए बड़ी मात्रा में डीजल चाहिए । डीजल को किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए उनके पास साधन हैं । परिणामस्वरूप, गरीब किसानों को अपने पम्पसेटों के लिए डीजल नहीं मिलता है । आम चुनावों के दौरान तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री को चीनी मालिकों द्वारा काफी रुपया मिला और उन्होंने बदले में चीनी की कृत्रिम कमी की । तमिलनाडु के कई भागों में चीनी 5 रु० से 8 रु० प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है । समाप्त करने से पहले मेरी मांग है कि केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री श्री एम. जी. रामचन्द्रन् के विरुद्ध कार्यवाही करे जो हाल के महीनों में चीनी की जमाखोरी और चोर बाजारी के लिए जिम्मेदार हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया है ।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर-मध्य) अध्यक्ष महोदय, ब्लैक-मार्केटिंग और होर्डिंग

* तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

के खिलाफ इस देश की आम जनता होगी और हम भी इस देश की जनता में हैं। मैं एक गृहणी होने के नाते बोलती हूं कि हम इसके खिलाफ हैं। जनता पार्टी की सदस्य के नाते से मैं कह सकती हूं कि जनता पार्टी ने भी जब प्रिवेंटिव डिटेंशन लाने की कोशिश की थी तो उस समय जनता पार्टी के सदस्यों ने उसका विरोध किया था और उसको वापिस लेने के लिए उस समय सरकार को मजबूर किया था और वह वापिस भी लिया गया था। इसलिये हमारा यह सवाल है कि जो प्रिवेंटिव डिटेन्शन ब्लैक-मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने के लिये किया जा रहा है वह सच है क्या? वह सफल बनेगा क्या? हमने बचपन में बहुत सी बातें सुनी थीं, हमारे पुराने नेता पंडित जी और वल्लभभाई पटेल, वगैरह कहते थे, वे चाहते थे कि ब्लैक-मार्केटियर्स को लैम्प पोस्ट पर फांसी दें, लेकिन कांग्रेस को पिछले तीस सालों में कभी एक भी लैम्प-पोस्ट नहीं मिला और इसी लिये किसी ब्लैक मार्केटियर की कोई सजा नहीं हुई। हमने देखा है कि जब कांग्रेस राज में सजा देने का कोई काम हुआ तो सजा किसको दी? पटरी पर बैठने वाली हरी मिर्च और धनिया बेचने वाली को पकड़ कर ले जाते थे, लेकिन ब्लैक-मार्केटियर्स और होर्डर्स को कभी कोई सजा नहीं दी गई। अब इस प्रिवेंटिव डिटेन्शन को लाकर विरोधी दल के इन्नोसेन्ट लोगों को पकड़ कर जेल में डांलने वाले हैं।

मैं 1974 की बात आपके सामने रखना चाहती हूं। उस समय दाम बढ़ रहे थे, मंहगाई हो रही थी और हमें राशन में कचरा-कूड़ा दिया जा रहा था, उस समय मैंने गरीब और मध्यम दर्जे की कई बहनों के साथ लालकिले के सामने प्रदर्शन किया था और कहा था कि हमें भाषण नहीं चाहिये, राशन चाहिये। तब हमारी प्रधान मन्त्री जी ने मंच से चिल्ला-चिल्ला कर कहा था कि "ये बहनें ऐसे परिवार से आई हैं जिन्होंने ब्लैक मार्केट और होर्डिंग की है" और बाद में आपातकाल में हमारे जैसी बहनों और बहुत सारे कार्यकर्ताओं को हजारों की तादाद में जेल में डाल दिया गया। अब आगे चल कर फिर यही होने वाला है ऐसा हमें लगता है। इस देश में अगर सच्चे मायनों में हमें ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को खत्म करना है तो हमें सोचना चाहिये कि हमें लोकतन्त्र पर विश्वास है या शासन-यन्त्रणा पर। राज-शक्ति किसी के हाथ में आ सकती है और जा सकती है, ऐसा अपना अनुभव है, अगर लोक-शक्ति पर हम विश्वास करते हैं तो कन्ज्यूमर आर्गोनजेड्शन्ज को हमें मजबूत बनाना चाहिये और उसके हाथ में अधिकार देना चाहिये। मोहल्ला कमेटीज बना कर विजिलेंस का अधिकार उनको देना चाहिये। मैं अपना पूरा अनुभव आपके सामने रखती हूं ब्लैक मार्केटिंग की वजह से ही दाम बढ़ते हैं ऐसी बात नहीं है, सरकार की नीतियों की वजह से भी दाम बढ़ते हैं। इस सम्बन्ध में मैं दो-तीन बातें आपको बताना चाहती हूं। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई तो उस समय चाय की कीमत जो एमर्जेन्सी से पहले 16 रु० किलो थी, वह बढ़ कर 25-30 रुपये किलो हो गई थी। कन्ज्यूमर आर्गनिजेशन्ज के प्रतिनिधि के नाते हम लोग मन्त्री जी से मिलने गये, तो उन्होंने कहा कि हम इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला, चाय गार्डनर्ज के मालिकों ने बताया कि हमने करोड़ों रुपया कांग्रेस पार्टी को चुनाव के लिये दिये हैं······

(व्यवधान)

इसी तरह से मैं दूसरी मिसाल देना चाहती हूं। 1974 की बात है। जब उत्तर प्रदेश में मध्यावधि चुनाव होने जा रहे थे, उस समय की बात बताती हूं। टैक्सटाइल मिल के कपड़ों पर स्टॅपिंग करने का जो तरीका था, उसको श्रीमती इन्दिरा जी की सरकार ने यकायक बदल दिया। 1974 तक एक्स फैक्टरी प्राइस पर 21 प्रतिशत मार्जिन आफ प्राफिट काफी समझा जाता था। कपड़ों पर एक्स फैक्टरी प्राइस, मार्जिन आफ प्राफिट और रिटेल प्राइस स्टम्प किया जाता था। लेकिन स्टॅपिंग सिस्टिम में ढील करके, सरकार के हुक्म से ही उस समय से सिर्फ मैक्सीमम प्राइस स्टम्प होने लगी। इसी प्रकार से मिल मालिक और व्यापारियों को 65 से 300 प्रतिशत मार्जिन आफ प्राफिट करने दिया। जब पूछा गया तो जवाब मिला चुनाव में पैसा दिया है, अब क्या करें।

(व्यवधान)

इसलिए कहना है कि अगर आप ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग रोकना चाहते हैं तो उसके लिए पोलीटिकल विल चाहिए। अगर इसके पीछे पोलीटिकल विल होगी तभी आप एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को मजबूत बना सकेंगे। मैं कहती हूं आप डी-मानेटाइजेशन करें और काले पैसे को बाहर निकालें तो ब्लैक मार्केटिंग कैसे होगी? इसके लिए आप एलेक्टोरल रिफार्म कीजिए। जब एलेक्शन में यह पैसा इस्तेमाल नहीं होगा तभी आप कुछ कर सकेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था आपको करनी चाहिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को लाकर आप विरोधी दल के कार्यकर्ताओं को ही नहीं बल्कि हमारी गरीब बहनों को भी जेल में डालने का काम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री सी. पी. एन. सिंह। केवल पांच मिनट ही बोलियेगा।

श्री सी. पी. एन. सिंह (पदरौना) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमती दण्डवते तथा माननीय श्री चन्द्रजीत यादव, आदि जैसे पहले वक्ताओं ने कहा है कि वे इस विधेयक का विरोध करते हैं।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस महान देश भारत की जनता ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को सत्ता की बागडोर पुनः इसलिए सौंपी है कि वह एक दल का नेतृत्व कर रही है और जो वह कहती हैं उसका कार्यान्वियन करने की उनकी राजनीतिक इच्छा है। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस निवारक नजरबन्दी विधेयक का क्षेत्र और भी व्यापक बनाया जाये। दुर्भाग्य से इस समय उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां लोकदल का शासन है, वहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में जीवनोपयोगी वस्तुओं का अभाव है। गरीब पूर्ण अन्धकार में जीवन-यापन कर रहे हैं और जनता पार्टी में कालाबाजारियों, मुनाफाखोरों और जमाखोरी जो राज्य में अभाव उत्पन्न कर रहे हैं नियन्त्रण करने की राजनीतिक इच्छा का अभाव है। इस प्रकार की राजनीतिक इच्छा के अभाव के कारण राज्य में उपरोक्त प्रकार का वातावरण पैदा हो गया है; मैं इस प्रश्न को बड़े समय से उठाने का प्रयास कर रहा था किन्तु दुर्भाग्य से संसद के इन नियमों और विनियमों के कारण अथवा बदकिस्मती के कारण मेरा नाम बैलट में नहीं आया जो कि

एक प्रकार की लाटरी है और इसलिए मैं यह प्रश्न उठाने में सफल न हो सका ।

महोदय, नारायणपुर गांव में आतंक फैलाया गया है । उस गांव की महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया । मुख्य मन्त्री श्री बनारसी दास ने यह कहने का दुःसाहस किया कि कुछ हुआ ही नही । मैं अपनी प्रधान मन्त्री की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं कि मैंने जब उन्हें इस घटना के बारे में लिखा और उन्हें बताया कि मैं इसे सदन में नहीं उठा सका तो उन्होंने उसी समय मुख्य मन्त्री से सम्बन्ध स्थापित किया । श्री संजय गांधी ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो वहां गए हैं और वहां की दुःखी माताओं और वेटियों और गरीब जनता के पास जाकर उनके कष्टों को सुना है ।

मैं विपक्ष को याद दिलाना चाहता हूं कि हम आयु में छोटे हो सकते हैं और इस सदन में नये आये हैं किन्तु हम आपके शोर-शराबे के आगे झुकेंगे नहीं । (**व्यवधान**)

हम भारत की उस जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने आपको निकाल बाहर फैंका है ।

महोदय, मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि श्री जार्ज फर्नान्डिस जब मन्त्री थे तो उन्होंने 1977, 1978 और 1979 के अपने भाषणों में प्रगतिशील दशक और विकासदर जैसी शब्दावली का बड़े सुन्दर और मृदु ढंग से उल्लेख किया किन्तु यदि आप 1977-78 की आर्थिक समीक्षा का अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि औद्योगिक अशान्ति तथा उनके डाइनामाइट दशक के कारण औद्योगिक उत्पादन में भारी गिरावट आई है । उन्होंने गांवों में उद्योग स्थापित किये जाने की भी बात कही । किन्तु उन्होंने किया क्या है ? उन्होंने सीमेन्स, फिलिप्स और लिली बिस्कुट कम्पनी जैसे बड़े बहु-राष्ट्रिक निगम बनाये । महोदय, बातें तो बहुत की गई हैं किन्तु दुर्भाग्य से इस देश की राजनीतिक इच्छा श्रीमती इन्दिरा गांधी के सशक्त हाथों में कांग्रेस (आई०) के साथ है और मुझे पूरा विश्वास है कि गरीब और पद दलित जनता को अराजकता और कुशासन से मुक्ति मिलेगी और वह चैन से जी सकेंगे ।

वाणिज्य और इस्पात तथा खान और नागरिक पूर्ति मन्त्री

(श्री प्रणव मुखर्जी) : अध्यक्ष महोदय, जिन सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लेकर अपने विचार व्यक्त किये हैं, मैंने उन्हें ध्यानपूर्वक सुना है ।

महोदय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, जिन्होंने सांविधिक संकल्प प्रस्तुत किया था, इस विधेयक का विरोध किया है । उन्होंने यहां तक कह दिया है कि यदि इस विधेयक के स्थान पर कुछ अन्य कानूनी प्रावधान लाये जायें अर्थात् आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाये तो वह अपने दल का समर्थन भी देंगे अतः उन्होंने अब इस विधेयक का विरोध करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है । मैं श्री वाजपेयी द्वारा या मार्क्सवादी दल के प्रतिनिधि द्वारा इस विधेयक का विरोध किये जाने की बात तो समझ सकता हूं किन्तु मुझे लोक दल के नेता का व्यवहार देख कर दुख हुआ है जिन्होंने इस बात का औचित्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया है

कि यह विधान एक निश्चित समय पर आवश्यक था।

एक माननीय सदस्य : (राजनीतिक स्थिति के कारण) राजनीतिक स्थिति का कोई सम्बन्ध नहीं है। वह कहते हैं कि यह विधान एक निश्चित समय तक आवश्यक था क्योंकि उस समय यह समझा जा रहा था कि जमाखोरो, काला बाजारियों और मुनाफाखोरों द्वारा कमियों का लाभ उठाया जा रहा था अतः उस समय इस विधान को आवश्यक समझा गया। यह विधान एक निश्चित समय अर्थात् 15 अक्तूबर से चुनावों की तारीख तक या नई सरकार की गठन की तारीख तक तो आवश्यक था। खैर, मैंने इस प्रकार का हास्यास्पद तर्क पहले कभी नहीं सुना था। यदि वह कहते हैं कि आवश्यक वस्तुओं की कमी अक्तूबर में थी तो वह कमी अब भी जारी है। यदि उस निश्चित समय पर जमाखोर तथा चोरबाजारिए कमियों का लाभ उठा रहे थे तो वह अब भी उस अवसर का लाभ उठा रहे हैं, आज भी वह ऐसा कर रहे हैं। अतः वह इस बात को कैसे कह सकते हैं कि जो विधान एक निश्चित समय पर आवश्यक था, अब नहीं है। मैं इस तर्क के औचित्य को समझने में असमर्थ हूं।

महोदय, यह प्रश्न उठाया गया है कि हम इस विधान का समर्थन क्यों कर रहे है ? किन्तु माननीय सदस्य न केवल इस अध्यादेश को बल्कि सभी अध्यादेशों को भूल गये हैं। हमें इसका समर्थन कुछ आवश्यक कारणों से करना पड़ रहा है। हमारी कुछ आपत्तियां थीं। मैं इस विधान के बारे में बाद में अपने विचार व्यक्त करूंगा। उदाहरण के तौर पर, जब आपने आकस्मिक निधि सीमा बढ़ाई थी तो हमने उसका विरोध किया था, लेकिन हम कर क्या सके ? आपने उस सीमा में वृद्धि की है और उस धनराशि को व्यय भी कर दिया है। उस धनराशि को नियमित करना है।

श्री चन्द्रजीत यादव : आपके नेता ने उस समय अध्यादेश का विरोध क्यों किया था ?

श्री प्रणव मुखर्जी : हमें उसका विरोध करना पड़ा और हम उसका विरोध कर रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : अब आप यह कह रहे हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं अध्यादेश के बारे में कह रहा हूं। हमें उसका दो कारणों से विरोध करना पड़ा। आपने एक कारण को तो बड़ी सुगमता से भुला दिया है। हमें इस अध्यादेश का इस कारण से विरोध करना पड़ा कि एक काम चलाऊ सरकार, जोकि एक भी दिन संसद में नहीं बैठी, वह अध्यादेश के रूप में आधारभूत परिवर्तन ला रही थी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपके समर्थन से !

श्री प्रणव मुखर्जी : आपके समर्थन से भी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कभी नहीं, हमने अपना समर्थन नहीं दिया।

श्री प्रणव मुखर्जी : आप ऐसी बातें कर रहे हैं किन्तु क्या आपके श्री ज्योति बसु ने

लन्दन से हवाई जहाज से लौट कर श्री मोरारजी देसाई को अपना समर्थन देने से इन्कार नहीं किया था ? आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं ?

हमें इस अध्यादेश का इसलिये समर्थन करना पड़ा क्योंकि आपने इसके अन्तर्गत कुछ कार्यवाही की। हमें इसका औचित्य सिद्ध करना था। जहां तक इस विधान का सम्बन्ध है, हम इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं ? हम इसका समर्थन इसलिये कर रहे हैं कि हमने सोचा, जब आप इसे लाये हैं तो उससे यथा सम्भव लाभ उठाया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : श्री बसु, आपको भी अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। अतः मुझे बोलने दीजिये व्यवधान मत डालिये। महोदय, श्री वाजपेयी और श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि मैं राज्य सरकार को धमकाना चाहता हूं। श्री वाजपेयी ने मुझे उद्धृत करके 'शब्दों' का प्रयोग उसी प्रकार किया है किन्तु उसको स्पष्ट नहीं किया और मैं उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मैंने क्या कहा था। मैंने यह कहा था कि यदि राज्य सरकार एकदम स्पष्ट कहती है कि वह इस अधिनियम का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। धारा 3 में आपने यह प्रावधान किया है कि नजरबन्दी आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा भी जारी किये जा सकते हैं। स्थिति ऐसी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह इसमें नया प्रावधान किया गया है।

श्री प्रणव मुखर्जी : नहीं, यह नया प्रावधान नहीं है। यह अध्यादेश में ही था। यह हमारी क्षमता के क्षेत्र में है। और यदि कोई राज्य सरकार यह कहती है कि यदि केन्द्रीय सरकार अध्यादेश जारी करेगी तो हम उसे लागू नहीं करेंगे तो भारत सरकार उस स्थिति को सहन नहीं करेगी यही मेरा आशय था और मैंने यह बात स्पष्ट कर दी है। इसलिये ही मैंने 'हमारी क्षमता क्षेत्र शब्दावली का प्रयोग किया था। महोदय, यह बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। संसद विधान बनाती है और राज्य सरकार कहती जा रही है, "हम इस बिधान को लागू नहीं करेंगे।" उनका अपना क्षेत्राधिकार है। यदि संसद राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करती है तो संविधान के अनुसार आप ऐसा नहीं कर सकते; उसके लिये संविधान में समाधान प्रस्तुत है। किन्तु जब संसद का क्षेत्राधिकार हो, भारत सरकार का जहां क्षेत्राधिकार हो तो वह विधान बनायेंगे और यदि कोई मुख्य मन्त्री आकर यह कहता है, "हम इसे लागू नहीं करेंगे," भारत सरकार को मूक दर्शक बनना होगा। मैं ऐसी स्थिति को नहीं समझ सकता। इस प्रकार की स्थिति को और अधिक सहन नहीं किया जा सकता। अतः इस प्रकार की स्थिति में प्रश्न यह नहीं है कि हम अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाना चाहते हैं। इस प्रकार की कोई बात नहीं है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के बारे में भी काफी कुछ कहा गया है। श्री सोमनाथ चटर्जी ने भी कहा है, "हम इस अधिनियम से फायदा क्यों नहीं उठा सकते।" मैं उनकी सरकार का ही एक उदाहरण देना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार एक प्रगतिवादी सरकार है।

पश्चिमी बंगाल में विभिन्न न्यायालयों में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत 17400 से अधिक मामले लम्बित पड़े हैं। हमने पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री को पत्र लिखा है कि क्या आप ऐसे मामलों की सुनवाई के लिये किसी प्रकार के न्यायालयों का गठन कर सकते हैं? इस पत्र तक का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने पत्र कब लिखा ? (**व्यवधान**) मैं पूछता हूं कि यह पत्र कब लिखा गया ?

श्री प्रणव मुखर्जी : 17400 मामले लम्बित पड़े हैं और वे आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन से सम्बन्धित हैं।

(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : व्यवधान न डाला जाये। मेरी अनुमति के बिना कुछ भी रिकार्ड न किया जाये।

श्री प्रणव मुखर्जी : जब राज्य सरकार को यह सुझाव दिया जा रहा है कि न्यायालय तय किये जाये ......

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : (व्यवधान न डालिये : माननीय सदस्य बैठ जाये।

श्री प्रणव मुखर्जी : अत: जब हम कहते हैं कि आप न्यायालय तय कर लीजिये तो इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। क्या आप आशा कर सकते हैं कि वह आवश्यक वस्तु अधिनियम को लागू करेंगे। मेरे पास आंकड़े हैं। मैं इन्हें दिखा सकता हूं। कितने मामलों में कितने व्यक्तियों को दण्डित किया गया। यह आपकी सरकार है मेरी नहीं। राज्य प्रशासन मैं नहीं चला रहा हूं। यह आपकी पुलिस है जो उन्हें दण्ड देगी। जब इन व्यक्तियों को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो कानूनी कमियों के कारण न्यायालय कोई कार्यवाही नहीं कर पाती। जब आपको विशेष उपाय करने के लिये कहा जाता है तो आप उसे करते नहीं है और आप संसद में आकर यह कहते हैं कि आप इस विधान को लागू नहीं करेंगे।

निवारक नजरबन्दी कानून के दर्शन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अधीन।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ये राज्य सरकार की निंदा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में मैं निर्णय दे चुका हूं। नहीं, श्री बसु, नहीं !

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रणव मुखर्जी : आपने अनुमति नहीं दी है। ये इस मामले को नहीं उठा सकते। ये अपने स्थान पर बैठ जायें।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु, कृपया इस मामले को न उठायें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : राज्य सरकार के अधीन जो मामला है। ये उस पर विचार नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : वह उस मामले पर कुछ नहीं कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 241 में राज्य सरकार सम्बन्धी मामलों का उल्लेख है।

श्री प्रणव मुखर्जी : निवारक नजरबन्दी के बारे में वहुत कुछ कहा जा चुका है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने पत्र कब लिखा ? आज सुवह ! आपने पत्र आज सुवह लिखा।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं आपके यहां सरकारी पत्राचार नहीं दिखाऊंगा। आप चाहें तो मैं आपको तारीख बता सकता हूं। श्रीमान, निवारक नजरबंदी के बारे में बहुन कुछ कहा जा चुका है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु कृपया आप बैठ जायें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्हें बताने दीजिये। वे बतायें कि उन्होंने पत्र कब लिखा।

अध्यक्ष महोदय : वह······

श्री ज्योतिर्मय बसु : ये नहीं वतायेंगे क्योंकि शायद इन्होंने पत्र आज सुवह ही लिखा होगा।

श्री प्रणव मुखर्जी : इन्हें सभा को गलत सूचना देने की आदत सी है।*

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाये।

(व्यवधान)

श्री प्रणव मुखर्जी : यदि माननीय सदस्य असंतुष्ट हैं तो मैं इसे वापिस लेता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने इसे वापिस ले लिया है। आप लोग अपने-अपने स्थानों पर बैठ जायें। ये इसे वापिस ले चुके हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह अपने शब्द भी वापिस लें।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने वापिस ले लिए हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें।

श्री प्रणव मुखर्जी : उसके लिये मुझे खेद है। मैं इन शब्दों को पहले ही वापिस ले चुका हूं। अब निवारक नजरबंदी की पृष्ठभूमि के बारे में·········

श्री चन्द्रजीत यादव : किसी सदस्य को ब्लैकमेलर कहना असंसदीय है। उन्हें यह शब्द वापिस लेना चाहिये।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं वापिस ले चुका हूं। यह वही जनता सरकार है जिसने निवारक नजरबंदी कानून ही कायम रखा है।

(व्यवधान)

श्री प्रणव मुखर्जी : निवारक नजरबन्दी को संविधान में कायम रखा गया। जब उन्होंने संविधान में संशोधन किया तो उन्होंने निवारक नजरबन्दी सम्बन्धी प्रावधान को परिवर्तित नहीं किया। उन्होंने ही इसे कायम रखा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह तरीका न तो आपके लिये और न ही औरों के लिये उचित है। मैंने उस बात का ध्यान रखा है। अब आप अपने स्थान पर बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री प्रणव मुखर्जी : अब ये निवारक नजरबन्दी का विरोध कर रहे हैं। जनता पार्टी के सदस्य ने यह बताने का प्रयास किया है······**(व्यवधान)**। यदि आप निवारक नजरबन्दी के विरुद्ध हैं तो आपने इसे संविधान में जनता शासन में संशोधन के दौरान कायम क्यों रखा? आपने दंड संहिता प्रक्रिया में कुछ नये प्रावधानों की व्यवस्था क्यों की? अतः उनका यह कहना बहुत ही अनुचित है कि वे निवारक नजरबन्दी के विरुद्ध हैं। निवारक नजरबन्दी 1952 से ही संविधान में है। निवारक नजरबन्दी थोड़े दिन के लिये नहीं थी। किसी माननीय सदस्य ने ऐसा कहा है और मैं जनता सरकार को श्रेय देता हूं कि केवल 1978 में ही निवारक नजरबन्दी नहीं थी। माननीय सदस्य की सूचनार्थ मैं कह सकता हूं कि 1970 से कोई भी निवारक नजरबन्दी नहीं थी। 1971 में इसे पुनः लागू किया गया। 1970-71 के बीच निवारक नजरबन्दी नहीं थी। जहां तक इस विधेयक के अनेक प्रावधानों का सम्बन्ध है, इसमें सभी सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की जा चुकी है। बन्दी की बात नहीं सुनी जायेगी, ऐसी बात नहीं है। सलाहकार बोर्ड की व्यवस्था भी की गयी है जिसका अध्यक्ष सेवा-निवृत्त न्यायाधीश होता है। सभी सदस्य या अध्यक्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को उच्चाधिकारियों की अनुमति बिना 15 दिन से अधिक नजरबन्द नहीं किया जा सकता जो राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार ही हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की स्वीकृति बिना 2 महीने से अधिक नजरबन्द नहीं किया जा सकता है। अतः उचित सुरक्षा या बचाव की व्यवस्था संविधान में की गयी है, यद्यपि जनता सरकार ने इसे लागू नहीं किया है और इन बचावों की व्यवस्था अध्यादेश तथा विधेयक में ही की गयी है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को पारित करने की सिफारिश करता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश को अस्वीकृत करने की मांग करते हुए मैंने जो तर्क उपस्थित किये थे और बाद में जिन तर्कों को मेरे बाद बोलने वाले विपक्ष के सदस्यों ने पुष्ट किया था उनका कोई समाधानकारक उत्तर हमारे वाणिज्य मन्त्री नहीं दे सके। उन्होंने छींटाकशी लोक दल के सदस्यों पर की। उनका आरोप है कि लोक दल ने अपना रवैया बदल लिया है। अध्यक्ष महोदय, लोक दल ने इसलिये अपना रवैया बदल लिया है क्योंकि सरकार बदल गई है। ......

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : लोक दल या दलदल ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सरकार किसी कानून का दुरुपयोग करेगी या नहीं करेगी यह कसौटी है जिस पर इस तरह के कानूनों को कस कर देखना होगा। किसी सरकार के आचरण के बारे में फैसला देने से पहले या भविष्य के बारे में फैसला देने से पहले उस सरकार के भूतकाल को देखना होगा। ...... **(व्यवधान)** अब यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो महानुभाव हमारे सामने बैठे हुए हैं उनका भूतकाल बड़ा भयानक है। ..

(व्यवधान)

आश्वासन देने के बाद एम. आई. एस. ए. का दुरुपयोग हुआ। .. **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : जमाखोरी करने वाले सब यही कहते हैं कि बड़ा भयानक भूत-काल है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह कानून सरकारी अफसरों को व्यापक अधिकार देता है। कल भी मैंने इसका उल्लेख किया था और मन्त्री महोदय यह कह कर नहीं बच सकते कि नजरबन्दी कितने दिन की है सिर्फ 12 दिन की है। फिर एडवाइजरी बोर्ड में जायगा।

मैंने दिल्ली का एक उदाहरण दिया था 8 गिरफ्तारियां की गयीं। 7 तो एडमिनिस्ट्रेटर ने छोड़ दिये और आठवां मामला एडवाइजरी बोर्ड के सामने गया। उसने छोड़ दिया। मगर जो लोग 10 दिन, 12 दिन या 20 दिन जेल में रहे अध्यक्ष महोदय, उनकी प्रतिष्ठा उनकी स्वाधीनता का अपहरण समाज में निन्दा का पात्र बनने का उनके लिये जो कलंक लगा उसके लिये कौन दोषी है ?

अब यह अधिकार दिया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या पुलिस कमिश्नर को मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस कमिश्नर किस की रिपोर्ट पर कार्यवाही करेगा ? वह स्वयं तो हर मामले को नही देख सकता। किसी थाने का सब-इन्स्पेक्टर मामला लायेगा, किसी तहसील का अधिकारी मामला लायेगा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर उसके आधार पर नजरबन्दी का आदेश देंगे। वह आदेश भले ही बाद में रद्द हो जाय। मगर व्यक्ति की स्वाधीनता चली जाएगी। .. **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह सोचने की बात है। आप सब लोग माननीय सदन के सदस्य हैं, और सदन में इस तरह से बैठे-बैठे बात करते हैं, एक दूसरे से वितंडावाद करते हैं यह हमें शोभा नहीं देगा। आप बात सुनिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं आप से सहमत हूं।

यह बिल्कुल ठीक नहीं है। कम से कम मैं जब बोल रहा हूं तब ऐसा नहीं होना चाहिये। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय : नहीं वह अपने लिए ही नही हंस रहे हैं, यह सब के लिए है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मंत्री महोदय ने कहा ऐसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत जो मामले आते हैं उनको निपटाने में देर लगती है।

उन्होंने पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया, राज्य सरकार पर दोषारोपण भी किया, मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह प्रिवैंटिव डिटैंशन का कानून भी किसके द्वारा इस्तेमाल में लाया जायेगा ? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रदेश सरकार का होगा या केन्द्रीय सरकार का होगा ? पुलिस कमिश्नर प्रादेशिक सरकार के अन्तर्गत आयेगा या केन्द्रीय सरकार उसको सीधा निर्देश देगी।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री प्रणब मुखर्जी : धारा 3 देखिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए प्रादेशिक सरकारों पर आपको पर आपको विश्वास करके चलना पड़ेगा, प्रादेशिक सरकारों का आपको सहयोग लेना पड़ेगा। सहयोग लेने के लिए उचित वातावरण बनाना पड़ेगा। मन्त्री महोदय ने सफाई दी है कि उन्होंने कोई धमकी नहीं दी। कहते हैं कि "विद् इन दी एरिया आफ कम्पीटैंस" से होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि यह प्रिवैंटिव डिटैंशन का मामला है, इसमें राज्य सरकार को इस कानून पर अमल करने के लिए वह किस तरह से विद इन दी एरिया आफ कम्पीटैंस में मजबूर कर सकते हैं ? आप और क्षेत्रों में बदले की कार्यवाही करें, वह अलग बात है।

मैंने इस बात का भी कल उल्लेख किया था और मंत्री महोदय ने कोई उत्तर नहीं दिया कि चोरबाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही हो, इसमें दो राय नहीं, मगर इस विधेयक को केवल व्यापारियों तक सीमित नहीं रखा गया है, ट्रेड यूनियन अधिकारों पर भी हमला करने की कोशिश की जा रही है। मजदूर अगर उचित बात के लिए भी हड़ताल करेंगे तो यह कहकर कि वह उत्पादन में बाधा डाल रहे हैं, उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। क्या यह आवश्यक है ?

एक माननीय सदस्य : आप इसे ट्विस्ट कर रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर मैं ट्विस्ट कर रहा हूं, तोड़ मरोड़ रहा हूं तो श्री इन्द्रजीत गुप्त ने इस सम्बन्ध में एक संशोधन दिया है, मन्त्रीं महोदय उसको स्वीकार कर सकते हैं। जो हमारे मन में आशंका है, वह निराधार नहीं है। यह केवल इसलिए नहीं है कि सरकार आपके हाथ में आ गई है। आप इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी में भेज सकते थे, एसेन्शियल कमोडिटीज एक्ट में क्या संशोधन किया जाये, इसके बारे में सरकारी पक्ष और प्रति-पक्ष बैठकर विचार-विनिमय कर सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अगर संशोधन करना आवश्यक है तो उसके बारे में भी सोचा जा सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि बढ़ी हुई कीमतों को रोकने के लिए आपके पास नजरबन्दी करने के अलावा और कोई कारगर उपाय नहीं है। मेरा निवेदन है और वाणिज्य मन्त्री इसको स्वीकार करेंगे कि अगर वस्तु का उत्पादन कम होता है और अभाव होता है तो कीमतें बढ़ती हैं, चोरबाजारी को भी प्रश्रय मिलता है, जमाखोरी करने की प्रवृति बल पकड़ती है। **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : यह तो आपकी फिलासफी थी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह फिलासफी की बात नहीं है, शुद्ध अर्थशास्त्र की बात है, मगर उनको समझ में नही आयेगी **(व्यवधान)**

मेरा निवेदन है कि मंहगाई को रोकने के लिए कुछ दूरगामी और तात्कालिक उपाय अपनाने पड़ेंगे। अगर तात्कालिक उपायों में केवल आपके पास नजरबन्दी कानून ही शस्त्रागार में है तो मुझे भय है, उससे यह उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

जमाखोरी हो रही है या नहीं हो रही है, यह तय करने के लिए आपको पहले व्यापारी कितना माल अपने पास रख सकता है, इसकी सीमा तय करनी पड़ेगी। मुनाफाखोरी हो रही है या नहीं हो रही है, इसके लिए चीजों के दाम तय करने पड़ेंगे। चीजों के दाम तय करते समय यह ध्यान रखना होगा कि अगर खुले बाजार में वह चीजें उपलब्ध नहीं होंगी तो आपको नागरिकों को वह चीजें, जो दाम निर्धारित किए हैं, उस पर मुहैय्या करानी होंगी अगर आप मुहैय्या नहीं करायेंगे और दाम निर्धारित कर देंगे तो चीजें चोरबाजारी में चली जायेंगी और जो थोड़ी-बहुत मिलती हैं, वह भी नहीं मिलेंगी।

यह सारी आर्थिक प्रक्रिया बड़ी जटिल है। यह सरल नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री हरीश रावत : हम अपना काम जानते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप अभी आये हैं। आप कुछ नहीं जानते हैं।

श्री हरीश रावत : आप जो कुछ जानते हैं, वह पिछले ढ़ाई सालों में प्रमाणित हो चुका है।

श्री सी० पी० एन० सिंह (पदरौना) : माननीय सदस्य दुनिया भर में घूमते-घूमते हिन्दुस्तान को भूल गये हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं हिन्दुस्तान को भले ही भूल जाऊं, हिन्दुस्तान मुझे नहीं भूला है, और आपका सिर खाने के लिए मैं यहां मौजूद हूं। (**व्यवधान**) मेरा निवेदन है कि अभी भी समय है। मंत्री महोदय इस मामले पर शान्ति से विचार करें। मैं फिर कहना चाहता हूं कि बुनियादी सवाल पर कोई मतभेद नहीं है। जो सामाजिक अपराधी हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। मगर कार्यवाही की प्रक्रिया क्या हो ? क्या अधिकारियों को असीमित अधिकार दिये जायें ? क्या व्यक्तिगत स्वाधीनता का अपहरण करने का हक दिया जाये ? क्या उसका दुरुपयोग सम्भव नहीं है ? क्या अतीत में वह नहीं हो चुका है ? क्या पंद्रह दिनों के आपके आचरण से हमारी आशंकायें और नहीं बढ़ती हैं ?

आप आपोजीशन के इस आफर को क्यों नहीं मान लेते हैं कि एसेंशल कामोडिटीज़ एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आवश्यक संशोधन किये जायें और एक ऐसा सर्वसम्मत ड्राफ्ट निकाला जाये, जिसे सदन के सभी भागों का समर्थन प्राप्त हो ? (**व्यवधान**) पुलिस रिपोर्ट जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने जायेगी। अगर जुडिशल मैजिस्ट्रेट कहे कि अभियुक्त को कस्टडी में रखा जाये, तो कोई आपत्ति नहीं होगी। हमने इस आशय का संशोधन रखा है। हत्या के मामले में भी जुडिशल कस्टडी का आदेश जुडिशल मैजिस्ट्रेट देता है, पुलिस कमिश्नर नहीं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नहीं। हमारे इस संशोधन को आप स्वीकार कर सकते हैं और ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं, जिस पर हम मिल कर चल सकते हैं, नहीं तो हमें रास्ता रोक कर खड़ा होना पड़ेगा।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसन सोल) : क्या आपके 33 महीनों के शासनकाल के दौरान कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है ? आप एक भी आदमी का नाम बताइये जिसे गिरफ्तार किया गया है ? आप एक भी आदमी का नाम बताइये जिसे गिरफ्तार किया गया हो।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संकल्प को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : वे काला बाजारी तथा जमाखोरी का समर्थन कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा पेश किया गया सांविधिक संकल्प सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 अक्तूबर, 1979 को प्रख्यापित चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अध्यादेश, 1979 (1979 का अध्यादेश संख्या 10) का निरनुमोदन करती है।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

विभाजन सूची संख्या 6

मध्यान्ह पश्चात् 1·24 बजे

पक्ष में	बिपक्ष में
अनवर, अहमद श्री	अनवर, श्री तारिक
अबेदिन, श्री जायनल	अमालानायडू, श्री एम. आर. ए, एस.
इन्द्रवेश, श्री	अब्बासी, श्री काजी जलील
किंकर, श्री राम	अरावकल, श्री एक्सवेयर
कुमार, श्री गिरि सुधीर	अरुणाचलम, श्री एम०
खाँ, श्री गय्यूर अली	अहमद, वेरिस्टर गुलशेर
गुप्त, श्री इन्द्रजीत	अहमद मोहम्मद असरार
गोयल, श्री कृष्ण	आचार्य, श्री भगवान देव
घोष, श्री निरेन	आजाद श्री भागवत झा
घोष, श्रीमती विभा गोस्वामी	आठरे, श्री चन्द्रभान वालाजी
चक्रवर्ती, श्री सत्यसपन	आनन्दसिंह, श्री उर्फ अन्नुभय्या
चटर्जी, श्री सोमनाथ	इमाम श्री अजीज
चतुर्भुज, श्री	इरा, श्री मोहन उर्फ राममोहन आर०
चन्द्रजीत, श्री	ईरा, श्री अनबारासु
चौधरी, श्री मोतीभाई रणछोड़भाई	एंथनी, श्री फ्रेंक
चौधरी, श्री सैफुद्दीन	एक्का श्री कृष्टोफेर
जगजीवन राम श्री	कमलापति, श्री
जेठ मलानी, श्रीराम	कर्मा, श्री लक्ष्मण
झारखंडे, श्री	कल्पनाड, श्री
टिरकी, श्री पीय पियूस	कादरी, श्री एस० टी०
दंडवते, प्रो० मधु	कामावशय्याह, श्री ओड्डावारा
दलवीर, सिंह श्री	किदवई, श्रीमती मोहसिना
दास, श्री रेनुपाडा,	कूंवर, राम श्री
पंडित, वसन्त कुमार रामकृष्ण डा०	कुमारी, श्रीमती कमला
परूलेकर, श्री बापूसाहेब	कृष्ण दत्त, श्री
पाठक, श्री आनन्द	कृष्ण, श्री जी. वाई.
पालस, श्री बर्मन	के. एस. नारायण, श्री
पास, श्री रूपचन्द,	कोचक, श्री गुलाम रसूल
पासबान, श्री रामबिलास	कोम्मुस, श्री अप्पाला स्वामी
प्रधान, श्री अमरराय	कौर श्रीमती गुरबिन्द्र

पक्ष में	विपक्ष में
बनतवाला, श्री जी. एम.	कोल, श्रीमती शीला
बसु, श्री चित्त	खां, श्री आरिफ मोहम्मद
बसु, श्री ज्योतिर्मय (हार्बर)	खां, श्री जुल्फिकार अली
वालनन्दन, श्री	खां, श्री मलिक मु० मुशीर अहमद
भट्टाचार्य, श्री सुशील कुमार	गंगवार, श्री हरीश कुमार
मंडल, श्री मुकुन्दाराम	गधावो, श्री भेरावदन खेतदांजी,
मंडल, श्री सनत कुमार	गहलोत, श्री अशोक
मंडल, श्री धनिकलाल	गांधी, श्रीमती इन्दिरा
मतिराम, श्री हंसदा	गामित, श्री छोतुभाई देवजीभाई
मधुकर, श्री कमला मिश्र	गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव नानासाहव
मनोहरलाल श्री	गायकवाड़, श्री रणजीतसिंह जी प्रतापसिंह जी
महालगी, श्री रामचन्द्र काशीनाथ	गिरधारी लाल, श्री
मुखर्जी, श्रीमती गीता	गोमांगों, श्री गिरिधर
मुखर्जी, श्री समर	गोहिल, श्री गोगाभाई बाबूभाई
मुहम्मद इस्माइल, श्री	गोजगिन, श्री
मेहता, श्री अजित कुमार	चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
मैत्रा, श्री सुनील	चरणजीत सिंह, श्री
मोदक, श्री बिजोय कृष्ण	चव्हाण, श्री शंकरराव भाऊराव
मोल्लाह, श्री हन्नान	चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोड़ाभाई
यादव, श्री डी. पी.	चिगवांग, श्री
यादव, श्री विजय कुमार	चिरंजीलाल, श्री
राजदा, श्री रत्नसिंह गोकुलदास	चैन्नुपति, श्री विद्या
राय, श्री ए. के.	चौधरी, श्री ए. बी. ए. गनी खान
राय, श्री सरदीश	चौधरी, श्री चित्तुरी सुब्बाराव
रियान, श्री बाजुबन	चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी	चौधरी, श्री सुन्दर सिंह
वर्मा, श्री चन्द्रदेव, प्रसाद	छोटे लाल, श्री
वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह	जगन्नाथ, श्री
वर्मा, श्री रवीन्द्र	जयनारायण, श्री
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद	जैना, श्री चिंतामणि
वर्मा, श्री शिवशरण	जैन, श्री भीकूराम
विश्वास, श्री अजय	टाईटलर, श्री जगदीश

पक्ष में	विपपक्ष में
शमन्ना, श्री टी. आर.	तिवारी, श्री के. के.
शास्त्री, श्री राजनाथ सोंकर	तिवारी, नारायण दत्त
शास्त्री, श्री रामावतार	थोरट, श्री भाऊ साहिब
शेखर, श्री चन्द्र	दन्डपाणि श्री सी. टी.
शेंजवलकर, श्री नारायण कृष्णराव	दाभो श्री अजीतसिंह फूलसिंह जी
षाडंगी, श्री रुद्र प्रताप	दामोर, श्री सोमजीभाई पंजाभाई
संखवार, श्री आश करण	दास, श्री अनादि चरण
सत्य गोपाल, श्री मिश्रा	दुवे, श्री बिन्देश्वरी
सारण, श्री दौलतराम	दुवे, श्री रामनाथ
सावंत, श्री त्रयम्बकराव मारोतराव	देसाई, श्री वी. वी.
साहा, श्री अजीत कुमार	दोराई, श्री सेवस्तीयान, एस. ए.
साहा, श्री गदाधर	धोरपाड़े, श्री आर. वाई.
सिंह, श्रीकुंवर बसन्त नारायण	नन्जेगोडा, एच. एन.
सिंह, श्री चन्द्रपाल	नाथूराम, श्री
सिंह, श्री चौधरी दिगम्बर	नायक, श्री मृत्युन्जय
सिंह, श्री जयपाल	नायक, सरूपसिंह हिरया
सिंह, श्री निहाल	नाहटा, श्री भंवरलाल राजमल
सूरजभान, श्री	निखरा, श्री रामेश्वर
सैयद, श्री मसुदल होस्पेस	निर्मला कुमारी, श्रीमती
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द्र	नेगी, श्री त्रेपन सिंह
होरो, श्री निरल एनेम	नेताम, श्री अरविन्द
	पट्टाभिरामराव, श्री एस. बी. पी.
	पट्टुस्वामी, श्री डी०
	पटेल, श्री अमरीत मोहनलाल
	पटेल श्री अहमदभाई मोहम्भदभाई
	पटेल, श्री मोहनलाल लालजीभाई
	पाइलट, श्री राजेश
	पाटिल, श्री बसन्तराव बंदुजी
	पाटिल, श्री शिवराज विश्वनाथ
	पाटिल, श्री शंकरराव बाजीराम
	पाटिल, श्री ए. टी.
	पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
	पांडेय, श्री केदार

पक्ष में	विपक्ष में
	पांणिका, श्री राम प्यारे
	पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
	पामुलापटी, श्री अंकिनीडू प्रसाद राव
	पारधी, श्री केशोराव
	पुजारी, श्री जनार्दन
	पुलैय्या, श्री दरूर
	प्रताप भानू कृष्णगोपाल, श्री
	प्रधानी, श्री खगपनि
	प्रभु, श्री आर.
	प्रसाद, श्री महावीर
	प्रसाद, कु० जितेन्द्र
	फर्नानडिस, श्री ओस्कर
	फैलीरो, श्री एडुआर्डो मारतिन्हो
	बरवे ,श्री जतीराम चेतराम
	बरोठ, श्री मगनभाई
	बशर, श्री जैनुल
	बापूराव, श्री मुत्तोबार
	बालेश्वर राम, श्री
	बूटा सिंह, श्री
	बैठा, श्री डूमरलाल
	बैरवा, श्री बनवारी लाल
	भक्त, श्री मनोरंजन
	भगत, श्री बलिराम
	भीखा भाई, श्री
	भूरिया, श्री दिलीपसिंह
	भोये, रेशमा मोतीराम, श्री
	भोले, आर० आर० श्री
	मंगलू, श्री काहनडोले जमारू
	मकवाणा, श्री नरसिंहभाई करसनभाई
	मनफूलसिंह, श्री
	मणि, श्री के. बी. एस.
	मल्लिक, श्री लक्ष्मण
	मल्लिकार्जुन, श्री

पक्ष में	विपक्ष में
	महराउल, श्री जयदीपसिंह जी सुभगसिंह जी
	माधुरीसिंह, श्रीमती
	माने, श्री राजाराम उर्फ बालासोब शंकरराव
	मायातेवर, श्री के०
	माल्लु, श्री अनन्थारामुलु
	मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल
	मुबारक शाह, श्री ख्वाजा
	मुरुगयान, श्री एस.
	भोरे, श्री रामकृष्ण सदाशिव
	मोहिते, श्री यशवन्तराव जिजाबा
	याजदानी, डा० गोलाम
	युसुफ, श्री एम०
	रवाणी, श्री नवीनचन्द्र परमानन्ददास
	रहमान, श्री जमीलुर
	रहीम, श्री ए० ए०
	राउत, श्री भोला
	राकेश, श्री रामनिहार
	राजशंकर मूर्ति श्री एम.
	राठवा, श्री अमरसिंह भाई वीरयाभाई
	राठोड़, श्री उत्तमराव बलीराम जी
	राामधन, श्री प्रभुनारायण
	रामामूर्ति, श्री के.
	राय, श्रीमती सहोदराबाई
	राव, श्री एम. सत्यनारायण
	रावत, श्री हरीश
	रेड्डी, श्री एम. गोपाल
	रेड्डी, श्री कासु ब्रह्मानन्द
	रेड्डी, श्री के. विजय भास्कर
	रेड्डी, श्री जी. एस.
	रेड्डी, श्री टी. दामोदर
	लकप्पा, श्री के.
	वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
	बर्मा, श्री जयराम

पक्ष में	विपक्ष में
	वायरले मधुसूदन, श्री
	वासनिक, वालकृष्ण रामचन्द्र, श्री
	विखे, श्री एकनाथराव विठलराव
	विजयराघवन, श्री वी. एस.
	विरदा चन्द, श्री
	विरधी चन्द, श्री
	वेंकटरामन, श्री आर.
	वेंकट सुब्बैया, श्री पी.
	वेलू, श्री ए. एम.
	शंकरानन्द, श्री बी.
	शन्तारम, श्री पटूखे
	शनमुगम, श्री पी.
	शमीनुद्दीन, श्री
	शर्मा, श्री नवल किशोर
	शर्मा, श्री मुन्दर
	शर्मा, श्री विश्वनाथ
	शायवार, श्री नाथूराम
	शास्त्री, श्री रामावतार
	शास्त्री, हरी किशन
	शिवशंकर, श्री पी.
	श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी.
	संगमा, श्री पुरनो ए.
	सज्जन कुमार, श्री
	सपेरो, श्री रजिन्दर सिंह
	साठे, श्री वसंतराव
	सावंत, श्री त्रयम्बकराव मारोतराव
	साही, श्रीमती कृष्णा
	सिद्रमप्पा, श्री कुचल गंगाधर
	सिन्हा, श्रीमती किशोरी
	सिंह, श्री अजीत प्रताप
	सिंह, श्री कृष्ण प्रताप
	सिंह, श्री कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण
	सिंह, श्री गुरचरण

पक्ष में	विपक्ष में
	सिंह, श्री चन्द्रशेखर
	सिंह, श्री तपेश्वर
	सिंह, श्री निहाल
	सिंह, श्री फतेह भानु
	सिंह, श्री रणजीत
	सिंह, श्री रणवीर
	सिंह, श्री विजेन्द्रपाल
	सिंह, श्री शिवकुमार नवलसिंह
	सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर
	सिंह, श्री सतीश प्रसाद
	सिंह, श्रीं हाकम
	सिंह, श्रीमती राम दुलारी
	सुखाड़िया, श्री मोहनलाल
	सुब्बूरमण, श्री एम. जी.
	सुभा, श्री पहाल मान
	सेठी, श्री प्रकाशचन्द
	सोलंकी, श्री बाबूलाल
	हुसेन, श्री अशफाक
	हुसेन, श्री मौलाना सैयद मुजफ्फर
	क्षीर सागर केशरबाई सोनोजीराव, श्रीमती उर्फ काकू

उपाध्यक्ष महोदय : मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है।

पक्ष में	विपक्ष में
82	213

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखूं, राय जानने हेतु विधेयक को परिचालित करने के लिए चार संशोधन हैं, जिन्हें निपटाया जाना है। मैं श्री के. के. गोयल, श्री चन्द्रजीत यादव, श्री रामावतार शास्त्री तथा श्री गिरधारीलाल व्यास से जानना चाहता हूं कि क्या वे अपने संशोधन वापस लेना चाहते हैं। सर्व प्रथम मैं श्री के. के. गोयल द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 58 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन पेश किया गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री चन्द्रजीत यादव द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 59 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन पेश किया गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रामावतार शास्त्री द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 60 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन पेश किया गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री गिरधारीलाल व्यास द्वारा पेश किया गया संशोधन संख्या 72 सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (भीलवाड़ा) : मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री गिरधारीलाल व्यास द्वारा पेश किए गए संशोधन को वापस लेने की अनुमति देती है ?

कई माननीय सदस्य : हां ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो फिर मैं इसे सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है, "22 मई, 1980 तक राय जानने के प्रयोजन से विधेयक को परिचालित किया जाये ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

विभाजन सूची संख्या 7

मध्यान्ह पश्चात् 1.40 बजे

पक्ष में	विपक्ष में
अनवर, अहमद श्री	अनवर, श्री शाह तारिक
अवेदिन, श्री जायनल	अप्पालानायडू, श्री एम. आर. ए. एस.
इन्द्रवेश, श्री	अब्बासी, श्री काजी जलील
किंकर, श्री राम	अंरावकल, श्री एक्सवेयर
कुमार, श्री गिरि सुधीर	अरुणाचलम, श्री एम०
खाँ, श्री गय्यूर अली	अहमद, श्री बेरिस्टर गुलशेर
गुप्त, श्री इन्द्रजीत	अहमद मोहम्मद असरार
गोयल, श्री कृष्ण कुमार	आचार्य, श्री भगवान देव .

पक्ष में	विपक्ष में
घोष, श्री निरेन	आजाद श्री भागवत झा
घोष, श्रीमती विभा गोस्वामी	आठरे, श्री चन्द्रभान बालाजी
चक्रवर्ती, श्री सत्यसपन	आनन्दराव, श्रीमती बी. राधाबाई
चटर्जी, श्री सोमनाथ	आनन्दसिंह, श्री उर्फ अन्नुभय्या
चतुर्भुज, श्री	इमाम, श्री अजीज
चन्द्रजीत, श्री	इरा, श्री मोहन उर्फ राममोहन आर०
चौधरी, श्री सैफुद्दीन	ईरा, श्री अनबारासु
जगजीवन राम, श्री	एंथनी, श्री फ्रेंक
जाटिया, श्री सत्यनारायण	एक्का श्री क्रुष्टोफेर
जेठ मलानी, श्रीराम	कंडास्वामी, श्री एम.
टिरकी, श्री पियूस	कमलापति, श्री
दंडवते, प्रो० मधु	कर्मा, श्री लक्ष्मण
दास, श्री रेनुपाडा	कल्पनाड, श्री
पंडित, वसन्त कुमार रामकृष्ण डा०	कलानिधि, श्री ए.
परुलेकर, श्री बापू साहेब	कादरी, श्री एस० टी०
पाठक, श्री आनन्द	कामावशय्याह, श्री ओड्डावारापु
पालस, श्री बर्मन	किदवई, श्रीमती मोहसिना
पास, श्री रूपचन्द	कूंवर राम, श्री
पासबान, श्री रामबिलास	कुमारी, श्रीमती कमला
प्रधान, श्री अमरराय	कुचन, श्री गंगाधर एस.
बसु, श्री ज्योतिर्मय	कृष्णा दत्त, श्री
बालनन्दन, श्री	कृष्णा, श्री जी. वाई.
भट्टाचार्य, श्री सुशील कुमार	के. एस. नारायण, श्री
मंडल, श्री मुकुन्दाराम	कोचक, श्री गुलाम रसूल
मंडल, श्री सनत कुमार	कोम्मुस, श्री अप्पाला स्वामी
मतिराम, श्री हंसदा	कौर श्रीमती गुरबिन्द्र
मधुकर, श्री कमला मिश्र	कोल, श्रीमती शीला
मनोहरलाल, श्री	खां, श्री आरिफ मोहम्मद
महालगी, श्री रामचन्द्र काशीनाथ	खां, श्री जुल्फिकार अली
मुखर्जी, श्रीमती गीता	खां, श्री मलिक मु० मुशीर अहमद
मुखर्जी, श्री समर	गंगवार, श्री हरीश कुमार
मुहम्मद इस्माइल, श्री	गधावी, श्री भेरावदन खेतदांजी
मैत्रा, श्री सुनील	गामित, श्री छीतुभाई देवजीभाई

पक्ष में	विपक्ष में
मोदक, श्री बिजोय कृष्ण	गरचा, श्री देविन्द्र सिंह
मोल्लाह, श्री हन्नान	गहलोत, श्री अशोक
यादव, श्री छोटेसिंह	गांधी, श्रीमती इन्दिरा
यादव, श्री विजय कुमार	गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव नानासाहब
राजदा, श्री रत्नसिंह गोकुलदास	गायकवाड़, श्री रणजीतसिंह जी प्रतापसिंह जी
राजन, श्री ए. के.	गिरधारी लाल, श्री
राय, श्री ए. के.	गोमांगों, श्री गिरिधर
राय, श्री सरदीश	गोहिल, श्री गोगाभाई भावूभाई
रियान, श्री बाजुबन	गौजगिन, श्री
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी	गौडा, श्री एच. एन. नन्जे
वर्मा, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह	चरणजीत सिंह, श्री
वर्मा, श्री रवीन्द्र	चव्हाण, श्री शंकरराव भाऊराव
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद	चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोड़ाभाई
वर्मा, श्री शिवशरण	चिगवांग, श्री
विश्वास, श्री अजय	चिरंजीलाल, श्री
शमन्ना, श्री टी. आर.	चिन्नासामी. श्री सी.
शाक्य, श्री दयाराम	चैन्नुपति, श्री विद्या
शास्त्री, श्री राजनाथ सोंकर	चौधरी, श्री ए. बी. ए. गनी खान
शास्त्री, श्री रामावतार	चौधरी, श्री चित्तुरी सुब्बाराव
शेंजवलकर, श्री नारायण कृष्णराव	चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश
षाडंगी, श्री रुद्र प्रताप	जगन्नाथ, श्री
सत्य गोपाल, श्री मिश्रा	जाडेजा, श्री दौलतसिंह प्रतापसिंह
सारण, श्री दौलतराम	जैना, श्री चिन्तामणि
सावंत, श्री त्रयम्बकराव मारोतराव	जैन, श्री भीकूराम
साहा, श्री अजीत कुमार	जैलसिंह, श्री
साहा, श्री गदाधर	झाला, श्री दिग्वजय सिंह प्रतापसिंह
सिन्हा, श्रीमती किशोरी	टाईटलर, श्री जगदीश
सिंह, श्रीकुंवर बसन्त नारायण	डेन्निस, श्री एन.
सिंह, श्री चन्द्रपाल	तिवारी, श्री के. के.
सिंह, श्री चौधरी दिगम्बर	तिवारी, नारायण दत्त
सिंह, श्री जयपाल	दलकोरसिंह, श्री

पक्ष में	विपक्ष में
सिंह, श्री निहाल	दन्डपाणि, श्री सी. टी.
सिंह, श्री बी. डी.	दाभी श्री अजीतसिंह फूलसिंह जी
सूरजभान, श्री	दामोर, श्री सोमजीभाई पंजाभाई
सैयद, श्री मसुदल होस्पेस	दास, श्री अनादि चरण
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द्र	दुबे, श्री बिन्देश्वरी
होरो, श्री निरल एनेम	दुवे, श्री रामनाथ
	देव, श्री संतोष मोहन
	देसाई, श्री वी. वी.
	दोराई, श्री सेवस्तीयान, एस. ए.
	धोरपाड़े, श्री आर. वाई.
	नय्यर, श्री बी. के.
	नाडार, श्री ए. नील लोहिया दसन
	नायक, श्री मृत्युन्जय
	नायक, श्री सरूपसिंह हिरया
	नायडू, श्री पी. राजगोपाल
	नारायण, चन्द श्री
	निखरा, श्री रामेश्वर
	निर्मला कुमारी, श्रीमती
	नेगी, श्री त्रेपन सिंह
	नेताम, श्री अरविन्द
	पट्टुस्वामी, श्री डी०
	पटेल, श्री अमरीत मोहनलाल
	पटेल, श्री अहमदभाई मोहम्मदभाई
	पटेल, श्री शांतुभाई चुनीभाई
	पाइलेट, श्री राजेश
	पाटिल, श्री बसन्तराय बंदुजी
	पाटिल, श्री शिवराज विश्वनाथ
	पाटिल, श्री शंकरराव बाजीराम
	पाटिल, श्री उत्तमराव देवराज
	पाटिल, श्री ए. टी.
	पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
	पांडेय, श्री केदार

पक्ष में	विपक्ष में
	पांणिका, श्री राम प्यारे
	पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
	पामुलापटी, श्री अंकिनीडू प्रसाद राव
	पारधी, श्री केशोराव आत्मारामजी
	पुजारी, श्री जनार्दन
	पुलैय्या, श्री दरूर
	प्रताप भानू कृष्णगोपाल, श्री
	प्रधानी, श्री खगपति
	प्रभु, श्री आर.
	प्रसाद, श्री महावीर
	प्रसाद, कु० जितेन्द्र
	पोटड्डे, श्री शान्ताराम
	फर्नानिडिस, श्री ओस्कर
	फैलीरो, श्री एडुआर्डो मारतिन्हो
	बरवे ,श्री जतीराम चेतराम
	बहादुर, राजा कामाख्या प्रसाद सिंह देव महेन्द्र
	बरोड़, श्री मगनभाई
	बशर, श्री जैनुल
	बहादुर, श्री हरिकेश
	बापूराव, श्री मुत्तोबार
	बालेश्वर राम, श्री
	बूटा सिंह, श्री
	बैठा, श्री डूमरलाल
	बैरवा, श्री बनवारी लाल
	भक्त, श्री मनोरंजन
	भगत, श्री एच. के. एल.
	भगवान, श्री थोरट संदीपन
	भीखा भाई, श्री
	भूरिया, श्री दिलीपसिंह
	भोये रेशमा मोतीराम, श्री
	भोले, आर० आर० श्री
	मंगलू, श्री काहनडोले जमारू
	मकवाणा, श्री नरसिंहभाई करसनभाई

पक्ष में	विपक्ष में
	मनफूलसिंह, श्री
	मणि, श्री के. बी. एस.
	मल्लिक, श्री लक्ष्मण
	मल्लिकार्जुन, श्री
	महराबल, श्री जयदीपसिंह जी सुभगसिंह जी
	महेन्द्र, प्रसाद श्री
	माधुरीसिंह, श्रीमती
	माने. श्री राजाराम उर्फ वालासाहेब शंकरराव
	मायातेवर, श्री के०
	माल्लु, श्री अनन्थारामुलु
	मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल
	मूर्थी, श्री कुसुमा कृष्णा
	मुरुगयन, श्री एस.
	मुबारक शाह, श्री ख्वाजा
	मेहता, श्री महिपात्रे मूलशंकर
	भोरे, श्री रामकृष्ण सदाशिव
	मोहन्ती, श्री ब्रजमोहन
	मोहिते, श्री यशवन्तराव जिजाबा
	याजदानी, डा० गोलाम
	यादव, श्री रामराव नारायणराव
	यादव, श्री रामसिंह
	युसुपा, श्री मु०
	येल्लेयाहा, श्री नन्दी
	रंगा, श्री एन. जी.
	रवाणी, श्री नवीनचन्द्र परमानन्ददास
	रहमान, श्री जमीलुर
	रहीम, श्री ए० ए०
	राउत, श्री भोला
	राकेश, श्री रामनिहार
	राजशंकर मूर्ति, श्री एम.
	राठवा, श्री अमरसिंह भाई वीरयाभाई
	राठोड़, श्री उत्तमराव बलीराम जी
	रामकुमार, श्री

पक्ष में	विपक्ष में
	रामधन, श्री प्रभुनारायण
	रामामूर्ति, श्री के.
	राय, श्रीमती सहोदराबाई
	राव, श्री एम. सत्यनारायण
	रेड्डी, श्री एम. गोपाल
	रेड्डी, श्री टी. दामोदर
	रेड्डी, श्री कासु ब्रह्मानन्द
	रेड्डी, श्री के. विजय भास्कर
	रेड्डी, श्री जी. एस.
	लकप्पा, श्री के.
	वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
	वर्मा, श्री जयराम
	वायरले मधुसूदन, आत्माराम श्री
	वासनिक, बालकृष्ण रामचन्द्र, श्री
	विखे, श्री एकनाथराव विठलराव
	विजयराघवन, श्री वी. एस.
	विरदा राम, श्री
	विरधी चन्द, श्री
	वेंकटरामन, श्री आर.
	वेलू, श्री ए. एम.
	शंकरानन्द, श्री बी.
	शनमुगम, श्री पी.
	शमीनुद्दीन, श्री
	शर्मा श्री कालीचरण
	शर्मा, श्री नवल किशोर
	शर्मा, श्री मुन्दर
	शर्मा डा०, श्री विश्वनाथ
	शर्मा डा० शंकरदयाल
	शायवार, श्री नाथूराम
	शास्त्री, हरी किशन
	शिवप्रकाशम, श्री डी. डी. एस. ए.
	शिवशंकर, श्री पी.
	श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी.
	संगमा, श्री पुरनो ए.
	सज्जन कुमार, श्री
	सपेरो, जनरल रजिन्दर सिंह

पक्ष में	विपक्ष में
	साठे, श्री वसंतराव
	सावंत, श्री त्रयम्बकराव मारोतराव
	साही, श्रीमती कृष्णा
	सिद्रमप्पा, श्री कुचल गंगाधर
	सिंह, श्री अजीत प्रताप
	सिंह, श्री कृष्ण प्रताप
	सिंह, श्री कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण
	सिंह, श्री गुरचरण
	सिंह, श्री चन्द्रशेखर
	सिंह, श्री डूंगर
	सिंह, श्री तपेश्वर
	सिंह, श्री निहाल
	सिंह. श्री फतेह भानु
	सिंह श्री मोती लाल
	सिंह, श्री रणजीत
	सिंह, श्री रणवीर
	सिंह, श्री विजेन्द्रपाल
	सिंह, श्री शिवकुमार नवलसिंह
	सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर
	सिंह. श्री सतीश प्रसाद
	सिंह श्री हरीश चन्द्र
	सिंह, श्रीं हाकम
	सिंह, श्रीमती राम दुलारी
	सुखाड़िया, श्री मोहनलाल
	सुब्बूरमण, श्री एम. जी.
	सुब्बैया, श्री पेन्देकांति वेंकट
	सुभा, श्री पहाल मान
	सेठी, श्री प्रकाशचन्द
	सोनू, श्री छोटेलाल
	सोलंकी, श्री बाबूलाल
	हुसेन, श्री अशफाक
	हूसेन, श्री तय्यब
	हुसेन, श्री मौलाना सैयद मुजफ्फर
	क्षीर सागर केशरबाई सोनोजीराव, श्रीमती उर्फ काकू
	त्रिपाठी, श्री राम नारायण

उपाध्यक्ष महोदय : विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में	विपक्ष में
79	242

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है, "कि चोरबाजारी निवारण और लोगों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई तथा तत्सम्बन्धी मामलों के प्रयोजन के लिए कतिपय मामलों में नजरबन्दी करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंडों पर विचार करेंगे । मेरा माननीय सदस्यों को यह सुझाव है कि चूंकि बहुत बड़ी संख्या में संशोधन आये हैं और हम उन सबको नहीं निपटा पायेंगे, अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप उन पर जोर नहीं देंगे । या फिर सारे संशोधन एक साथ जोड़ दिए जायें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मेरे विचार से इन संशोधनों के प्रस्तावक इन सब संशोधनों को पेश करने के लिए जोर न डालें किन्तु हमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों पर तो विचार करना ही होगा और आप कम से कम उन संशोधनों पर बोलने की अनुमति देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 2 में कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है :—

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 3 में कई संशोधन हैं । श्री आर. पी. यादव अपना संशोधन पेश नहीं कर रहे हैं । वह उपस्थित नहीं हैं । श्री कमला मिश्र मधुकर

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतिहारी) : मैं

पृष्ठ 2 पंक्ति 17, —

"के सम्बन्ध में" **के पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाये**—

"तथ्यों और उपलब्ध समूची जानकारी से न कि दुर्भाव और राजनीतिक वैमनस्य से" (6)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 28 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाये**—

"परन्तु यह कि किसी व्यक्ति के बारे में तब तक यह नहीं समझा जायेगा कि उसने इस खण्ड के अधीन कोई अपराध किया है जब तक कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध पर्याप्त सबूत न हो कि उसने किसी अन्य व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाया था ।" (7)

पृष्ठ 2, पंक्ति 41, -

"आयुक्त," के पश्चात् "प्रभागीय आयुक्त" अन्तःस्थापित किया जाये (8)

पृष्ठ 3, पंक्ति 6,—

"बारह दिन" के स्थान पर "सात दिन" प्रतिस्थापित किया जाये। (9)

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नगिरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 2, —

पंक्ति 21 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए —

"परन्तु विरुद्धकर्ता प्राधिकारी सरकार के या अधिकारी के समाधान के लिए कारण तथा आधार और समाधान के लिए साक्ष्य का संक्षिप्त विवरण देगा और जब तक ऐसा नहीं किया जाता निरोध-आदेश अवैध होगा।" (19)

पृष्ठ 2, पंक्ति 40, —

"जिला मजिस्ट्रेट" के स्थान पर "सेशन्स न्यायाधीश" प्रतिस्थापित किया जाये। (25)

पृष्ठ 2, पंक्ति 41,—

"पुलिस आयुक्त" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट या महानगरीय मजिस्ट्रेट।" (26)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, —

पंक्ति 36 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"परेन्तु इस उपधारा के अधीन व्यवसाय संघ की किसी भी विधि सम्मत गतिविधि को जिसके अन्तर्गत हड़ताल या नियमानुसार करना आन्दोलन भी आता है, अपराध नहीं समझा जायेगा।" (24)

श्री के॰ के॰ गोयल (कोटा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 21,—

"कि" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये:—

"यथास्थिति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सेशन न्यायाधीश या न्यायिक मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात्।" (37)

पृष्ठ 2, पंक्ति 28,—

"या किसी व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के लिये उकसाना" का लोप किया जाये। (38)

पृष्ठ 2, और 3,—

क्रमश: पंक्ति 37 से 41 और 1 से 19 का लोप किया जाये । (39)

श्री रामजेठ मलानी (बम्बई उत्तर-पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 12 से 21 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"3(1) किसी मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का, उसके पास केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से सामग्री प्रस्तुत किये जाने पर, किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह समाधान हो जाता है कि उसे समुदाय को आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय बनाये रखने के प्रतिकूल किसी रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि से उसे निरुद्ध करना आवश्यक है तो वह यह निदेश देते हुए आदेश कर सकेगा कि ऐसे व्यक्ति को निरुद्ध कर लिया जाये ।" (49)

पृष्ठ 2, पंक्ति 25, --

"(क)" का लोप किया जाये । (50)

पृष्ठ 2,

पंक्ति 29 से 33 का लोप किया जाये । (51)

पृष्ठ 2, –

पंक्ति 37 से 41 का लोप किया जाये । (52)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 1 से 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"(2क) तथापि कोई भी व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन तब तक निरुद्ध नहीं किया जायेगा, जब तक कि निरुद्ध किये जाने का आदेश करने के पूर्व एक वर्ष के भीतर वह उस उपधारा के स्पष्टीकरण में उल्लिखित किसी विधि के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध न किया गया हो ।" (53)

पृष्ठ 3, --

पंक्ति 1 से 11 का लोप किया जाये । (54)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 12 से 19 का लोप किया जाये । (55)

पृष्ठ 3, पंक्ति 12 और 13,—

"राज्य सरकार द्वारा किया जाता है या अनुमोदित किया जाता है" के स्थान पर "किया

जाता है'' **प्रतिस्थापित किया जाये।** (56)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 9,—

''किन्तु दस दिन के भीतर'' **का लोप कर दिया जाये।** (64)

पृष्ठ 3, पंक्ति 11,—

''पन्द्रह'' **के स्थान पर** ''सात'' **प्रतिस्थापित किया जाये।** (65)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 21 **के अन्त में** निम्नलिखित **जोड़ा जाये** –

''किन्तु ऐसा करते समय राजनीतिक भेदभाव, दुश्मनी या दुर्भावना से काम नहीं लिया जायेगा।'' (66)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 36 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाये**

''परन्तु इस उपधारा के अधीन किसी भी ट्रेड यूनियन के किसी भी कानूनी और विधान सम्मत गतिविधि को, जिसके अन्दर हड़ताल, नियमानुसार काम करना तथा और कोई भी मजदूर हितैषी काम शामिल है, अपराध नहीं माना जायेगा।'' (67)

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 21, —

अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाये**—

''किन्तु यह धारा ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी, जो किसी श्रमिक संगठन या किसी राजनीतिक दल चाहे सत्ताधारी दल या प्रतिपक्षी दल का सक्रिय कार्यकर्त्ता है।'' (68)

श्री कमला मिश्र मधुकर : उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि इस विधेयक का उद्देश्य चोरबाजारी को दूर करना बताया गया है, किन्तु जैसे कि माननीय सदस्यों ने चर्चा की है, इस बात की सम्भावना है कि इसको कार्यान्वित करने में लोगों के राजनैतिक और नागरिक अधिकारों का हनन हो। मैंने यह संशोधन इसलिए पेश किया है कि अफसरान किसी के विरुद्ध राजनैतिक आधार पर कार्यवाही न कर सकें। हमारे अपने जिले का अनुभव है कि हमारी पार्टी और हम लोगों ने चोरबाजारी के खिलाफ आन्दोलन किया और डीहोर्डिंग किया, मगर वहां के डी. एम. ने हमारी पार्टी के सेक्रेटरी को मीसा के अन्तर्गत जेल में बन्द कर दिया। मेरे संशोधन का आशय यह है कि सम्बद्ध सरकारी अधिकारी तथ्यों और सब उपलब्ध सूचना से सन्तुष्ट होकर और बिना किसी द्वेष और राजनैतिक शत्रुता के किसी व्यक्ति की नजरबन्दी का आदेश जारी करे। इस संशोधन को स्वीकार करने से यह कानून निष्पक्ष ढंग से क्रियान्वित हो सकेगा और इस विषय में जो आशंकायें हैं, वे दूर हो जायेंगी।

मन्त्री महोदय ने इन आशंकाओं को दूर करने का जो प्रयास किया है, इस संशोधन को स्वीकार करने से उसको बल मिलेगा। इसलिए मेरा विश्वास है कि वह मेरे इस संशोधन को कबूल करेंगे।

श्री प्रणव मुखर्जी : माननीय सदस्य को शंका करने की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमान, उन्होंने कोई तर्क पेश नहीं किया। मैं पहले ही बता चुका हूं कि किन हालात में इसे लाया गया है तथा अपेक्षित संरक्षणों का उपबन्ध हमने विधेयक में कर लिया है। वास्तव में बचाव के उपाय संविधान में निहित हैं उन्हें वहां से लेकर विधेयक में रख दिया गया है।

श्री बापू साहेब परुलेकर : मैंने खण्ड 3 में एक परन्तुक का सुझाव दिया है क्योंकि उसमें हिरासत में रखने वाले अधिकारी को अपने आपको सन्तुष्ट करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम भली प्रकार जानते हैं कि आपातकाल के दौरान कितने खाली वारन्ट हिरासत में रखने वाले अधिकारियों के द्वारा हस्ताक्षरित किये गये थे और इतना ही नहीं उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी वारन्ट जारी किए गए थे जो कि आपातकाल से बहुत पहले मर चुके थे।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या हिरासत में रखने वाले अधिकारी ने उचित सतर्कता बरती है, मैंने निम्न उपबन्ध का सुझाव दिया है, अर्थात,

"हिरासत में रखने वाला अधिकारी सरकार को अथवा अधिकारी को संतोषजनक कारण बतायेगा तथा संतोषजनक ढंग से साक्ष्य की जायेगी अन्यथा हिरासत का आदेश रद्द समझा जायेगा।"

खण्ड 8 में उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति को 10 दिन तक बिना कारण बताये हिरासत में रखा जा सकता है। और उस अवधि में भी हिरासत में रखे जाने के कारण बदले जा सकते हैं। मन्त्री महोदय जानते हैं कि यदि मजिस्ट्रेट कोरे वारंटों पर हस्ताक्षर कर देता है तब पुलिस अधिकारियों द्वारा उसका उपयोग किया जा सकता है, उसमें बचाव की व्यवस्था करने के लिए मैंने इस उपबन्ध का सुझाव दिया है और मेरा उनसे निवेदन है कि इसे स्वीकार करें। यदि वह इस बारे में कोई सुरक्षा की व्यवस्था करना चाहते हैं तो मेरे संशोधन द्वारा सुझाई गई सुरक्षा अति श्रेष्ठ रहेगी।

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक 10 दिन की व्यवस्था का प्रश्न है पर 15 दिन भी हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आप अंत में उत्तर दे सकते हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : मुझे ऐसा करने में खुशी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने अपना संशोधन संख्या 24 प्रस्तुत कर दिया है। मैं आपको तथा आपके माध्यम से सभा को बताना चाहता हूं कि विधेयक के कारण तथा उद्देश्य बताने वाले कथन में तथा खन्ड 3 में दी गई परिभाषा में तालमेल नहीं है।

कारण तथा उद्देश्यों संबन्धी कथन में स्पष्टतः कहा गया है कि जो अध्यादेश अब विधेयक के रूप में सभा में प्रस्तुत किया गया है, उसका उद्देश्य चोरबाजारी, कदाचार, जमाखोरी, मुनाफाखोरी तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अनुचित वृद्धि रोकने के उद्देश्य से ऐसे कदाचारों से संवद्ध होने वाले व्यक्तियों को हिरासत में रखने की व्यवस्था करना है। ऐसे कदाचारों का अर्थ है चोर बाजारी, जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी।

श्री मान, विधेयक के खण्ड 2 में दी गई परिभाषा के अनुसार सभी क्रिया कलाप इसके अन्तर्गत आते हैं। उसमें कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के बारे में सरकार को संतुष्टि हो जाती है कि जनता को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि तो ऐसे व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सकेगा।

श्री मान, जबकि सरकार का वास्तविक इरादा इस विधेयक के अन्तर्गत निर्दिष्ट कदाचारी; यथा जमाखोरों, चोरबाजारी करने वाले को ही दण्डित करने का है तब उन्होंने विधेयक में इतनी व्यापक शक्ति क्यों दी गई है। मेरे संशोधन का अभिप्राय है कि वैधानिक श्रमिक संघों के क्रियाकलापों को विधेयक की परिधि से बाहर रखा जाये।

श्री मान, आप स्वयं श्रमिक नेता रहे हैं—तभी ही मैंने आपके इस रूप को प्रशंसा की थी। मुझे विश्वास है कि आप मेरे कथन से सहानुभूति रखेंगे। यदि विधेयक का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में बाधा पैदा करने से रोकना है, तो इसे इतना व्यापक अर्थ नहीं दिया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी कपड़ा मिल के श्रमिकों को हड़ताल करने पर मजबूर किया जाता है, तो यह माना जायेगा कि यह लोग कपड़े की सप्लाई में बाधा पैदा कर रहे हैं, जोकि एक अनिवार्य आवश्यकता की वस्तु है और यदि कोई परिवहन कर्मचारी अथवा तेल निगम का कोई कर्मचारी इस विधेयक की परिधि में लाया जाता है तो उसे भी संबद्ध किया जायेगा। जबकि उसका जमाखोरी के काले धन्धे से कोई वास्ता नहीं। पूर्व अनुभव के आधार पर इस बात का निश्चित भय है। इसीलिए हमें यह संशोधन लाना पड़ा है। यदि नौकर शाही को भारी शक्तियां दी जाती हैं तो इस विधेयक से श्रमिक संगठनों के क्रियाकलापों में बाधा पड़ेगी। मन्त्री महोदय को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि उनके मन में क्या बात है क्योंकि हमें न तो कांग्रेस सरकार और न जनता सरकार पर भरोसा है कि वे ऐसी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। आश्वासन देने के बावजूद उन्होंने शक्तियों का दुरुपयोग किया है इसलिए मेरा सुझाव है कि यदि यह शक्तियां देनी हैं तब मंत्री महोदय यह व्यवस्था करें कि कानून से चलने वाले श्रमिक संघों के क्रियाकलाप जिसमें हड़ताल भी सम्मिलित है, इस विधेयक के अन्तर्गत अपराध नहीं माने जायेंगे। परन्तु यदि वह इसे स्वीकार नहीं करते तो वह सहर्ष ऐसा कर सकते हैं। उनके पास अपेक्षित बहुमत है। परन्तु निश्चय ही श्रमिक वर्ग को विश्वास हो जायेगा कि सरकार का इरादा विधेयक का उनके विरुद्ध उपयोग में लाने का है। मैं आपको अपील करता हूं कि ऐसी बात न करें जिससे औद्योगिक अशान्ति को बढ़ावा मिलेगा, तथा ऐसे दमनकारी उपायों द्वारा वे श्रमिक आन्दोलन चलायेंगे तथा झुकेंगे

नहीं। यदि आप इस प्रकार के कानून द्वारा इन्हें रोकना चाहते हैं तो उन्हें प्रारम्भ में ही स्पष्ट करना चाहिए कि इस विधेयक का वास्तविक लक्ष्य किनके विरुद्ध है।

श्री बापू साहेब परुलेकर : मुझे अपने संशोधन संख्या 25 और 26 के बारे में एक वाक्य कहना है। शक्तियां जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस आयुक्तों को दी गई हैं। मेरे संशोधन में शक्ति सत्र न्यायाधीशों या न्यायिक मजिस्ट्रेटों को दिये जाने का सुझाव दिया गया है क्योंकि उन पर किसी कार्यकारी शक्ति का अधिकार नहीं होगा। श्रीमान, जब किसी व्यक्ति की स्वतन्त्रता को सीमित करना हो तो न्यायिक प्रणाली का अपनाया जाना श्रेष्ठ है।

श्री के० के० गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने क्लाज (3) में तीन संशोधन प्रस्तुत किए हैं और तीनों को एक साथ ही मूव करता हूं। मेरा पहला अमेंडमेन्ट क्लाज 3 के सब क्लाज (1) में है जिसमें मैंने चाहा है, अपने अपेन्डपेन्ट के द्वारा, कि इस क्लाज के अन्त में लिखा जाये :

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसी भी स्थिति हो, से स्वीकृति लेकर क्योंकि बिल के कंसीड्रेशन के समय पर यह आशंका प्रकट की गई है कि जब सरकार के पास दूसरे कानून हैं जिनका कड़ाई के साथ पालन करके ब्लैकमार्केटिंग और होर्डिंग को रोका जा सकता है फिर सरकार द्वारा इस प्रकार की डिटेंशन पावर हाथ में लेन का मतलब बहुत क्लियर है कि सरकार पोलिटिकल पर्पज के लिए, जो उसके पोलिटिकल अपोनेन्ट्स हैं उनको क्रश करने के लिए इसका इस्तेमाल करेगी। इसीलिए मैंने इस संशोधन के माध्यम से चाहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार के ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग के चार्जेज हों तो उस व्यक्ति के डिटेंशन आर्डर इश्यु करने के पहिले किसी भी जुडीशियल आफिकर की कन्सेन्ट ली जानी चाहिए। अगर किसी केस में हाईकोर्ट की कन्सेन्ट लेनी उचितसमझी जाए तो उसकी कन्सेन्ट ली जाए या चीफ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, जिसकी भी पर्मीशन आवश्यक हो उसकी पर्मीशन लेने के बाद ही डिटेंशन आर्डर इश्यु किए जायें।

मेरा दूसरा अमेन्डमेन्ट इसके सब-क्लाज (ए) में है :

"अथवा किसी व्यक्ति को उकसाने" शब्दों को निकाल दिया जाये। मैंने अपने संशोधन के द्वारा चाहा है कि इसमें जो शब्द इंस्टीगेटिंग है उसको क्लाज से निकाल दिया जाये। इस कानून के बन जाने पर आप यह अधिकार लेना चाहते हैं कि अगर कोई मजदूर अपने अधिकारों के लिए कोई स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक की काल देता है तो इंस्टीगेट के नाम आप उसको डिटेन कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का अधिकार सरकार को देना उचित नहीं है। इसी लिये में चाहता हूं कि इसमें जो शब्द "इंस्टीगेट" लिखा है उसको ओमिट कर दिया जाय। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो यह काफी है, इसके साथ शब्द 'इंस्टीगेट' को रखना चाहिये।

मैंने अपना थर्ड अमेंडमेंट सब-क्लाज 2 में मूव किया है। इसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर को अधिकार दिए गए हैं। मेरा निवेदन है कि इस तरह के अधिकार दिये

जाने से ऐसा आभास नहीं होता है कि सरकार इनका उपयोग राजनीतिक कारणों से राजनीतिक व्यक्तियों के खिलाफ नहीं करेगी। इसीलिए मैंने अपना संशोधन दिया है और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इन संशोधनों को स्वीकार करेंगे।

श्री राम जेठ मलानी : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, जो तीन संशोधन मैंने खण्ड 3 में रखे हैं उनका उद्देश्य इस अलोकतन्त्रीय कानून की अलोकतन्त्रीय संरचना को कम करना हैं। मेरा पहला संशोधन मेरे मित्र श्री बापू साहेब परुलेकर के संशोधन से मिलता कि अधिकार किसी एक व्यक्ति में न देकर न्यायिक अधिकरण को दिया जाना चाहिए।

यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि इस सरकार का न्यायिक अधिकारियों पर कितना विश्वास है तथा नागरिकों को उनकी स्वतंत्रता से वंचित करने के संबंध में कार्यपालिका के अधिकारियों की अपेक्षा न्यायिक अधिकारियों पर उनका कितना विश्वास है। मैंने इस सम्बन्ध में एक विशेष संशोधन का सुझाव दिया है। और दूसरा संशोधन यह है। खंड (ख) के पूर्व-न्यायिक कार्यकलापों की परिभाषा में मैं यह जोड़ना चाहता हूं। जिस वस्तु के मूल्य पर नियंत्रण न हो और कोई व्यक्ति इसे 4 आने में बेचता हो जबकि पुलिस सब इन्सपैक्टर के विचार में इसे 3½ आने में बेचा जाना चाहिये था और इस प्रकार वह आर्थिक कानून का उल्लंघन कर रहा हो तो इस व्यक्ति को समाज विरोधी कार्यकलापों की परिभाषा के अधीन नजरबंद किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता, जैसे कि प्रावधान है। लेकिन यदि इस कानून के अधीन इस प्रकार के अतिचार की संभावना हो तो इसे कानून से निकाल दिया जाना चाहिये।

मेरा तीसरा संशोधन यह है। जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस आयुक्त की शक्ति सम्बन्धी उपधारा (2) पूर्णतः समाप्त की जानी चाहिये। 'कोफेकोसा' में भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गयी है। यह प्रावधान पहले मीसा आंसुका में ही था और इसे उस कानून से भी निकाल दिया गया। बाजार से मुनाफाखोरों के साथ तस्कर अथवा विदेशी मुद्रा में हेरफेर करने वालों से अधिक बुरा व्यवहार क्यों किया जाना चाहिये। मेरे विचार में सभी कानूनों का उद्देश्य कानून की बुराईयों को दूर करना ही होना चाहिये।

शेष संशोधन खंड 3 के आनुसंगिक संशोधनों से सम्बन्धित है, यदि पहले तीन संशोधन स्वीकार हो जाते हैं तो वे स्वयं ही लागू हो जायेंगे।

(धन्यवाद)

श्री रामवतार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने दो संशोधनों सं० 66 और 67 के बारे में एक-एक मिनट मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। जहां इस बात की चर्चा है कि किसी भी चोरबाजारी करने वाले, मुनाफाखोरी करने वाले को नजरबन्द किया जायगा, उस के आखिर में मैं इन शब्दों को जोड़ना चाहता हूं।

"किन्तु ऐसा करते समय राजनीतिक भेदभाव, दुश्मनी या दुर्भावना से काम नहीं लिया जायगा।"

अगर सरकार सचमुच में केवल चोरबाजारी करने वालों, मुनाफाखोरी करने वालों को ही इस कानून के अन्तर्गत जेलों में रखना चाहती है तो उसे मेरे संशोधन को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। अगर सरकार इन्कार करती है तो मैं यही समझूंगा कि उनका दावा कि हम दूसरों को इस कानून के अन्दर नहीं पकड़ेंगे, चोट नहीं पहुंचायेंगे, यह केवल पाखण्डपूर्ण दावा होगा। मैंने ऐसा इस लिये कहा कि पहले भी नजरबन्दी कानून के तहत यदि किसी को किसी के साथ कोई दुश्मनी थी तो उसने जा कर सम्बन्धित अधिकारी को कह दिया और उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया। किसी भी राजनीतिक भेदभाव या दुश्मनी के कारण ऐसी बात होती रही है। इस लिये सही मायनों में जिस उद्देश्य का दावा आप कर रहे हैं, यदि आप की उस बात को मान लिया जाय, तो फिर आप को मेरे इस संशोधन को स्वीकार करना चाहिये।

जहां तक दूसरे संशोधन का सम्बन्ध है—हमारे माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने भी उसका जिक्र किया है, मैं उनके तर्कों का समर्थन करते हुए इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधन को आप निश्चय ही मानिये। अन्य किसी संशोधन को मानिये या न मानिये, लेकिन यह संशोधन बड़ा ही महत्वपूर्ण है इसको अवश्य मानिये। अगर उसे नहीं मानते हैं तो तमाम ट्रेड यूनियन्ज की गर्दन पर प्रीवेन्टिव डिटेन्शन की तलवार लटकी रहेगी और आप जब चाहेंगे, मेरे जैसे रेलवे में काम करने वाले कार्यकर्ता को, दूसरी यूनियनों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को, जिनका सम्बन्ध आवश्यक वस्तुओं से होगा, लाने-लेजाने के काम से या उत्पादन से उनको आप आसानी से डिटेन्शन में डाल देंगे। 6 महीने तक तो आप वैसे ही रख सकते हैं, उसके बाद मैनिपुलेट करके 6 महीने को बढ़ा कर एक साल भी कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस संशोधन को तो निश्चय ही मानना चाहिए ताकि लोग समझें कि आपका इरादा बुरा नहीं है और आपका इरादा सचमुच में चोरबाजारी करने वालों और मुनाफाखोरी करने वालों तक ही सीमित है।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लाज 3 में यह सुझाव दे रहा हूं कि ये शब्द जोड़ दिये जाएं ताकि इस प्रजातन्त्र में, हमारे देश में प्रजातन्त्र है, निर्दोष व्यक्तियों को निरुद्ध न किया जा सके :

"लेकिन यह धारा उस व्यक्ति पर लांगू नहीं होगी जो किसी मजदूर संघ या राजनैतिक दल का सक्रिय सदस्य हो, चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में हो" मैंने यह इसलिए कहा है क्योंकि प्रजातन्त्र में हर व्यक्ति का एक हिस्सा होता है शासन में और अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को राजनीतिक विद्वेष या कूटनीतिक षड्यन्त्र के कारण निरुद्ध किया जाएगा, तो फिर प्रजातन्त्र का अर्थ नहीं रहेगा। एक प्रजातन्त्रीय सेरकार वह है जिसमें सबका भाग हो। इसीलिए मेरा कहना यह है कि अगर फैक्ट्स और तथ्य तथा प्रमाण सही हैं, तो जो स्मगलर्स हैं या जो होर्डर्स हैं, उनको सार्वजनिक हित में निरुद्ध करने के पक्ष में तो मैं हूं लेकिन निर्दोष व्यक्ति को बचाने

के लिए क्लाज 3 में जो शब्द मैंने जोड़ देने के लिए कहा है, उस पर सरकार को एतराज नहीं होना चाहिए ।

श्री प्रणव मुखर्जी : माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्न स्पष्टीकरण करने सम्बन्धी हैं और उनके बारे एक ही प्रकार के तर्क दिये गये हैं । श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि उनका हम पर कोई विश्वास नहीं है । क्या इसका कारण यही हो सकता है कि वे वहाँ बैठते हैं और हम यहां बैठते हैं । उनका दल कुछ समय पहले तक हमारे साथ था । 1977 में हमारी हार के बाद ही सारा मामला बिगड़ गया । उन्होंने अनुभव किया कि ··(**व्यवधान**) मैं उस प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना चाहता । विधेयक का उद्देश्य मुनाफाखोरों, जमाखोरों तथा कालाबाजारियों के विरुद्ध कार्यवाही करना है । मैं इसे उद्देश्य और कारणों सम्बन्धी विवरण द्वारा स्पष्ट कर चुका हूं । ये कुछ अनिवार्य वस्तुओं के वितरण सम्बन्धी धाराओं की व्याख्या कर रहे हैं । ये जानना चाहते हैं कि क्या इसे मजदूर संघ अथवा मजदूर संघ आन्दोलन की गतिविधियों पर लागू किया जायेगा । उनके मन से इस भय को कौन निकाल सकता है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप इस बारे में स्पष्ट वक्तव्य दें ।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं इस बात को स्पष्ट कर चुका हूं कि यह कानून जमाखोरों, कालाबाजारियों से निपटने के लिये बनाया गया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसका उल्लेख विधेयक में क्यों नहीं है ? इसका उल्लेख उद्देश्य और कारणों के विवरण में क्यों नहीं किया गया है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : यदि आपको हम पर विश्वास नहीं है तो हम मजबूर हैं । विधेयक के मसविदे में कोई गलती नहीं है । ये समझते हैं कि इस कानून की ऐसी व्याख्या की जा सकती है जिससे इसके अन्तर्गत मजदूर संघ तथा इनके कार्यकर्त्ता भी इसकी परिधि में आ जायेंगे मैं उनकी इस गलतफहमी को दूर नहीं कर सकता इन्हें देखना है कि इसे कैसे लागू किया जाये और क्या कार्यवाही की जानी चाहिये ।

श्री राम जेठमलानी ने कहा है कि क्या इस कानून को 'कोफेपोसा' के समान नहीं बनाया जा सकता है । यह बात ठीक है कि उच्च स्तर के अधिकारियों को नजरबन्दी सम्बन्धी शक्तियां प्रदत्त हैं । जहां तक 'कोफेपोसा' का सम्बन्ध है, मैं कहूंगा कि यह महानगरों और बड़े बन्दरगाहों से सम्बन्ध रखता है । जहां तक इस अधिनियम का सम्बन्ध है, इसके अन्तर्गत हमें ग्रामीण क्षेत्रों का भी ध्यान रखना है । इसीलिये शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस आयुक्त को प्रदान की गयी हैं । वास्तव में नजरबन्दी सम्बन्धी शक्तियां कार्यकारी अधिकारियों को दी गयी हैं और न्यायिक अधिकारियों को केवल इसकी समीक्षा ही करनी है । इसी कारण न्यायिक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में सेवा-निवृत्त न्यायाधीश अथवा कार्यरत न्यायाधीश की सहायता से इस प्रक्रिया का पुनर्विलोकन किया जायेगा, इस प्रकार के प्रवन्ध किये गये हैं । आप यह नहीं जानते कि नजरबन्दी आदेश कौन जारी करेगा और यदि वह न्यायाधीश हो तो

उसकी क्या समस्या अथवा कठिनाई होगी ? यह एक कार्यकारी आदेश है। यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वर्तमान न्यायाधीश एक कार्यकारी आदेश जारी करेगा और वह इसके सभी पहलुओं पर विचार करेगा। यदि ऐसा होगा तो इसका समूचा प्रयोजन ही निष्फल हो जायेगा। ऐसी स्थिति में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह मुख्यतः एक कार्यकारी साधन है और कार्यकारी प्राधिकार को यह साधन उपलब्ध किया जाना चाहिए। न्यायिक संवीक्षा के लिए अनुरक्षण होने चाहिएं और उन अनुरक्षणों को विधेयक के मूल पाठ में निगमित किया गया है।

श्री बापू साहेब परुलेकर : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम न्यायपालिका के अधिकारियों को ये शक्तियां नहीं दे रहे हैं क्योंकि न्यायपालिका के अधिकारी पहले ही सलाहकार बोर्ड में सम्मिलित किए हुए हैं। मेरे संशोधन में यह सुझाव है कि न्यायिक शक्तियां सत्र न्यायाधीशों तथा न्यायिक मजिस्ट्रेटों को दी जानी चाहिए न कि उच्च न्यायालयों को जो कि सलाहकार बोर्डों का गठन करेंगे। इसका उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री प्रणव मुखर्जी : यह संभव नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 3 में कई संशोधन हैं मैं समयाभाव के कारण सभी संशोधनों को एक साथ मतदान के लिए रखूंगा बशर्ते कि कुछ माननीय सदस्य अपने संशोधनों को पृथक रूप से न रखना चाहें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कुछ ही समय पूर्व मैंने बताया था कि कतिपय ऐसे संशोधन हैं जिन्हें हम अन्य संशोधनों की तुलना में अत्यधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। आप उन्हें अन्य संशोधनों के साथ मिलाना चाहते हैं। यह उचित नहीं है। मैं युवा मंत्री जी के उत्तर से प्रभावित नहीं हुआ हूं। उन्होंने मेरे बल पर सस्ते किस्म की राजनीतिक नुखतावाजी करने का प्रयास किया है। किन्तु चूंकि वह अभी युवा हैं, अतः मुझे उन्हें क्षमा करनी ही होगी। मैं अपने संशोधन संख्या 24 को पृथक रूप से रखवाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

24. पृष्ठ 2,—

पंक्ति 36 के **पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाये—**

"परन्तु इस उपधारा के अधीन व्यवसाय संघ की किसी भी विधि सम्मत गतिविधि को जिसके अन्तर्गत हड़ताल या नियमानुसार करना आन्दोलन भी आता है, अपराध नहीं समझा जायेगा।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

विभाजन सूची संख्या 8

मध्यान्ह पश्चात् 2.33 बजे

पक्ष में	विपक्ष में
अबेदिन, श्री जायनल	अंकिनोड़, श्री प्रसाद राव
कुमार, श्री गिरि सुधीर	अप्पालानायडू, श्री एम. आर. ए. एस.
कोडियन, श्री पी. के.	अवेदिन, श्री जायनल
गुप्त, श्री इन्द्रजीत	अर्जुन, श्री के०
गोयल, श्री कृष्ण कुमार	अंराक्कल, श्री एक्सवेयर
गोहिल, श्री गोगाभाई भावुभाई	अहमद, श्री बेरिस्टर गुलशेर
घोष, श्री निरेन	अहमद मोहम्मद असरार
घोष, श्रीमती विभा गोस्वामी	आठरे, श्री चन्द्रभान बालाजी
चटर्जी, श्री सोमनाथ	आनन्दसिंह, श्री उर्फ अन्नुभय्या
चतुर्भुज, श्री	इमाम, श्री अजीज
चौधरी, श्री सैफुद्दीन	कर्मा, श्री लक्ष्मण
जाटिया, श्री सत्यनारायण	कल्पनाथ, श्री
तिरकी, श्री पियूष	कादरी, श्री एस० टी०
दंडवते, प्रो० मधु	कामावशय्याह, श्री डी.
दास, श्री रेनुपाड़ा	किदवई, श्रीमती मोहसिना
पंडित, डा० वसन्त कुमार	कृष्णा, श्री एस० एम०
परुलेकर, श्री बापू साहेब	कृष्ण दत्त, श्री
पाठक, श्री आनन्द	कैलाशपति, श्रीमती
पाल, श्री रूपचन्द	कोचक, श्री गुलाम रसूल
बालनन्दन, श्री	कौर श्रीमती गुरबिन्द्र
भट्टाचार्य, श्री सुशील कुमार	खां, श्री आरिफ मोहम्मद
मंडल, श्री सनत कुमार	खां, श्री मलिक
मधुकर, श्री कमला मिश्र	गंगवार, श्री हरीश कुमार
मनोहरलाल, श्री सेनी	गधाबी, श्री भेरावदन खेतदांजी
महालगी, श्री रामचन्द्र कांशीनाथ	गरचा, श्री देविन्द्र सिंह
मिश्रा, श्री गार्गीशंकर रामकृष्ण	गहलोत, श्री अशोक
मुखर्जी, श्रीमती गीता	गांधी, श्रो संजय
मुखर्जी, श्री समर	गाडगिल, श्री बी. एन.
मुहम्मद इस्माइल, श्री	गामित, श्री छोतुभाई देवजीभाई

पक्ष में	विपपक्ष में
मैत्रा, श्री सुनील	गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव नानासाहब
मोदक, श्री·बिजोय	गायकवाड़, श्री रणजीतसिंह जी प्रतापसिंह जी
मोल्लाह, श्री हन्नान	गोमांगों, श्री गिरिधर
मोहेन्द्रा,श्री नगनगीम	गोहिल, श्री गोगाभाई भावूभाई
यादव, श्री छोटेसिंह	गौजगिन, श्री
यादव, श्री विजय कुमार	चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
राजदा, श्री रत्नसिंह गोकुलदास	चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
राय, डा० सरदीश	चरणजीत सिंह, श्री
वर्मा, श्री चन्द्रदेव	चव्हाण , श्री शंकरराव भाऊराव
वर्मा, श्री जयराम	चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोड़ाभाई
वर्मा, श्री फूलचन्द	चिगवांग, श्री
वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह	चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
वर्मा, श्री रवीन्द्र	चौधरी, श्री ए. बी. ए. गनी खान
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद	चौधरी, श्री चित्तुरी सुब्बाराव
वर्मा, श्री शिवशरण	चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश
शाक्य, श्री दयाराम	चौहान श्री फतहभानु सिंह
शास्त्री, श्री रामावतार	छोटे लाल, श्री
शेंजवलकर, श्री नारायण कृष्णराव	जगजीवन राम, श्री
षाडंगी, श्री रुद्र प्रताप	जगन्नाथ, श्री कौशल
सत्य गोपाल, श्री मिश्रा	जयनारायण, श्री
साहा, श्री गदाधर	जाइबा, श्रीमती राणे सरदेसाई संयोगिता
सिंह, श्री धर्मबीर,	जाडेजा, श्री दोलतसिंह प्रतापसिंह जी
सिंह, श्री निहाल	जेना, श्री चिंतामणि
सिंह, श्री बी. एन.	जेन, श्री भीकूराम
सूरजभान, श्री	जैन, श्री विरदीचन्द
सैयद, श्री मसदुल	टाईटलर, श्री जगदीश
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द्र	टुडु, श्री मनमोहन
होरो, श्री निरल एनम	डेन्निल, श्री एन.
	तिवारी, श्री नारायण दत्त
	तुरे, श्री एल० एस०
	थुगंन, श्रीप्रेम खांडु
	दन्डपाणि, श्री सी. टी.

पक्ष में	विपक्ष में
	दाभी श्री अजीतसिंह फूलसिंह जी
	दामोर, श्री सोमजीभाई पंजाभाई
	दुबे, श्री बिन्देश्वरी
	देव, श्री के. पी. सिंह
	दोराई, सेवस्तीयान, श्री एस. ए.
	धोरपाड़े, श्री आर. वाई.
	नण्जेएोडा, श्री एच. एन.
	नय्यर, श्री बी. के.
	नाथूराम, श्री
	नायक, श्री सरूपसिंह हिरया
	नायडू, श्री पी. राजगोपाल
	निखरा, श्री रामेश्वर
	निर्मला कुमारी, श्रीमती
	नेताम, श्री अरविन्द
	पट्टुस्वामी, श्री डी०
	पटेल, श्री अमरीत मोहनलाल
	पटेल, श्री अहमद मोहम्मद
	पटेल, श्री शांतुभाई चुनीभाई
	पराशर, पी० नारायण चन्द
	परुलेकर, श्री बापूसाहेब
	पलानोअप्पन, श्री सी.
	पाइलेट, श्री राजेश
	पाटिल, श्री विजयकुमार नवल
	पाटिल, श्री शिवराज विश्वनाथ
	पाटिल, श्री शंकरराव बाजीराव
	पाटिल, श्री उत्तमराव देवराव
	पाटिल, श्री ए. टी.
	पाटिल, श्री बाला साहेब
	पाटित्त, श्री बसन्तराव
	पाटिल, श्री वीरेन्द्र
	पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
	पांडेय, श्री केदार

पक्ष में	विपक्ष में
	पांणिका, श्री राम प्यारे
	पारधी, श्री केशोराव
	पुजारी, श्री जनार्दन
	पुलैय्या, श्री दरूर
	प्रभु, श्री आर.
	प्रसाद, श्री महावीर
	प्रसाद, कु० जितेन्द्र
	पोटुड्खे, श्री शान्ताराम
	फैलीरो, श्री एडुआर्डो मारतिन्हो
	बन्सीलाल, श्री
	बरवे ,श्री जतीराम चेतराम
	बरोड़, श्री मगनभाई
	बहेरा, श्री राम बिहारी
	बहादुर, श्री हरिकेश
	बीरेन्द्र सिंह, श्री
	बीजेन्द्र पाल सिंह, श्री
	बूटा सिंह, श्री
	बीस, श्री अल्लूरी सुभाषचन्द्र
	भक्त, श्री मनोरंजन
	भगत, श्री एच. के. एल.
	भगत, श्री बलिराम
	भगवान, श्री देव
	भीखा भाई, श्री
	भूरिया, श्री दिलीपसिंह
	भाई, डा० कृपासिण्धु
	भोये रेशमा मोतीराम, श्री
	भोले, आर० आर० श्री
	मकवाणा, श्री नरसिंहभाई करसनभाई
	मनफूलसिंह, श्री
	मणि, श्री के. बी. एस.
	मल्लिकार्जुन, श्री
	माने, श्री राजाराम उर्फ बालासाहेब शंकरराव
	मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल

पक्ष में	विपक्ष में
	मुन्सेवार, श्री विलास
	मूर्थी, श्री कुसुमा कृष्णा
	मुबारक शाह, श्री ख्वाजा
	मेहता, श्री महिपाल मूलशंकर
	भोरे, श्री रामकृष्ण सदाशिव
	मोहन्ती, श्री ब्रजमोहन
	मोहसिन, श्री एफ. एच.
	मोहिते, श्री यशवन्तराव जिजाबा
	यादव, श्री रामराव नारायणराव
	यादव, श्री रामसिंह
	येल्लेयाहा, श्री नन्दी
	रंगा, श्री एन. जी.
	रवाणी, श्री नवीनचन्द्र
	राघवन, श्री वी. एस. विजया
	राठवा, श्री अमरसिंह भाई वीरयाभाई
	राठोड़, श्री उत्तमराव बलीराम जी
	रामकुमार, श्री
	रामधन, श्री प्रभुनारायण
	रामामूर्ति, श्री के.
	रामास्वामी पदयाची, श्री एस. एस.
	रामलिंगम, श्री एन.
	राय, श्रीमती सहोदराबाई
	राव, श्री एम. सत्यनारायण
	राव, श्री एस. वी. पट्टाभिरावरामा
	राव, श्री जगन्नाथ आर.
	राव, श्री मेदुरी नागेसवर
	रावत, श्री हरीश
	रियान, श्री बाजुवन
	रेड्डी, श्री टी. दामोदर
	रेड्डी, श्री एम. रामगोपाल
	लकप्पा, श्री के.
	वाजपेयी, डा० राजेन्द्रकुमारी
	वर्मा, श्री जयराम

पक्ष में	विपक्ष में
	वायरले मधुसूदन आत्माराम, श्री
	वासनिक, बालकृष्ण रामचन्द्र श्री
	विरधू राम, श्री
	विश्वास, श्री अजय
	व्यास, श्री गिरधारीलाल
	वेंकटरामन, श्री आर.
	वेंकटा सुब्यैय्या, श्री पी.
	वेलू, श्री ए. एम.
	शंकरानन्द, श्री बी.
	शनमुगम, श्री पी.
	शर्मा, श्री कालीचरण
	शर्मा, श्री नवल किशोर
	शर्मा, श्री भानुप्रताप
	शर्मा, श्री मुन्दर
	शर्मा, श्री विश्वनाथ
	शर्मा, डा० शंकरदयाल
	शायवार, श्री नाथूराम
	शास्त्री, श्री धर्मदास
	शास्त्री, हरी किशन
	शिवकुमार सिंह, श्री ठाकुर
	शिवशंकर, श्री पी.
	संगमा, श्री पुरनो ए.
	सज्जन कुमार, श्री
	सपेरो, जनरल रजिन्दर सिंह
	सावंत, श्री त्रयम्बकराव मारोतराव
	साहू, श्री नारायण
	सिंह, श्री अजीत प्रताप
	सिंह, श्री गुरचरण
	सिंह, श्री जयदीप
	सिंह, श्री डूंगर
	सिंह, श्री निहाल
	सिंह, श्री रणवीर
	सिंह, श्री सी. पी. एम.

पक्ष में	विपक्ष में
	सिंह श्री हरीश चन्द्र
	सिंह, श्रीं हाकम
	सुखाड़िया, श्री मोहनलाल
	सुन्दर सिंह, श्री
	सुभा, श्री पहाल मान
	सेठी, श्री प्रकाशचन्द
	सोलंकी, श्री बाबूलाल
	स्वामी, श्री के. ए.
	हुसेन, श्री अशफाक
	हुसेन, श्री तय्यब
	क्षीर सागर केशरबाई सोनोजीराव, श्रीमती उर्फ काकू
	त्रिपाठी, श्री राम नारायण
	त्रिपाठी, श्रो कमलापति

उपाध्यक्ष महोदय : मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है ।

पक्ष में	विपक्ष में
55	193

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

श्री बापू साहेब परुलेकर : मेरे संशोधन संख्या 25 तथा 26 प्रथक रूप से रखे जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 25 तथा 26 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 25 तथा 26 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड 3 के सभी संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखूंगा ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 4 (विरोध आदेशों का निष्पादन)

श्री बापू साहेब परुलेकर : खंड 4 पर मेरा एक संशोधन संख्या 27 है। मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 3,

पंक्ति 22 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"परन्तु जिस व्यक्ति को निरोध-आदेश की तामील की गई है उसे न तो हथकड़ी लगाई जाएगी और न ही उसे पुलिस थाने में निरुद्ध रखा जाएगा। (27)

यह इस घृणित विधेयक का एक शरारतपूर्ण खंड है जो कि निरोधकर्ता प्राधिकार को निरोध आदेश का वारंट के रूप में कार्यान्वित करने की शक्ति प्रदान करता है। अतीत के अनुभव से पता चलता है कि जब कुछ व्यक्तियों के लिए ऐसे आदेश जारी किए गए तो उन्हें हथकड़ी लगाई गई या उनके हाथ रस्सियों से बांधे गए। मैं भी उन मुक्तभोगियों में से एक हूं। जब मुझे निरोध आदेश दिया गया तो मुझे हथकड़ी लगाए हुए रत्नागिरी से पूना ले जाया गया और उस समय श्री शंकर राव चाह्वाण मुख्य मंत्री थे। पुलिस को शक्तियां दी गईं, उस समय इस बारे में कोई सांविधिक उपबन्ध नहीं था। स्थानीय नेताओं तथा राजनीतिक दलों के कहने पर ही ऐसा किया गया। ऐसे यहां कई व्यक्ति बैठे हुए हैं, जिन्हें पथकड़ी पहनाये जाने का अनुभव है, इसीलिए मैं यह परन्तुक पेश कर रहा हूं ताकि जिस व्यक्ति को नजरबन्द किया जाना हो उसकी सुरक्षा की जा सके। क्योंकि यह दण्डात्मक नजरबन्दी है न कि निरोध नजरबन्दी। जिस व्यक्ति को नजरबन्द किया जाना है उसे साधारण अपराधी नही समझा जाना है। मैंने भी कहा है कि उन्हें पुलिस स्टेशन में नजरबन्द नहीं किया जाना चाहिए। मुझे इसका अनुभव है। हमें दो दिन साधारण अपराधियों के साथ पुलिस स्टेशन में नजरबन्द रखा गया। यह दण्डात्मक नजरबन्दी नहीं है। इसीलिए मैंने यह परन्तुक पेश किया है, मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस परन्तुक पर गंभीरता से विचार करें ताकि वे इस विधान को पेश करते हुए अपनी सद्भावनाओं को सिद्ध कर सकें।

श्री प्रणव मुखर्जी : हमने नजरबन्दी की शर्तें निर्धारित करने के लिए सरकार को प्राधिकार दे दिया है। केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में नियम भी बनाने पड़ेंगे। इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 27 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड 5

श्री कमला मिश्र मधुकर : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 3, पंक्ति 32;

अंत में निम्नलिखित **जोड़ा जाये ।**

"और सम्बन्धित व्यक्तियों तथा राज्यों को पूरे तथ्य दिए जायेंगे ।" (10)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 10 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 6

श्री कमला मिश्र मधुकर : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 3, पंक्ति 36,

अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाये ।**

"वह किसी राजनीतिक दल चाहे सत्ताधारी दल का या प्रतिपक्षी दल का है, या"

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 11 सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 7

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 7 में कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है :—

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 8

श्री बापू साहेब परुलेकर : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 4, पंक्ति 21-23,—

"यथाशक्य शीघ्र, किन्तु निरोध की तारीख से मामूली तौर पर पांच दिन के भीतर तथा असाधारण परिस्थितियों में और ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, दस दिन के भीतर" **के स्थान पर** "निरोध आदेश तामील करते समय" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (31)

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 26 से 28 **का लोप किया जाये।** (32)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संविधान संख्या 31 और 32 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 41 को पेश नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संशोधन संख्या 32 के ही अनुसार है जो कि पहले ही अस्वीकृत हो चुका है।

प्रश्न यह है :—

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9

श्री कमला मिश्र मधुकर : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 4, पंक्ति 36 और 37,—

"किसी उच्च न्यायालय के सेवारत या निवृत्त न्यायाधीश अन्य सदस्य होंगे" **के स्थान पर** "अन्य सदस्य ऐसे होंगे जो पूर्णतया चोरबाजारी के विरुद्ध हों।" **प्रतिस्थापित किया जाये।** (12)

श्री के० के० गोयल (कोटा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 29,—

"जब भी आवश्यकता हो" का लोप किया जाये। (42)

श्री कमला मिश्र मधुकर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो संशोधन है उसमें मेरा कहना यह है कि ऐडवाइजरी बोर्ड जो बनाने जा रहे हैं उसमें ऐसे लोग हों जो कमिटेड हों क्यों कि अगर चोरबाजारी को रोकना है और चोरबाजारी करने वालों को बन्द करना है तो उसके लिए ऐड-

वाइजरी बोर्ड में ऐसे लोगों का होना आवश्यक है । अगर ऐसा नहीं होगा तो और लोगों के अधिकार छिन जाएंगे और जो चोरबाजारी करने वाले हैं उनको पकड़ा नहीं जा सकेगा। मेरा अपना अनुभव यह है कि हमारे अपने जिले में, मोतीहारी में एक कमेटी इसके लिए बनाई गई थी लेकिन उसमें ऐसे लोग थे जो चोरबाजारी में मदद करने वाले थे । यह वहां के जिलाधिकारी ने मुझसे कहा कि हम क्या करें, ऐसा-ऐसा हो रहा है । उस कमेटी में ऐसे लोग थे जो चोरबाजारी में मदद करते थे । इसलिए मेरा यह कहना है कि इस कानून को अगर प्रभावी बनाना है तो ऐडवाइजरी बोर्ड में कमिटेड लोगों को रखिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 12 और 42 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 10

श्री कमला मिश्र 'मधुकर' : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 12 और 13—

"तीन सप्ताह" **के स्थान पर** "पन्द्रह दिन" **प्रतिस्थापित किया जाए ।** (13)

श्री के० के० गोयल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 12 और 13,—

"तीन सप्ताह" **के स्थान पर** "दो सप्ताह" **प्रतिस्थापित किया जाए ।** (43)

पृष्ठ 5, पंक्ति 16 से 18,—

"तथा जब आदेश धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा धारा 3 के अधीन दी गई रिपोर्ट थी" **का लोप किया जाए ।** (44)

श्री रामावतार शास्त्री : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ 5, पंक्ति 18,—

अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए ।**

"और यदि निरुद्ध व्यक्ति की ऐसी इच्छा हो तो उसे सलाहकार बोर्ड के समक्ष बोर्ड के सदस्यों के लाभार्थ अपना विचार रखने के लिए स्वयं हाजिर होने की अनुमति दी जाए ।" (35)

श्री रामावतार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, सलाह-कार बोर्डों को निर्देश देने की जिस धारा में चर्चा है उस धारा के अन्त में मैं अपना अमेण्डमेन्ट जोड़ना चाहता हूं जो इस प्रकार है —

"और यदि निरुद्ध व्यक्ति की ऐसी इच्छा हो तो उसे सलाहकार बोर्ड के समक्ष बोर्ड के सदस्यों के लाभार्थ अपना विचार रखने के लिए स्वयं हाजिर होने की अनुमति दी जायेगी।"

मैं इस लिये बोलना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस राज में ही 1948 से 1950 तक पटना में बिहार में, दो साल तक नजरबन्द रखा गया और उस समय मैंने इच्छा जाहिर की थी कि मुझे सलाहकार बोर्ड के सामने पेश किया जाय, लेकिन मुझे वह इजाजत नहीं दी गई। हम स्वयं इसके विक्टिम हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सही ढंग से या गलत ढंग से जैसे भी आप ने नजरबन्द किया, अगर वह व्यक्ति सलाहकार बोर्ड के सामने अपनी बातें रखना चाहता है तो उसे अधिकार होना चाहिये कि वह स्वयं उपस्थित होकर अपनी बात रख सके।

मेरा यही संशोधन है और इसको स्वीकार किया जाना चाहिये ताकि किसी के अधिकार का हनन न हो।

श्री प्रणव मुखर्जी : वर्तमान उपबन्ध के अन्तर्गत भी यदि सलाहकार बोर्ड आवश्यक समझे तो उसे मौका दे सकता है। यह व्यवस्था पहले ही है। वह इसे अनिवार्य बनाना चाहते हैं जो सम्भव नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन सं० 13, 43, 44 और 74 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

(संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खन्ड 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 11

श्री कमला मिश्र 'मधुकर' : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 25, —

"सात" **के स्थान पर** "चार" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (14)

पृष्ठ 5, पंक्ति 26, —

"राय" के पश्चात "जो किसी राजनीतिक या अन्य बातों पर नहीं बल्कि मामले के गुणावगुण पर आधारित होगी" **अन्तःस्थापित किया जाए।**

श्री बापू साहेब परुलेकर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 24—

"के पश्चात" के पश्चात् "और यदि कोई मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य हो, तो इसे देने का उसे अवसर देने के पश्चात्" **अन्त:स्थापित किया जाए ।** (33)

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 35 **के पश्चात** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाए "स्पष्टीकरण** - यदि सलाहकार बोर्ड इस धारा की उपधारा (1) के अधीन समुचित सरकार से सामग्री और अतिरिक्त जानकारी मांगता है, तो उससे इस आधार पर इन्कार नहीं किया जाएगा कि इसका प्रकटन सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा।" (34)

पृष्ठ 5, पंक्ति 31 से 34,—

"इस धारा की कोई बात उस व्यक्ति को, जिसके विरद्ध निरोध-आदेश किया गया है, इस बात का हकदार न वनाएगी कि वह सलाहकार बोर्ड को निर्देश से संबंधित किसी मामले में विधि-व्यवसायी द्वारा हाजिर हो तथा" **का लोप किया जाये ।** (35)

श्री के० के० गोयल : मैं प्रताव करता हूं :

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 34 और 35 का **लोप किया** जाए । (46)

श्री रामावतार शास्त्री : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 19, —

"विचार करने" **के पश्चात्** "और व्यथित व्यक्ति को सुनने" **अन्तःस्थापित किया जाए ।** (75)

पृष्ठ 5, पंक्ति 25, -

"सात" **के स्थान पर** "पांच" **प्रतिस्थापित किया जाए ।** (76)

श्री बापूसाहेव परुलेकर : मैं मन्त्री महोदय का ध्यान खण्ड 11 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें संरक्षण प्रदान करके यह कहा गया है कि निरुद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अधिकार होगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि उसकी बात सुनने के बाद क्या आप उसे मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य देने का अधिकार देंगे । आप उपखण्ड (4) के अन्तर्गत उसे कानूनी सहायता देने से इन्कार कर रहे हैं। इस खण्ड में आपने "उसकी वैयक्तिक सुनवाई के बाद" शब्दों का उल्लेख किया है । यदि आप वस्तुतः उसे मदद देना चाहते हैं या आप संरक्षण की व्यवस्था करना चाहते हैं तो आप कृपया मेरे संशोधन संख्या 33 पर विचार करें जिसमें ये शब्द अन्तः स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है "और यदि कोई मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य हो, तो इसे

देने का उसे अवसर देने के पश्चात्" । इससे उसे हर प्रकार की सहायता और मौका मिलेगा । मैं आपसे अनुरोध करताहूं कि आप मेरा संशोधन स्वीकार करलें । इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी ।

उपखण्ड (4) में नागरिकों को कानूनी सहायता न लेने देने की सरकार की बात उचित नहीं है । क्या आपको कानूनी विशेषज्ञों और वकीलों से डर लगता है ? उपखण्ड (4) को जोड़ने का क्या कारण है ?

इस खण्ड विशेष के संदर्भ में मैंने कहा है कि जहां तक सलाहकार बोर्ड का सम्बन्ध है, यह परन्तुक उस रूप में लागू नहीं होगा जिस रूप में "आंसुका" लागू था यानि जो भी रिकार्ड सरकार के पास उपलब्ध है उसे सलाहकार बोर्ड को उपलब्ध कराया जाए । अतः मैंने स्पष्टीकरण दिया है :

"यदि सलाहकार बोर्ड इस धारा की उपधारा (1) के अधीन समुचित सरकार से सामग्री और अतिरिक्त जानकारी मांगता है, तो उससे इस आधार पर इन्कार नहीं किया जायेगा कि इसका प्रकटन सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा ।"

माननीय मंत्री को ज्ञात होगा कि जब रिट याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी तब इस प्रकार की जानकारी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को देने से इन्कार किया गया था ।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह मेरे तीनों संशोधनों पर विचार करें और अवरुद्ध व्यक्ति को वकीलों की मदद लेने, उसे सुने जाने का अधिकार दिया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि सलाहकार बोर्ड को सरकार के पास उपलब्ध सभी जानकारी मिले । मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह सभा को बताएं कि अवरुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति को यह अधिकार देने से क्यों इन्कार किया जा रहा है । जबकि आप अधिनियम में संरक्षणों की व्यवस्था करना चाहते हैं ।

श्री प्रणव मुखर्जी : सलाहकार बोर्ड के सम्बन्ध में विधेयक में उपबन्ध है कि यदि उसे कोई जानकारी चाहिए तो उसे मांगने का उसे हक है । अपनी सन्तुष्टि के लिए यह जो भी जानकारी चाहें मंगा सकते हैं जिससे कि वह तथा न्यायाधीश यह पता लगा सकें कि नजरबन्दी न्यायोचित है या नहीं । मैं इसे स्पष्ट कह चुका हूं और इस बारे में मुझे और कुछ नहीं कहना है ।

कानूनी सहायता के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि निवारक नजरबन्दी का अर्थ किसी व्यक्ति विशेष को कोई कार्य विशेष करने से रोकना है । वस्तुतः उसने कोई अपराध नहीं किया होता । अगर वह कोई अपराध करता है तो उसे नजरबन्द करने का कोई औचित्य नहीं है । यह तो किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए है । इसलिए यह सोचा गया है कि सलाहकार बोर्ड उस समस्त सामग्री का अध्ययन करेगा जो निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी उसके सम्मुख पेश करेंगे । सारी सामग्री का अध्ययन करने के बाद भी यदि सलाहकार बोर्ड आवश्यक समझे तो वह व्यक्ति की परीक्षा कर सकेगा और नजरबन्द व्यक्ति उसके सामने पेश हो सकेगा,

अपने मामले का स्पष्टीकरण दे सकेगा । इन सब बातों पर विचार करने के बाद सलाहकार बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि क्या नजरबन्दी उचित है या अनुचित । अतः वकील लाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 14, 15, 33, 34, 35, 46, 75 और 76 सभी को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखूंगा ।

संशोधन रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 11 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड 12

उपाध्यक्ष महोदय : शायद श्री मधुकर अपने संशोधन के लिए आग्रह नहीं कर रहे ?

श्री कमला मिश्र 'मधुकर' : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

पृष्ठ 5, पंक्ति 38,

"व्यक्ति को" के **पश्चात्** "छः मास से अन्यून" **अन्तःस्थापित किया जाए ।"** (16)

श्री रामावतार शास्त्री : मैं दोनों संशोधन पेश कर रहा हूं पर बोलूंगा एक पर ही ।

पृष्ठ 5, पंक्ति 38-39,—

"उतनी अवधि पर्यन्त निरुद्ध रख सकेगी, जितनी वह ठीक समझे" **के स्थान पर** "दो मास से अनधिक अवधि पर्यन्त निरुद्ध रख सकेगी ।" **प्रतिस्थापित किया जाए ।** (77)

पृष्ठ 5, पंक्ति 42,—

अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए** —

"और अनुचित निरोध में रखने के लिए उसे हुई हानि के लिए प्रतिकर देगी ।" (78)

श्री रामावतार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन 78 के बारे में बोल रहा हूं । इस विधेयक की धारा 12 की उपधारा (2) में इस प्रकार कहा गया है :

"(2) किसी ऐसे मामले में, जिसमें सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि सम्बद्ध व्यक्ति के लिए उसकी राय में पर्याप्त कारण नहीं है, समुचित सरकार निरोध-आदेश वापस लेगी तथा व्यक्ति को तुरन्त छुड़वा देगी ।"

मेरा कहना यह है कि इसके बाद यह जोड़ा जाए :

"और अनुचित निरोध में रखने के लिए उसे हुई हानि के लिए प्रतिकार देगी ।"

इसलिए मैं यह चाहूंगा कि जो व्यक्ति गलत तरीके से निरुद्ध किया जाता है, उसको कुछ कम्पेंसेशन मिलना चाहिए क्योंकि उसको मानसिक रूप से नुकसान हुआ है, आर्थिक तथा सामाजिक रूप से उसका नुकसान हुआ है और लोग ऐसा समझते हैं कि वह गलत आदमी था और इसलिए उसे बन्द कर दिया गया था। उसको लोग चोरबाजारी करने वाला समझेंगे और जब ऐसी स्थिति है, तो निश्चित रूप से उसे कम्पेंसेशन मिलना चाहिए क्योंकि सरकार ने उसे दोषी करार नहीं दिया। उसको इसके लिए कम्पेंसेशन पाने का हक है और सरकार का भी यह कर्तव्य है कि वह उसे कम्पेंसेशन दे। जब सरकार अपनी गलती स्वीकार करती है, तो आखिर उसे कम्पेंसेशन मिलना चाहिए क्योंकि इससे यह होगा कि किसी विशेष व्यक्ति को निरुद्ध न किया जा सके।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं नहीं समझता कि हम क्षतिपूर्ति के प्रस्ताव को मान सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप चोरबाजारी करने वालों को क्षतिपूर्ति देना चाहते हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री : 6 महीने या 2 महीने या एक महीने उसे बन्द रखा गया तो इस बीच में उसका जो नुकसान हुआ है, उसे कौन पूरा करेगा। वह समाज में बुरा समझा जायेगा और वह दिमागी तौर पर पागल भी हो सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह यह कहते हैं कि जिस मामले में सलाहकार बोर्ड का विचार है कि उसे गलत तरीके से बन्द किया गया है······

श्री प्रणव मुखर्जी : यदि सलाहकार बोर्ड इस निर्णय पर पहुंचता है तो उसे तत्काल छोड़ दिया जायेगा। किन्तु क्षतिपूर्ति की बात हम नहीं मान सकते।

श्री रामावतार शास्त्री : गलत काम के लिए सरकार को भी सजा मिलनी चाहिए।

श्री प्रणव मुखर्जी : सामान्य कानून के अन्तर्गत उसे कानून का सहारा प्राप्त है। किन्तु सरकार क्षतिपूर्ति का प्रस्ताव नहीं मान सकती है। वह न्यायालय में जा सकता है।

श्री रामावतार शास्त्री : आप विधेयक में यह उपबन्ध कर सकते हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : यह सम्भव नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब संशोधन संख्या 16, 77 और 78 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 13

श्री कमला मिश्र मधुकर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 45,—

"छह मास" **के स्थान पर** "एक वर्ष" **प्रतिस्थापित किया जाये।** (17)

श्री के० के० गोयल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 45, —

"छह मास" **के स्थान पर** "नब्बे दिन" **प्रतिस्थापित किया जाये।** (47)

पृष्ठ 6, —

पंक्ति 1 से 3 का **लोप किया जाये।** (48)

श्री रामावतार शास्त्री : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 45,—

"छह" **के स्थान पर** "दो" **प्रतिस्थापित किया जाये।** (79)

श्री के० के० गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, जब एडवायजरी बोर्ड ने मेक्सिमम पीरियड 6 महीने के लिए किसी व्यक्ति को डिटेन करने का अधिकार सरकार को दिया है तो उस पर इस क्लाज में यह प्रोविजो क्यों ? मैंने इस प्रोविजो को रिमूव करने के लिए अपना अमेंडमेंट मूव किया है। जब एडवायजरी बोर्ड ने यह माना है कि किसी भी व्यक्ति को डिटेन किया जाए और डिटेन करने का आर्डर सरकार को दे दिया है तो उसके बाद किसी भी आर्डर को मोडिफाई करने या रिवोक करने का अधिकार सरकार अपने पास क्यों रखना चाहती है ? एडवायजरी बोर्ड की सिफारिश पर आपने किसी व्यक्ति को 6 महीने तक डिटेन किया उसके बाद भी उस आर्डर को मोडिफाई करने या रिवोक करने का अधिकार आप क्यों लेना चाहते हैं ?

मैं बड़े अदब से कहना चाहूंगा कि जहां पर आप ब्लैक मार्किटिंग को रोकने के लिए यह कानून बना रहे हैं वहां आप इस प्रोविजो के द्वारा अपने पोलिटिकल परपज के लिए लोगों को ब्लैक-मेल करने का अधिकार भी लेना चाहते हैं। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि वे इस प्रोविजो को इस क्लाज से हटा दें अन्यथा मेरा आरोप है कि आप उक्त परपज के लिए यह अधिकार अपने पास रखना चाहते हैं।

(श्री शिवराज वी० पाटिल पीठासीन हुए।)

श्री प्रणव मुखर्जी : माननीन सदस्य ने जो बात उठाई है वह कुछ सही नहीं है। सलाहकार बोर्ड की क्या स्थिति है ? सलाहकार बोर्ड यह निश्चित नहीं करेगा कि हिरासत में रखने की अवधि क्या होगी। वे यह निश्चित करेंगे कि क्या हिरासत में लिया जाना उचित है या नहीं। जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है निवारक निरोध एक कार्यकारी उपाय है। यह

निर्णय लेना सरकार के लिए है कि यदि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना है तो उसकी अवधि क्या होनी चाहिए। अधिक से अधिक सीमा दी गई है। यदि सलाहकार बोर्ड द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है तो यह छह महीने तक हो सकती है, यदि इसकी पुष्टि सलाहकार बोर्ड द्वारा नहीं की जाती तो यह अवधि अधिक से अधिक दो महीने हो सकती है। इसमें यह सरकारी प्राधिकारी को निश्चय करना हैं कि क्या उसे तीन महीने या चार महीने के लिए हिरासत में रखा जाना है। सलाहकार बोर्ड में नियमित विचारण नहीं होता है। यह निश्चय करना विचारण न्यायालय के लिए है कि दण्ड क्या होना चाहिए। सलाहकार बोर्ड को यह जांच करनी है कि अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का औचित्य है।

श्री के० के० गोयल : यह कहीं पर कंफ्युजन है। देयर इज सम कंफ्युजन। एक बार एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिश पर आपने किसी को डिटेन कर लिया और एक लिमिट फिक्स कर दी, उसके बाद उसको मोडिफाई करने या रिवोक करने की क्या आवश्यकता है?

सभापति महोदय : मिस्टर गोयल, आप तो पहले ही बोल चुके हैं, अब नहीं। अब मैं खण्ड 13 में पेश किये गये संशोधन संख्या 17, 47, 48 और 79 को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय . प्रश्न यह है :

"खण्ड 13 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 15

कमला मिश्र 'मधुकर' : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 24, --

"या उनके बिना" **का लोप किया जाये।** (18)

श्री बापू साहिब परुलेकर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 32,

"दो वर्ष" **के स्थान पर** "एक मास" **प्रतिस्थापित किया जाये।** (36)

श्री रामावतार शास्त्री : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 32, --

"दो वर्ष" **के स्थान पर** "एक वर्ष" **प्रतिस्थापित किया जाये।** (80)

श्री ए. के. राय (धनबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6 ,—

पंक्ति 37 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये ।

"(6) यदि राजनैतिक तथा अन्य कारणों से किसी निर्दोष व्यक्ति को निरुद्ध करने के लिए अधिनियम के उपबन्ध का दुरुपयोग किया जाता है तो निरुद्ध करने का आदेश देने वाला सम्बद्ध अधिकारी कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष होगी, या जुर्माने से, दण्डनीय होगा तथा इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने की सलाहकार बोर्ड की राय अंतिम होगी ।" (82)

श्री बापू साहिब परुलेकर : महोदय, अपने संशोधन में मैंने उल्लेख किया है कि दो वर्ष की बजाय इसे कम कर एक महीना किया जाये । मैं यह गम्भीरता से सोचता हूं कि मन्त्री महोदय को इस संशोधन को मान लेना चाहिए । महोदय इस अधिनियम के अधीन हिरासत की अधिकतम अवधि छः महीने है और यदि कोई व्यक्ति 'परोल' पर छूट जाता है और समय पर नहीं आता है तो उस अपराध के लिए अधिकतम सजा दो वर्ष की है । इस प्रकार के कानून में मुझे अधिक वृद्धिमता तथा तर्क समझ में नहीं आता है । ऐसे प्रत्याशित अपराध के लिए अधिकतम सजा की अवधि छः महीने है । इससे छोटे अपराध अर्थात् निश्चित समय पर हाजिर न होने के लिए सजा दो वर्ष कैसे हो सकती है ? मैं समझता हूं यह इससे काफी कम होनी चाहिए । मेरा आपसे निवेदन है कि मन्त्री महोदय को सलाह दें । इस प्रकार के कानून के लिए सजा छः महीने से अधिक नहीं हो सकती है । मेरे विचार से कहीं कुछ गड़बड़ी है । इसे छः महीने से कम होना चाहिए । अतः इसे दो महीने या अधिक से अधिक इसे पांच महीने होना चाहिए । यह दो वर्ष नहीं हो सकता । मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय इस पर गम्भीरता से विचार करें ।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि श्री रामावतार शास्त्री अपने संशोधन पर नहीं बोलना चाहते हैं ।

ह्री रामावतार शास्त्री : जी हां ।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि श्री राय भी अपने संशोधन पर नहीं वोलना चाहते है ।

श्री ए. के. राय : मैं बोलना चाहूंगा । सभापति महोदय, आप देखेंगे कि यह संशोधन जिसे मैंने पेश किया है, बहुत विशिष्ट और लाभप्रद है क्योंकि इस विवेयक के उपबन्ध के दुरुपयोग पर कुछ रोक होनी चाहिए । यदि हम जो कुछ मन्त्री और सरकारी नेता कहते हैं मान भी लें तो अधिकारी एस विघेयक के उपबन्धों का राजनीतिक अभिप्राय से दुरुपयोग कर सकते हैं । यही कारण है कि मैंने अपना संशोधन पेश किया है ।

मैं कहता हूं कि इस विघेयक को राजनीतिक अभिप्राय से पुरः स्थापित किया गया है

और किसी को भी बिना औचित्य के हिरासत में लिया जा सकता है। यदि हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी इस उपबन्ध का दुरुपयोग करता है तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए और जेल होनी चाहिए। उन्हें भी यह महसूस करना चाहिए कि यदि वे इसका दुरुपयोग करते रहें तो इसका उन पर भी असर पड़ेगा। मैं तो यही कहूंगा कि निवारक निरोध अधिनियम का अभिप्राय यह है कि यह पद्धति परिपूर्ण नहीं है; प्राधिकारी भी परिपूर्ण नहीं हैं। न्यायिक प्रक्रिया भी परिपूर्ण नहीं है। यही कारण है कि वे इस प्रकार के निवारक निरोध विधेयक का सहारा ले रहे हैं। इस विधेयक में दिये गये उपबन्धों के दुरुपयोग के विरुद्ध कुछ रोक होनी चाहिए। मैंने यह जानबूझ कर संशोधन द्वारा दो वर्ष की कड़ी सजा हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के लिए रखी है यदि वह इसका राजनीतिक अभिप्राय से दुरुपयोग करता है।

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक श्री राय की बात का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका सम्बन्ध नजरबन्दी की अवधि के साथ नही है, इसका सम्बन्ध किये गये अपराध से है। जब पेरोल पर रिहा कोई व्यक्ति पेरोल पर रिहा किये जाने की शर्त का उल्लंघन करता है तो वह एक निश्चित अपराध करता है। उसका सम्बन्ध विधेयक के साथ नहीं है और न ही नजरबन्दी के साथ ही उसका सम्बन्ध है। किसी अपराध करने पर अपराधी की कानूनी न्यायालय में नियमित सुनवाई होगी। अतः उसके लिये अधिकतम दण्ड 2 वर्ष का कारावास है। यही वह अधिकतम अवधि है जिसमें उसे नजरबन्द रखा जा सकता है। यदि किसी को पेरोल पर रिहा किया जाता है तो उसे जो लाभ मिलता है उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहये।

जहां तक श्री राय के संशोधन का प्रश्न है, मैं इस कारण से इसे स्वीकार नहीं कर सकता कि जैसा कि मैंने कहा है कि प्राधिकारियों को कुछ शक्तियां प्रदान करना सही रहेगा। यदि आपके सुझाव को स्वीकार कर लिया जाता है तो तब कभी भी बिल्कुल सही व्यवस्था नहीं हो पायेगी। हमारी जैसी दोषपूर्ण व्यवस्था के बारे में मैं उनकी चिन्ता को समझ सकता हूं किन्तु इसके लिये हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमें दोषपूर्ण व्यवस्था के अधीन ही कार्य करना होगा।

सभापति महोदय : अब मैं सर्व श्री कमला मिश्र मधुकर, श्री बापू साहेब परुलेकर, रामावतार शास्त्री तथा ए. के. राय की संशोधन संख्या 18, 36, 80 और 82 मतदान के लिये सभा में प्रस्तुत करता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 15 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 16 तथा 17

सभापति महोदय : खण्ड 16 तथा 17 में कोई संशोधन नहीं है। अतः मैं इन्हें सभा में मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16 तथा 17 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 16 तथा 17 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 1 भी विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियम सूत्र

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, --

"तीसवें" के स्थान पर

"इकतीसवें" प्रतिस्थापित किया जाये।

(श्री प्रणव मुखर्जी)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का नाम विधेयक में जोढ़ दिया गया।

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्तव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

श्री नीरेन घोष (दमदम) : महोदय, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि यह अधिनायकवाद की ओर उठाया गया कदम है, यह राजनीतिक विरोधियों के दमन के लिये तानाशाही शासन को मजबूत करने का कदम है और मैं इस सदन को सिंघानिया, जो आई० जे० एम० ए० भारतीय पटसन निर्माता संघ का अध्यक्ष था के मामले की याद दिलाना चाहता हूं। उनके विरुद्ध एक मामला बनाया गया था और तब यह कहा जाता है कि उन्होंने सत्तारूढ़ दल को 55 लाख रुपया दान में दिया और तब मामला दबा दिया गया। इसके अतिरिक्त करचोरी तथा सामा-

नान्तर काले धन की अर्थ-व्यवस्था का प्रश्न है, यह समानान्तर अर्थ-व्यवस्था लगभग 30,000 करोड़ रुपये की है। वह कोई कार्यवाही नहीं करते और करचोरों को कभी दण्ड नहीं दिया जाता। महोदय, यह सब चल रहा है। यह विधेयक धोखे तथा प्रवंचना के विरुद्ध हैं और लोकतान्त्रिक शक्तियों के दमन के लिये बनाया जा रहा है और इससे तानाशाही लाने में सहायता मिलेगी। अतः सभी लोकतान्त्रिक शक्तियों को एक होकर इस सरकार का कट्टर विरोध करना चाहिये।

महोदय, कुल मतदाताओं में से केवल 49 प्रतिशत मतदाता ही मतदान करने आये और शेष 51 प्रतिशत मतदादा नहीं आये। मतदाताओं में से उन्हें 22 प्रतिशत मत ही मिले। इससे क्या संकेत मिलता है। इसका अर्थ यह है कि सामान्य जनता की उनमें आस्था नहीं है। इसलिये इस सरकार को यह विधेयक लाने का कोई नैतिक अधिकार प्राप्त नहीं है और मैं इसका विरोध करता हूं और सभी लोकतान्त्रिक शक्तियों द्वारा संसद में और संसद के बाहर कट्टरता से इसका विरोध किया जाना चाहिये।

धभापति महोदय : क्या मन्त्री महोदय को कुछ कहना है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, मुझे कुछ नहीं कहना।

समापति महोदय । प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

दीर्घाओं को खाली कराया जाये।

सभापति महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं। अव मैं इसे पुनः मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :

"विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

मत कागज की पर्चियों पर रिकार्ड किए जायेंगे; अब कागज की पर्चियां बांटी जायेगी।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

विभाजन सूची संख्या 9

मध्यान्ह पश्चात् 3.29 बंजे

पक्ष में	**विपक्ष में**
अंकनोडु, श्री मगन्ति	अग्रवाल, श्री सतीश चन्द्र
अनवर, श्री शाह तारिक	अनवर, अहमद श्री
अप्पालानायडू, श्री एम. आर. ए. एस.	अवेदिन, श्री जायनल
अब्बासी, श्री काजी जलील	कोडियन, श्री पी. के.
अरावकल, श्री एक्सवेयर	गिरि, श्री सुधीर कुमार

पक्ष में	विपक्ष में
अरुणाचलम, श्री एम०	गुप्त, श्री इन्द्रजीत
अहमद, बैरिस्टर गुलशेर	गोपालन, श्रीमती मुशीला
ईरा, श्री अनबारासु	गोयल, श्री कृष्ण कुमार
उरांव, श्री कार्तिक	घोष, श्री निरेन
कल्पनाथ, श्री	घोष, श्रीमती विभा गोस्वाभी
किदवई, श्रीमती मोहसिना	चटर्जी, श्री सोमनाथ
कुवर राम, श्री	चतुर्भुज, श्री
कृष्णा, श्री एस. एम.	चौधरी, श्री मोतीभाई रणछोड़भाई
कृष्ण, दत्त श्री	चौधरी, सैफुद्दीन
कैलाशपति, श्रीमती	जाटिया, श्री सत्यनारायण
कौर, श्रीमती गुरविन्द्र	दंडवते, प्रो० मधु
कोल, श्रीमती शीला	दास, श्री रेनुपाड़ा
खां, श्री आरिफ मोहम्मद	निर्मला कुमारी, श्रीमती
खां, श्री मलिक मु० मुशीर अ०	निहाल सिंह, श्री
गंगवार, श्री हरीश कुमार	परुलेकर, श्री बापू साहेब
गधावी, श्री भेरावदन खेतदांजी	पाठक, श्री आनन्द
गरचा, श्री देवेन्दिसिंह	पाल, श्री रूपचन्द
गांधी, श्रीमती इन्दिरा	प्रधान, श्री अमरराय
गांधी, श्री संजय	बरमन, श्री पलास
गामित, श्री छीतुभाई देवजीभाई	बालनन्दन, श्री
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव नानासाहब	भट्टाचार्य, श्री सुशील कुमार
व्यास, श्री गिरधारी लाल	मण्डल, श्री मुकन्दाराम
गोहिल, श्री गोगाभाई भावुभाई	मंडल, श्री सनत कुमार
गौजगिन, श्री	मण्डल, श्री धनिकलाल
ठाकुर, ची चन्दूलाल	मतिलाल, श्री हंसदा
चरणजीत सिंह, श्री	मधुकर, श्री कमला मिश्र
चव्हाण, श्री शंकरराव भाऊराव	महालगी, श्रीरामचन्द्र काशीनाथ
चिगवांग, श्री	मुखर्जी, श्री समर
चिरंजीलाल, श्री	मुखर्जी, श्रीमती गीता
चौधरी, श्री चित्तुरी सुब्बाराव	मैत्रा, श्री सुनील
जगन्नाथ, श्री	मोदक, श्री बिजीय कृष्ण
जयनारायण, श्री	मोल्लाह, श्री हन्नान

पक्ष में	विपक्ष में
जाडेजा, श्री दौलतसिंह प्रतापसिंह जी	मोहेन्द्रा, श्री नगनगोम
जेना, श्री चिंतामणि	यादव, श्री विजय कुमार
जैन, श्री भीकूराम	राजदा, श्री रत्नसिंह गोकुलदास
जैलसिंह, श्री	राय,श्री ए. के.
टुडू, श्री मनमोहन	राय, श्री सरदीश
डेन्निस, श्री एन०	लारेंस,श्री एम. एम.
डोगरा, श्री गिरधारी लाल	वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
तिवारी, श्री के० के०	वर्मा, श्री रवीन्द्र
तिबारी, श्री नारायण दत्त	वर्मा, श्री शिवशरण
थुगंन, श्रीप्रेम खांडुं	शमन्ना, श्री टी. आर.
दाभी, श्री अजीतसिंह फूलसिंह जी	शाक्य, श्री दयाराम
दामोर, श्री सोमजीभाई पंजाभाई	शाक्य, श्री रामसिंह
दुबे, श्री बिन्देश्वरी	शास्त्री, श्री रामावतार
दुबे, श्री रामनाथ	सत्य गोपाल, श्री मिश्रा
देव, श्री के. पी. सिंह	साहा, श्री अजीतकुमार
देव, श्री संतोष मोहन	साहा, श्री गदाधर
दोराई, स्रेवस्तीयान, श्री एस. ए.	सूरजभान, श्री
नय्यर, श्री बी. के.	सैयद, श्री मसुद हुसेन
नरहर, श्री गाडगिल विठल	हाल्दर, श्री कृष्णचन्द्र
नायडू, श्री पी. राजगोपाल	होरो, श्री निरल एनम
नारायण, चन्द श्री	
निखरा, श्री रामेश्वर	
निर्मला कुमारी, श्रीमती	
नेगी, श्री त्रेपन सिंह	
नेताम, श्री अरविन्द	
पटनायक, श्री जानकी बल्लभ	
पट्टुस्यामी, श्री डी०	
पटेल, श्री अमरीत मोहनलाल	
पटेल, श्री अहमदभाई मोहम्मदभाई	
पटेल, श्री शांतुभाई चुन्नीभाई	
पाइलट, श्री राजेश	
पाटिल, श्री बसन्तराव बंदुजी	

पक्ष में	विपक्ष में
पाटिल, श्री विजयकुमार नवल	
पाटिल, श्री उत्तमराव देवराव	
पाटिल, श्री ए० टी०	
पांडेय, श्री केदार	
पाणिका, श्री राम प्यारे	
पाणिग्रही, श्री चिंतामणि	
पारधी, श्री केशोराव	
पुजारी, श्री जनार्दन	
पुलैय्या, श्री दरूर	
प्रताद भानू कृष्णगोपाल, श्री	
प्रधानी, श्री खगपति	
प्रभु, श्री आर०	
प्रमाद, श्री महाबीर	
प्रसाद, कु० जितेन्द्र	
फर्नानडिस, श्री ओस्कर	
फैलीरो, श्री एडुआर्डो मारतिन्हो	
बन्सीलाल, श्री	
बरवे, श्री जतीराम चेतराम	
वरोठ, श्री मगनभाई	
बशर, श्री जैनुल	
बहादुर, श्री हरिकेष	
बालेश्वर राम, श्री	
बीरबल, श्री	
वीरेन्द्र सिंह, श्री	
बूटासिंह श्री	
बैठा, श्री डूमरलाल	
बोस, श्री अल्लुरी सुभाषचन्द्र	
भगत, श्री एच. के. एल.	
भीखा भाई, श्री	
भूरिया, श्री दिलीपसिंह	
भोले, आर. आर. श्री	
मंगलू, श्री काहनडोले जमारू	

पक्ष में	विपपक्ष में
मकवाणा, श्री नरसिंहभाई करसनभाई	
मनफूलसिंह, श्री	
मल्लिक, श्री लक्ष्मण	
मल्लिकार्जुन, श्री	
माधुरीसिंह, श्रीमती	
माने, श्री राजाराम उर्फ बालासााव शंकरराव	
माल्लु, श्री अनन्थारामुलु	
मिश्रा, श्री गार्गीशंकर रामकृष्ण	
मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल	
मूर्ति, श्री कुसुमा कृष्णा	
मेहता, श्री महिपात्रे मूलशंकर	
मोरे, श्री रामकृष्ण सदाशिव	
मोहन्तो, श्री ब्रजमोहन	
मोहिते, श्री यशवन्तराव जिजाबा	
यादव, श्री रामसिंह	
युसुफ, श्री कु०	
यैल्लैयाहा, श्री नन्दी	
रंगा, श्री एन० जी०	
रवाणी, श्री नवीनचन्द्र परमानन्ददास	
रहमान, श्री जमीलुर	
रहीम, श्री ए. ए.	
राउत, श्री भोला	
राठवा, श्री अमरसिंहभाई वीरयाभाई	
राठोड़, श्री उत्तमराव बलीराम जी	
रामकुमार, श्री	
राम, श्री रामस्वरूप	
रामामूर्नि, श्री के.	
राव, श्री पी. वी. नरसिंह	
राव, श्री ए. पी.	
रावत, श्री हरीश	
राव, श्री मेदुरी नागेसवर	
रेड्डी, श्री कंदुला आबुल	

पक्ष में	विपक्ष में
रेड्डी, श्री के. विजय भास्कर	
रेड्डी, श्री जी. एस.	
रेड्डी, श्री टी० दामोदर	
वाजपेयी, डा० राजेन्द्रकुमारी	
वर्मा, श्री जयराम	
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद	
वासनिक, बालकृष्ण रामचन्द्र श्री,	
विखे, श्री एकनाथराव विठलराव	
विजयराधवन, श्री वी. एस.	
विरधीचन्द, श्री	
वेंकटरामन, श्री आर.	
वेलू, श्री ए. एम.	
शनमुगम, श्री पी.	
शर्मा, श्री कालीचरण	
शर्मा, श्री मुन्दर	
शर्मा, श्री विश्वनाथ	
शर्मा, डा० शंकरदयाल	
शाक्वार, श्री नाथूराम	
शास्त्री, श्री धर्मदास	
शास्त्री, हरी किशन	
शिवशंकर, श्री पी.	
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी.	
षाडंगी, श्री रुद्रप्रताप	
संगमा, श्री पुरनो ए.	
संजीवीराव, श्री एम. एस.	
सज्जन कुमार, श्री	
साठे, श्री वसंत राव	
सावंत, श्री त्रयम्बकराव मारोतराव	
साही श्रीमती कृष्णा	
सिन्हा, श्री दिग्विजय	
सिंह, श्री कुंवरचन्द प्रताप नारायण	
सिंह, श्री गुरचरण	

पक्ष में	विपक्ष में
सिंह, श्री चन्द्रशेखर	
सिंह, श्री डूंगर	
सिंह, श्री निहाल	
सिंह, श्री निहाल	
सिंह, श्री फतेहभानु	
सिंह, श्री रणजीत	
सिंह, श्रीं रणबीर	
सिंह, श्री विजेन्द्रपाल	
सिंह, श्री सतीश प्रसाद	
सिंह, श्री सुन्दर	
सिंह, श्री हाकम	
सिंह, श्रीमती रामदुलारी	
सुब्बूरमण, श्री एम. जी.	
सुभा, श्री पहाल मान	
सूरजभान, श्री	
सूर्यवंशी, श्री नरसिंह राव	
सेठी, श्री प्रकाशचन्द	
हुसेन, श्री अशफाक	
हुसेन, श्री तय्यब	
हुसेन, श्री मौलाना सैयद मुजफ्फर	
क्षीर सागर केशरवाई सोनोजीराव, श्रीमती उर्फ काकू	
त्रिपाठी, श्री राम नारायण	

सभापति महोदय : मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :—

पक्ष में	188
विपक्ष में	56

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

———

राज्य सभा से संदेश

बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक

सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना **सभा** को देनी है :—

"मुझे लोक सभा को सूचित करने का निर्देश मिला है कि बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 1980, जिसे लोक सभा ने 24 जनवरी, 1980 को अपनी बैठक में पारित किया था, राज्य सभा ने 2 फरवरी, 1980 को हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित संशोधन के साथ पारित कर दिया :—

अधिनियमन सूत्र

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में "तीसवें" **के स्थान पर** "इकतीसवें" **प्रतिस्थापित किया जाये।**

अत: राज्य सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 128 के उपबन्धों के अनुसरण में मैं यह विधेयक इस अनुरोध के साथ लौटाता हूं कि कथित संशोधन पर लोकसभा की सहमति के बारे में राज्य सभा को सूचित कर दिया जाये।"

2. महोदय, मैं बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 1980 को जिसे राज्य सभा ने संशोधन के साथ लौटाया है, सभा पटल पर रखता हूं।

—

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिव शंकर)

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सिक्किम राज्य में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्समायोजन का उपबन्ध करने के लिये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि सिक्किम संविधान (36वां संशोधन) अधिनियम, 1975 के लागू होते ही भारत का राज्य बन गया था। उस समय सिक्किम की जो विधान सभा थी वह अप्रैल 1974 में सिक्किम में हुए चुनावों के परिणामस्वरूप गठित की गई थी। इसमें 32 सदस्य थे और विधान सभा के समी स्थान आरक्षित थे, जिनमें 15 सदस्य भूटिया लेपचा सिक्किमवासी तथा 15 नेपाली मूल के सिक्किमवासी तथा एक एक सदस्य अनुसूचित जातियों और मठ-संघों से थे। सिक्किम की ऐतिहासिक पृष्ठिभूमि तथा उसकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान (36वां संशोधन) अधिनियम द्वारा सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान बनाने के लिये संविधान में अनुच्छेद 371 (एफ) जोड़ा गया। उसके एक प्रावधान के अनुसार सिक्किम की तत्कालीन विधान सभा को संविधान के अनुसार उस राज्य की पहली विधान सभा घोषित किया गया है। दूसरे उपबन्ध में यह व्यवस्था है संविधान में किसी ऐसी व्यवस्था होते हुए भी संसद सिक्किम के लोगों के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और हितों की

रक्षा हेतु सिक्किम राज्य की विधान सभा की कुछ सीटों के लिए उपबन्ध करने में सक्षम है। ये सीटें इन वर्गों के लोगों द्वारा तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करके भरी जाएंगी। यह अनुच्छेद 371 च के खण्ड (च) में उल्लिखित है। तदनुसार अन्य बातों के साथ-साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 को सिक्किम पर लागू करने हेतु बनाए गए चुनाव कानून (सिक्किम तक विस्तारण), अधिनियम, 1976 द्वारा इन अधिनियमों में आरक्षण की व्यवस्था तथा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को, जिनके आधार पर सिक्किम की प्रथम विधान सभा के चुनाव संविधान के अन्तर्गत कराए गए थे, जारी रखने हेतु उपयुक्त उपबन्ध किए गए हैं। इस अधिनियम द्वारा किए गए उपबन्धों का महत्व केवल विधान सभा के उपचुनावों तक ही था।

चूंकि सिक्किम की प्रथम विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला था, इसलिए लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक नामक एक विधेयक छठी लोकसभा में 18 मई, 1979 को पुरः स्थापित किया गया जिससे सिक्किम राज्य के लिए नई विधान सभा बनाने के प्रयोजन से सामान्य चुनाव किए जा सकें।

इस विधेयक का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 371 च के खण्ड (च) के उपबन्धों के अनुसार सिक्किक विधान समा के निर्वाचन क्षेत्रों का समायोजन करना तथा सिक्किम की जनता के हितों और अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से सिक्किम राज्य की विधान सभा में स्थानों का आरक्षण करने का है। छठी लोक सभा समाप्त होने पर यह विधेयक समाप्त हो गया और सिक्किम की पहली विधान सभा को सिक्किम के राज्यपाल द्वारा 13 अगस्त, 1979 को विघटित किया गया इसलिए उस राज्य में विधान सभाई क्षेत्रों को परिसीमन करना और विधान सभा में स्थानों का आरक्षण करना अत्यन्त आवश्यक हो गया अतः छठी लोक सभा के बिघटन होने पर जो विधेयक व्यवगत हो गया था उसी प्रकार का एक अध्यादेश राष्ट्रपति ने एक सितम्बर, 1977 को प्रख्यापित किया था। वर्तमान विधेयक उसी अध्यादेश को कानूनी रूप देने के लिए लाया गया है।

उपर्युक्त अध्यादेश के अनुसार विधान सभा के कुल 32 स्थानों में से 12 स्थान भूटिया और लेप्चा के लिए सुरक्षित किए गए; एक स्थान संघों के लिए आरक्षित किया गया; दो स्थान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किए गए! शेष 17 स्थान सभी उम्मीदवारों के लिए छोड़ दिए गए।

मैं अध्यादेश में अपनाई गई आरक्षण योजना के गुण-अवगुणों में नहीं जाना चाहता। इस योजना को अपनाने के कारणों का उल्लेख विधेयक के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों के विवरण में दिया गया है। जो छठीं लोक सभा के भंग होने पर व्यवगत हो गया था। वर्तमान विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में संबद्ध भाग उद्धरित किया गया है। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। चूंकि सिक्किम विधान सभा का चुनाव अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार किया गया है और विधान सभा का गठन भी हो गया है, इसलिए यह आवश्यक है कि वर्तमान अध्यादेश को बिना परिवर्तन के पारित करना आवश्यक है।

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : महोदय, मैं विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि 18 मई, 1979 को रखे गये पिछले विधेयक की तुलना में इस विधेयक में नया कुछ भी नही है। 1979 में जब यह विधेयक रखा गया था लोगों में इसके प्रति व्यापक रोष, असन्तोष, असहमति और कटुता की भावना थी। इस विधेयक से जनता का कोई भी वर्ग सन्तुष्ट नहीं हुआ था। यहां तक कि सिक्किम विधान सभा से भी परामर्श नहीं किया गया न ही उससे पहले लोगों को विश्वास में लिया गया। यहां तक कि विधान सभा के अध्यक्षों, मंत्रियों, विधान सभा सदस्यों, नेताओं और विभिन्न वर्गों के लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। इसका विरोध क्यों किया गया ? क्योंकि यह संविधान की लोकतांत्रिक भावना के विरुद्ध था, क्योंकि यह राष्ट्रीय भावनाओं के विरुद्ध था और लोगों के बहुमत की भावनाओं के विरुद्ध था; क्योंकि यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के उपबन्धों के विरुद्ध था क्योंकि भाग 5 (क) में धर्म के आधार पर लोगों को जो सुरक्षा प्रदान की गई है वह इससे समाप्त हो जाती है। और यह भारतीय गणतन्त्र के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के विरुद्ध था।

बढ़ते हुए विरोध औरे आन्दोलन से काजी लेन्दुप दोरजी की गुटबन्दी से ग्रस्त मंत्रिमंडल में संकट और भी गहरा हो गया जिसका परिणाम यह निकला कि मंत्रिमंडल और विधान सभा 13 अगस्त, 1979 को भंग हो गई।

यह 1974 के चुनावों के परिणामस्वरूप यह चुना गया प्रथम मंत्रिमंडल था जिसमें नेपाली मूल के सिक्किमियों के लिए 15 स्थान; भूटिया-लेप्चा मूल के सिक्किमियों के लिए 15 स्थान; एक स्थान अनुसूचित जाति और एक स्थान बौद्ध संघों के लिए आरक्षित था जो मठों के बौद्ध थे। उस समय, जब सिक्किम के भारत संघ में विलय की प्रक्रिया चोग्याल के निरंकुश शासन के विरुद्ध वर्षों के संघर्ष के बाद आरम्भ हुई थी, सिक्किमियों के पास उपर्युक्त ढंग से स्थानों के वितरण के सम्बन्ध में कुछ कहने का समय नहीं था। यही कारण था कि समानता की पद्धति को समाप्त करने की बार-बार मांग की गई।

इसी बीच सिक्किम का भारत संघ में अन्तिम रूप से विलय हो गया जिसकी औपचारिकता संविधान के 36वें संशोधन द्वारा 1975 में पूरी की गई और उपर्युक्त व्यवस्था को हाथ नहीं लगाया गया जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 371 क से प्रकट होता है।

काजी लेन्दुप दोरजी मंत्रिमंडल के पतन के पश्चात् 18-8-79 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और नए चुनावों का आदेश दिया गया। परन्तु प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि सीटों के बंटवारे का आधार क्या होगा ? क्या यह 1974 की भांति होगा या जनता सरकार द्वारा छठी लोक सभा में रखे गए लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1979 के अनुसार होगा ?

इसी बीच केन्द्र से जनता सरकार भी जाती रही और राष्ट्रपति ने जनता सरकार के उसी विधेयक के आधार पर जिसकी काफी आलोचना की गई थी एक अध्यादेश प्रख्यापित किया। एक बार फिर विरोध और असन्तोष प्रकट किया गया और तार और ज्ञापन भेजने का सिलसिला आरम्भ हो गया। इस बार का विरोध अधिक गम्भीर और व्यापक था। इसी बीच जनता सरकार ने अन्य जातीय ग्रुपों की मांगें स्वीकार कर लीं विशेषरूप से मैदानी इलाके के

व्यवसायी समुदाय की यह मांग कि उन्हें भी मत डालने की और चुनावों में भाग लेने की अनुमति होनी चाहिए। इससे चुनावों का पूरा ढांचा ही बदल गया। इससे एक बार फिर जन जातियों के लोगों के दिलों में इस व्यापक आशंका ने घर कर लिया कि वे अब अल्पमत में रह जाएंगे और उनके अधिकारों का हनन किया जाएगा। दूसरी तरफ नेपाली भाषी लोग काफी निराश हुए क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि अध्यादेश से उनके अधिकार तथा पिछली सरकार द्वारा दी गई सुरक्षा समाप्त हो गई है। इस प्रकार सभी जातीय ग्रुपों के बीच एकता, सौहार्द समाप्त हो गया और असहमति का वातावरण आरम्भ हो गया। केन्द्र सरकार ने जब सिक्किमी लोगों के सभी वर्गों की सर्वसम्मत मांगों और सिक्किम राज्य विधान सभा के उस सर्वसम्मत संकल्प की उपेक्षा की जिसमें सिक्किम नागरिकता आदेश, 1975 को इस प्रकार संशोधित करने के लिए कहा गया था, जिससे पीढ़ियों से रहने वाले लोगों को मतदाता सूची में शामिल किया जा सके जबकि बाद में वहां जाकर बसने और काम करने वाले लोगों की मांगें स्वीकार कर ली थीं, तो इसने आग में घी का काम किया। निस्सन्देह, संवैधानिक दृष्टि से भारत के प्रत्येक नागरिक को कहीं भी जाकर बसने और काम करने का अधिकार है परन्तु इससे किसी संबंधित क्षेत्र के लोगों के उचित अधिकारों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए।

परन्तु इन सभी विसंगतियों के बावजूद केन्द्र की वर्तमान सरकार भी वही नीति अपना रही है और उसी मार्ग का अनुसरण कर रही है। इसका पता वर्तमान विधेयक से चलता है जिस पर हम यहां विचार कर रहे हैं। विधेयक में आपत्तियों के मुद्दे क्या हैं? इस विधेयक में भूटिया-लेप्चा मूल के सिक्किमियों के लिए 12 स्थान, 2 स्थान अनुसूचित जाति और एक स्थान संघा अर्थात् बौद्ध मठों के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था है। यद्यपि हाल ही का चुनाव अध्यादेश में की गई व्यवस्था के आधार पर किया गया परन्तु इससे लोग प्रसन्न नजर नहीं आते हैं। मैं अब संविधान के अनुच्छेद 332 (3) को उद्धृत करता हूं :

उसमें लिखा है :

"खण्ड (1) के अधीन किसी राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के लिए रक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस सभा में के, स्थानों की समस्त संख्या से यथाशक्य वही होगा जो यथास्थिति उस राज्य में की अनुसूचित जातियों की, अथवा उस राज्य में की या उस राज्य के भाग में की अनुसूचित, आदिम जातियों की जिनके सम्बन्ध में स्थान इस प्रकार रक्षित हैं, जन संख्या का अनुपात उस राज्य की समस्त जन संख्या से है।"

लेकिन मन्त्री महोदय ने अपने उद्देश्यों तथा कारणों के वक्तव्य में निम्नलिखित उसी तर्क को दोहराया है जिसे पूर्व के विधेयक में दिया गया था:—

"...... उपान्तरित किया जाए जिससे राज्य की आबादी के सभी वर्गों का सभा में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही यह विचार किया गया है कि यदि भूटियाओं और लेप्चाओं को, जो सिक्किम के मूल निवासी हैं केवल उनकी जन-संख्या के अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो उनके हितों की समुचित

रूप से रक्षा नहीं की जा सकती। तदनुसार यह विनिश्चित किया गया है कि ·····12 स्थान भूटियाओं और लेप्चाओं के लिये आरक्षित रखे जाएं।"

मैं अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिये सीटों के आरक्षण करने के विरुद्ध नहीं हूं। हमने हाल ही में संविधान (संशोधन) विधेयक का समर्थन किया है, जिसे सदन में पास किया गया है। लेकिन भूटिया तथा लेप्चा जातियों के लिये एकदम 12 सीटों का आरक्षण कर देने से अन्य वर्गों के लोगों में गम्भीर शंकायें तथा गलतफहमियाँ उत्पन्न हो गई हैं। सिक्किम में काजी, भूस्वामी तथा अन्य निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति अपने को ट्राइबल अथवा जनजाति कहते हैं। यह विधेयक समृद्ध लोगों के अल्पमत शासन को बनाए रखने के लिये स्वतन्त्र रूप से अनुमति प्रदान करता है। 12 सीटों के आरक्षित होने से वे धन के बल पर आसानी से 5 अथवा 6 सीट और जीत सकते हैं तथा चालाकी से अल्पमत शासन समाप्त कर सकते हैं। वर्तमान की भारतीय राजनीति में सिक्किम जैसे पिछड़े क्षेत्रों में धन महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। वे बेहिसाब धन खर्च कर सकते हैं। लेकिन भूटिया, लेप्चा, डुकपा, योलनिओ तथा गरीब बर्गों के लोगों से सम्बन्धित अन्य जनजातियां, भूमिहीन किसान, कृषि-श्रमिक इत्यादि नहीं चुने जा सकते और इस विशेष संरक्षण के लाल को प्राप्त नहीं कर सकते। अंक गणितीय दृष्टि से भी 12 सीटें उन कुल सीटों का 37 प्रतिशत बैठती हैं जो 21 प्रतिशत जनसंख्या के लिये आबंटित हैं। इसी कारण से यहां पर इतना अधिक असन्तोष तथा नाराजगी व्याप्त है।

यदि भुटिया, लेप्चा, कगाटे, डुप्का तथा अन्य जनजातियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 332 (3) के अनुसार आरक्षण दिया जाता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि उनके आदिवासीपन को ध्यान में रखते हुए तथा उनके मन की आशंकाओं को दूर करने के लिये एक या दो सीटें उनके लिए और आरक्षित की जाती हैं तब भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन विधेयक द्वारा जिस प्रकार कुछ वर्ग के लोगों के अधिकारों को छीना गया है और अन्य वर्ग के लोगों को सांत्वना प्रदान की गई है, उससे किसी भी वर्ग का कल्याण नहीं हुआ है।

अतः यह विधेयक असंगत है और सुविचारित नहीं है, जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से देखा जा सकता है : सिक्किम की कुल जन संख्या 2,09,843 है। नेपाल के मूल निवासी सिक्किम 1,46,890 हैं जो जन संख्या का 70 प्रतिशत से भी अधिक होते हैं। भूटिया तथा लेप्चा लोग 45,851 हैं, जो लगभग 21 प्रतिशत बैठते हैं, अन्य लोग 17,101 हैं जो लगभग 9 प्रतिशत हैं। यह 1971 की जनगणना के अनुसार है।

बहुसंख्यक लोग अर्थात् सिक्किम में रहने वाले नेपाल मूल के निवासी असन्तुष्ट हैं क्योंकि उनको पहले जो संरक्षण प्राप्त था वह अब नहीं रहा है। उनको इस बात की आशंका है कि एक दिन उनके साथ भी असम, मेघालय इत्यादि राज्यों के लोगों की भांति व्यवहार किया जायेगा।

उनके आशंकित होने का मूल कारण यह है कि कभी-कभी केन्द्रीय सरकार के नेता उनको विदेशी नागरिक कहते हैं, कभी-कभी उनकी भाषा अर्थात् नेपाली भाषा को विदेशी भाषा कहते हैं। उनकी मांगों को स्वीकार करने तथा नेपाली भाषा को मान्यता देने इत्यादि के मामले में

सुरक्षा का प्रश्न उठाया जाता है। मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि यदि नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाती हैं और उसको भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाता है तो उन लोगों की आकांक्षाओं की काफी हद तक पूर्ति की जा सकती है। इससे उन लोगों के मन में अपनी सुरक्षा तथा अपनत्व के प्रति विश्वास उत्पन्न होगा और इससे राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया सुनिश्चित होगी। बहुमत में होते हुए उनको सिक्किम विधान सभा में सीटों के आरक्षण हेतु जोर नहीं देना चाहिए था।

अब मैं संघ अर्थात् धार्मिक बौद्धों के आरक्षण सम्बन्धी अन्तिम मुद्दे को लेता हूं। मेरा विचार है कि यह भारतीय संघ तथा भारतीय संविधान के धर्म निरपेक्ष स्वरूप के विपरीत है। जैसा कि भारतीय संविधान में निहित है, इस प्रकार के धर्म पर आधारित आरक्षण से धर्म-निरपेक्षता की जड़ें ही कट जाती हैं।

यदि आप सिक्किम में रहने वाले किसी विशेष धार्मिक गुट को आरक्षण देते हैं तो वहां पर रहने वाले उन अन्य अल्पसंख्यक धार्मिक लोगों के बारे में आपका क्या प्रस्ताव है जो इस प्रकार हैं :

हिन्दू	...	...	1,44,544
बौद्ध	...	...	62,617
इसाई	...	...	1,663
मुस्लिम	...	...	335
जैन	...	...	191
सिक्ख	...	...	94
अन्य	...	...	399

(स्रोत—सांख्यिकी सारांश, भारत 1975)

क्या आप अन्य धार्मिक गुटों को भी आरक्षण प्रदान करेंगे ?

एक बार जब किसी राज्य में चाहे एक सीट के लिए ही धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाता है, तब यदि सारे देश में राज्य विधान सभाओं तथा लोक सभा और राज्य सभा के लिये अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा पृथक् निर्वाचन-क्षेत्र की मांग करने को कैसे रोका जा सकता है ? साम्प्रदायिक आवेश उत्पन्न होने के फलस्वरूप सारे देश में दूषित वातावरण पैदा हो जायेगा। इससे राष्ट्रीय एकता को ठेस पहुंचेगी। मेरा विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी स्थिति पसन्द नहीं करेगा।

भारत के संविधान के अनुसार आपने जन संख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों के लिये दो सीटों का आरक्षण स्वीकार किया है। इसके लिये किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। आप इसी मापदण्ड को भूटियाओं और लेप्चाओं के मामले में भी लागू क्यों नहीं करते हैं ?

इस प्रकार के विवादास्पद विधेयक को जल्दी से लाने के बजाय, मैं सरकार से अनुरोध

करता हूं कि वह सभी सम्बन्धित व्यक्तियों जिनमें सिक्किम विधान सभा तथा संसद की पार्टियां भी सम्मिलित हों से परामर्श करें, ताकि एक सर्वमान्य सूत्र निकाला जा सके तथा एक व्यापक विधेयक, जो सभी को मान्य हो, संसद में लाया जा सके और पारित किया जा सके। यदि आप ऐसा करेंगे तो यह एक उपयुक्त स्थिति होगी।

इन्ही शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री नगागोम महेन्द्र (आन्तरिक मणिपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक द्वारा जो कुछ अधिनियमित करने का प्रस्ताव उसके लिये पहले ही कानून मौजूद है। मैं यह नहीं समझ सका हूं कि सरकार को इतनी जल्दी करने की क्या आवश्यकता थी और मंत्री महोदय विद्यमान कानून की ही रूपरेखा के आधार पर इस विधेयक को क्यों लाये हैं। इसके लिये उद्देश्यों और कारणों के कथन से उद्धरण देना उचित होगा;

"सिक्किम की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या में अधिकांशतः नेपाल मूल के निवासी हैं।"

मैं इस बात को समझने में असमर्थ हूं कि इस प्रकार की परिकल्पना कैसे की गई है। बात ऐसी है कि उनके राज्य में काफी तादाद में मूल नेपाली हैं जिनके हितों को संरक्षण प्रदान करने का विचार है। सिक्किम वहां जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिये एक ऐसा खेल का मैदान बन जायेगा। वहां पहुंच कर कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची के पंजीकरण समय अपना नाम सूची में लिखवा सकता है। मेरा अपना ही राज्य मणिपुर बहुत दूर है। वहां पर भी ऐसी ही घटनाएं घटी थी। यदि ऐसी घटनायें होती हैं तो उनको रोकने के लिये कोई सुरक्षात्मक उपाय नहीं है। यहां पर सीटों के आरक्षण को अंक गणितीय समता के आधार पर किया जा रहा है। इसके लिये मैं अपने राज्य मणिपुर से कुछ उदाहरण दे सकता हूं। वहां पर बाह्य मणिपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, जो आठ विधान सभा गिर्वाचन क्षेत्रों से बना है। इस क्षेत्र से एक संसद सदस्य चुनकर आता है। वहां पर स्थिति ऐसी है कि कोई भी मतदाता उम्मीदवार नहीं बन सकता। इसके बावजूद ऐसा प्रतीत होता है कि सिक्किम में मूल नेपालियों के हितों की सुरक्षा नहीं की गई है। और उनके हितों की सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किये गये हैं। वास्तव में उद्देश्यों और कारणों के कथन में मूल नेपालियों तथा अनुसूचित जातियों के हितों को एक साथ मिला दिया गया है। इसके लिये उपयुक्त सुरक्षात्मक उपाय किये जाने चाहिए अन्यथा जो समस्या असम में उत्पन्न हुई है वह सिक्किम में भी उत्पन्न हो सकती है। यह छोटे स्तर पर हो सकती है इसके बावजूद भी यहां पर आसाम में हो रही व्यथित घटनाओं जैसी हो जायेगी। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि मूल नेपालियों के हितों की सुरक्षा के लिये क्या सुरक्षात्मक उपाय किये जायेंगे। वास्तविकता यह है कि एक ऐसा संशोधन लाया गया था जिसके द्वारा मूल नेपालियों के लिये कम से कम 15 सीटों को आरक्षित करने की बात की गई थी। जिसमें केवल दो स्थान असुरक्षित छोड़े गये थे। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि उस संशोधन का क्या हुआ। मैं यह जानना चाहता हूं कि मूल नेपालियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिये किन-किन सुरक्षात्मक उपायों पर विचार किया जा रहा है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय सदन में इस बात को स्पष्ट करेंगे कि कौन-कौन से सुरक्षात्मक उपायों को क्रियान्वित किया जायेगा। क्या यही होना चाहिये कि बाहर से आकर लोग वहां बस जायें और चुनाव में सफलता प्राप्त करें। क्योंकि हमारा चुनाव तन्त्र त्रुटिहीन नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट वक्तव्य दें।

श्री पी० शिवशंकर : इस विधेयक का बहुत ही सीमित उद्देश्य है। इसके द्वारा उन चुनावों की वैधता को बनाए रखना है, जो अध्यादेश लागू रहने के दौरान हुए थे। मैं सीधे ही यह अनुरोध करता हूं कि यदि इस विधेयक को अधिनियमित नहीं किया जाता है तो जो चुनाव हो चुके हैं उनके सम्बन्ध में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है।

विपक्ष के मेरे साथियों ने सिक्किम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1974 का हवाला दिया है, जिसे चोग्याल की अधिघोषणा द्वारा 5 फरवरी, 1974 को जारी किया गया था। वास्तव में इस अधिनियम के अनुसार जब चुनाव हुए थे और 36वें संशोधन के अनुसार जब 1975 में सिक्किम हमारे देश का एक अंग बना था उस समय ऐतिहासिक परिस्थितियों तथा तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए सिक्किम वासियों को कुछ संरक्षण प्रदान किये गये थे। लोगों की आकांक्षाओं को भी ध्यान में रखा गया था। इसीलिए जब 36वें संशोधन में अनुच्छेद 371 (च) को सम्मिलित किया गया तो इसमें आवश्यकता से अधिक शक्ति प्रदान की गई। इसमें कहा गया था कि "संविधान में किसी अनुबन्ध के होते हुए भी"। अत: अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत जो चुनाव हुए थे वे उस समय वैध माने गये थे।

जैसा कि मैं बता चुका हूं इसके पश्चात् मई, 1979 में एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया था और उसी के अनुसार, चूंकि छठी लोक सभा भंग हो चुकी थी, एक अध्यादेश जारी किया गया और अध्यादेश के अन्तर्गत चुनाव कराये गये हैं। इसलिये उन चुनावों को आवश्यक रूप से सुरक्षा प्रदान करनी है।

निस्सन्देह, मेरे मित्रों ने आरक्षणों के बारे में और विशेष रूप से संघों पर आधारित अर्थात् धर्म पर आधारित आरक्षण के बारे में जिक्र किया है और कहा है कि धर्म निरपेक्ष लोकतन्त्र में यह उचित नहीं है। मैं इस बात से परिचित हूं, कि धर्म पर आधारित किसी भी प्रकार का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 15(2) के अन्तर्गत निश्चित रूप से हीं आपराधिक होगा। लेकिन वास्तविकता यही है कि अनुच्छेद 371(च) में आवश्यकता से अधिक उपाबन्ध किया गया है। यही कारण है कि जहां तक इन आरक्षणों का सम्बन्ध है, ये संवैधानिक तथा कानूनी हैं।

जो सुझाव दिए गए हैं, उन पर भविष्य में होने वाले चुनावों के लिए विचार किया जा सकता है, किन्तु जहां चुनाव पहले ही हो चुके हैं, उनके लिए इस विधेयक को स्वीकार करने के लिए मैं सभा से सिफारिश करता हूं। अन्यथा चुनाव ही स्वयं खतरे में पड़ जायेंगे। यदि यह भविष्य के लिए आरक्षणों का पुनरीक्षण करने का मामला है तो यह एक बोधगम्य बात हो सकती है। लोगों की आशाओं तथा आकांक्षाओं पर भी विचार किया जा सकता है और इसके लिए

नई नीति बनाई जा सकती है। निस्सन्देह दूसरे पक्ष ने आरक्षणों के बारे में बहुमूल्य सुझाव दिए हैं किन्तु उन पर समुचित समय पर ही विचार किया जा सकता है और चूंकि इस विधेयक का उद्देश्य बहुत ही सीमित है अर्थात् अध्यादेश के अन्तर्गत पहले ही हो चुके चुनावों की वैधता को बनाए रखना है। अतः मेरा सभा से अनुरोध है कि वह इस विधेयक को स्वीकार कर ले।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सिक्किम राज्य में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः समायोजन का उपबन्ध करने के लिये लोक प्रतिनिधित्व, अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम खण्डों पर विचार करेंगे। खण्ड 2 के बारे में श्री पी. एम. सुभा का एक संशोधन है। क्या वह अपना संशोधन पेश कर रहे हैं?

श्री पी० एम० सुभा (सिक्किम) : मैं अपना संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं किन्तु मैं कुछ बोलना चाहूंगा।

सभापति महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। अन्य खण्डों के बारे में कोई संशोधन नहीं है?

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 5 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 5 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"तीसवां" के स्थान पर "इकतीसवां" प्रतिस्थापित किया जाये। (2)

(श्री पी० शिवशंकर)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री पी० शिव शंकर : मैं प्रस्ताव करता हूं ,"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

श्री अटल विहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : सिक्किम के मेरे माननीय मित्र बोलना चाहते थे । उन्होंने अपना संशोधन वापस लेने का निर्णय किया है । किन्तु वह अब तीसरे पाठन चरण पर बोल सकते हैं ।

सभापति महोदय : विधेयक के इस तीसरे पठन चरण पर बहुत ही सीमित गुंजाइश है । यदि वह बोलना ही चाहते हैं तो वह कुछ विचार प्रकट कर सकते हैं । वह ऐसा कर सकते हैं ।

श्री पी. एम. सुभा (सिक्किम): सभापति महोदय, सिक्किम राज्य के एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में मैं यहां खड़ा होने में, अपना गौरव समझता हूं । सिक्किम भारत संघ के इस महान परिवार में 1975 में सम्मिलित हुआ । मुझे इस बात का भी गौरव है कि मुझे सिक्किम के लोगों ने प्रथम बार इस सम्माननीय सभा के लिए लोकतांत्रिक ढंग से एक प्रतिनिअि के रूप में चुना । यह पहला अवसर नहीं है जबकि यहां सिक्किम का प्रतिनिधि आया हों । फिर भी यह पहला अवसर है जबकि जनता ने अपना प्रतिनिधि लोकतांत्रिक ढंग से चुना है । मेरे से पूर्व के दोनों प्रतिनिधियों में से एक वहां की विधान सभा द्वारा मनोनीत किया किया गया था और दूसरा बिना चुनाव लड़े निर्विरोध रूप से चुना गया था ।

मुझे हर्ष है कि मेरे राज्य के लोगों ने मुझे चुना है किन्तु मैं स्वयं महसूस करता हूं कि मैं राजनीति तथा विधान प्रक्रिया के क्षेत्र में एक नौसिखिया हूं । किन्तु साथ ही मुझे यह भली भांति पता है कि सिक्किम के एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में इसका सही ढंग से प्रतिनिधित्व करने की सभी जिम्मेदारियां मुझ पर हैं । मुझे पता है कि यहां मैं सबसे कम अनुभव वाला सदस्य हूं किन्तु श्रीमान मुझे आप पर पीठासीन आधिकारी के रूप में पूरा विश्वास है । श्रीमान आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज देश के सभी महान नेता, विशेषकर सभा की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी सिक्किम की प्रगति में अधिकाधिक रुचि लें । हम उन्हें अपना पूर्ण समर्थन प्रदान करते हैं ।

सिक्किम के मुख्य मंत्री, श्री॰नर बहादुर भंडारी ने अपनी तीन प्राथमिकताएं पहले ही बता दी हैं, जिन पर वह अपनी सरकार के शासनकाल के दौरान अमल करेंगे । वे प्राथमिकताएं सभा के समक्ष इस विधेयक में भी झलकती हैं । सिक्किम की सर्वोच्च प्राथमिकता राष्ट्रीय हित, सुरक्षा तथा भारत की क्षेत्रीय अखंडता है और इस बात को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए विशेपकर सिक्किम राज्य की सामरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए । दूसरे, सिक्किम में परिषद सरकार सिक्किम में रह रहे चार मुख्य समुदायों अर्थात भोटिया तथा लेप्चा, सिक्किम के नेपालियों तथा अन्य लोगों में साम्प्रदायिक एकता पैदा करने के लिए वचनबद्ध है । तीसरे, सरकार सिक्किम में अधिकतम लोगों के लाभार्थ राज्य के सर्वांगीण आर्थिक विकास के संवर्धन

तथा उसमें तेजी लाने की उम्मीद करती है, सिक्किम के अधिकांश भाग में शांति तथा कानून और व्यवस्था है और वहां कानून और व्यवस्था की समस्या बहुत कम है। इसलिए यह हमारा सौभाग्य हैं कि हम अपना सारा ध्यान तथा समूचे साधनों को इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम में लाने की स्थिति में हैं और उस राज्य के संसद सदस्य के रूप में मैं उन कार्य-क्रमों को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प हूं।

अपने देश की क्षेत्रीय अखंडता तथा सुरक्षा के लिए, जो हर क्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह आवश्यक है कि केन्द्र में एक सुदृढ़ तथा स्थायी सरकार हो। सिक्किम की सरकार तथा लोग इस बात से बहुत खुश हैं कि अब श्रीमती इन्दिरा गांधी के अनुभवी तथा गतिशील नेतृत्व में केन्द्र में एक सुदृढ़ तथा स्थायी सरकार है। मैं यह बात एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि सिक्किम के लोगों की माननीय प्रधान मंत्री महोदया में पूर्ण विश्वास है।

1979 के अध्यादेश संख्या 7 के स्थान पर सभा में पेश किये गए विधेयक के संदर्भ में उसकी पृष्ठभूमि को बताना मेरा परम कर्तव्य है। इस विधेयक की विषय वस्तु भूतपूर्व सरकार की देन है। जिस समय जनता पार्टी केन्द्र में तथा सिक्किम राज्य में सत्ता में थी। उस समय सिक्किम के मुख्य मंत्री काजी लेनदुप खंगसरपा थे। प्रस्तावित विधेयक लोकदल सरकार के दौरान राष्ट्रपतीय अध्यादेश के रूप में पेश किया गयां था। सिक्किम के लोगों ने गत अक्तूबर में विधानसभा के लिए हुए चुनावों में अपनी भावना व्यक्त कर दी थी जबकि जनता पार्टी का एक भी सदस्य नहीं जीता श्री लेनदुप दोरजी काजी की पराजय का मुख्य कारण यही है कि सिक्किम के लोग 1979 के अध्यादेश संख्या 7 के विरोधी थे। उस अध्यादेश में वे ही उपबन्ध थे जो कि इस विधेयक में हैं। यहां तक कि वर्तमान परिषद सरकार के अधीन भी इस विधेयक पर इसके वर्तमान रूप में सिक्किम विधान सभा में विचार किया गया और सत्तारूढ़ दल तथा विपक्ष, दोनों ही ने इस विधेयक में कतिपय महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा संशोधस करने की इच्छा व्यक्त की। अतः मैं यह कहना अपना कर्तव्य समझता हूं कि केन्द्र सरकार को सिक्किम में विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व के लिए कोई स्थायी व्यवस्था करने से पूर्व राज्य सरकार से परामर्श करना चाहिए। मैं यह भी महसूस करता हूं कि सिक्किम राज्य को प्रभावित करने वाले मामलो में राज्य विधान सभा के चुनावों तथा अन्य चुनावों में जनता द्वारा की गई अभिव्यक्ति का यथासंभव लोकतांत्रिक ढंग से अनुपालन किया जाना चाहिए।

सिक्कम में इस विधेयक के बारे में चिन्ता का प्रमुख कारण विभिन्न समुदायों की सीटों के आवंटन के सम्बन्ध में है। इससे पूर्व कांग्रेस (इ) सरकार के दौरान श्रीमती इन्दिरा गांधी ने प्रधान मन्त्री के रूप में वहां के इतिहास तथा संस्कृति को ध्यान में रख कर वहां प्रतिनिधित्व की समान प्रणाली चलाई थी। इस पद्धति के अन्तर्गत 16 सीटें भोटियों तथा लेपचा लोगों के लिए तथा 16 सीटें सिक्किम के नेपाली लोगों के लिए आबंटित की गई थीं। इन आबंटनों में संघ तथा अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सीटों का आरक्षण सम्मिलित है।

इस प्रणाली को सभी लोगों का समर्थन मिला है और मेरे विचार से यह सर्वोत्तम प्रणाली है। इस विधेयक में भोटिया तथा लेपचा लोगों के लिए 12 सीटों हेतु आरक्षण का उपबन्ध है

किन्तु खण्ड 2 की धारा (ख) की उपधारा (क) में सिक्किम में बसे मेंघालियों के लिए आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। इससे सिक्किम के राजनीतिक ढांचे में असंतुलन सा पैदा हो गया है और जो मेघाली सिक्किम में ही पैदा हुए हैं तथा वहीं वड़े हुए हैं, इससे उनमें चिन्ता उत्पन्न हो गई है। भोटियों तथा लेपचाओं के लिए 12 सीटों, संघ के लिए एक सीट तथा अनुसूचित जाति के लिए 2 सीटों के आरक्षण के उपबन्ध का समर्थन करते हुए मैं महसूस करता हूं कि विधेयक में सिक्किम के नेपालियों के लिए भी कम से कम 15 सीटों के आरक्षण का उपबन्ध किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : मेरे विचार से माननीय मन्त्री जी को कुछ नहीं कहना।

श्री पी० शिव शंकर : मुझे कुछ नहीं कहना।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[श्री चन्द्रजीत यादव **पीठासीन हुए**]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक

वित्त तथा उद्योग मन्त्री (श्री आर० वेंकटारमन) : सभापति महोदय, श्रीमान जी, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह विधेयक सूती और कृत्रिम कपड़ों पर मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय के कारण उत्पन्न हुई स्थिति पर काबू पाने के लिए पेश किया गया है। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में तैयार कपड़ों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण और वसूली की चिरकालीन प्रथा को गैर-कानूनी ठहरा दिया है। वर्तमान कर-ढांचे के अनुसार सूती, ऊनी तथा कृत्रिम कपड़ों पर अलग से कोरे वस्त्र पर उत्पादन-शुल्क लगाया जाता है। परन्तु इसके साथ ही अपरिष्कृत ऊनी कपड़े तथा कोरे कृत्रिम कपड़े के लिए उत्पादन-शुल्क की छूट दी हुई है। इन दोनों प्रकार के कपड़ों पर उत्पादन-शुल्क केवल परिष्कृत चरण पर ही लिया जाता है। जहां तक सूती कपड़ों का सम्बन्ध है, जब अपरिष्कृत कपड़ों को परिष्कृत किया जाता है तो फिर उन पर पहले दिये गये शुल्क को अलग कर दिया जाता है। बिना-प्रोसेस किया हुआ तथा प्रोसेस कपड़े पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क लगाने तथा उसे वसूल करने की यह प्रणाली पिछले अनेक वर्षों से चली आ रही है। इस प्रणाली से सूती कपड़ा उद्योग के

विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् संश्लिष्ट मिलों, स्वतन्त्र निर्माताओं तथा हस्त निर्माताओं द्वारा विभिन्न प्रकार से उपयुक्त उत्पाद-शुल्क विभिन्न चरणों पर देने में काफी सहायता मिली है।

• 24 जनवरी, 1979 को दिये गये निर्णय में गुजरात उच्च न्यायालय ने विभिन्न प्रकार से तैयार किये जाने वाले कपड़ों पर विभिन्न प्रकार से उत्पाद-शुल्क लगाने की लम्बे काल से चली आ रही इस प्रथा को गैर-कानूनी करार दिया है। न्यायालय द्वारा यह भी माना गया कि कपड़े शब्द का अर्थ ही बुनी हुई वस्तु होता है अर्थात् इसका अर्थ ही कोरा कपड़ा माना जाना चाहिये। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि कोरे कपड़े पर उत्पाद-शुल्क लगाये जाने के बाद उसके बाद कपड़ा तैंयार करने के किसी भी चरण पर आगे उत्पाद-शुल्क नहीं लगाया जा सकता। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि निर्माण करना एक प्रक्रिया ही है जिस पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की मद्य संख्या 68 के अन्तर्गत शुल्क लगाया जाना चाहिये और चूंकि संश्लिष्ट सूती कपड़ा और कृत्रिम कपड़ा दोनों ही का उत्पादन याचिका कर्त्ताओं के कारखानों में ही किया गया था इसलिए उन्हें उत्पाद-शुल्क केवल कपड़े के उसी मूल्य पर देना चाहिये जो कि प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में बढ़ा। न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि प्रत्येक याचिका के दायर किये जाने के 3 वर्ष पूर्व से टैरिफ की मद्य संख्या 68 के अन्तर्गत वसूल किये गये शुल्क को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ वापिस किया जाना चाहिये।

संक्षेप में उच्च न्यायालय का कहना है कि चूंकि उत्पाद-शुल्क कोरे कपड़े तैयार करने के चरण पर लगाया जा चुका है इसलिये आगे कपड़े के बारे में किये गये किसी भी प्रकार के प्रोसेसिंग पर किसी भी दर से शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिये। कपड़े पर लगाया जाने वाला शुल्क यथा-मूल्य ही होता है और तैयार कपड़े का मूल्य निर्धारण करने में प्रोसेसिंग का योगदान काफी महत्वपूर्ण होता है, अतः इस प्रकार केवल कोरे कपड़े पर उत्पाद-शुल्क लगाने से न केवल वर्षों से चली आ रही भेदक शुल्क प्रणाली जिससे कि उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाया रखा जा रहा है पर ही बुरा प्रभाव पड़ेगा, अपितु सरकार के राजस्व पर भी उसका काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा।

उच्च न्यायालय के इस निर्णय के परिणामस्वरूप न केवल संभावित उत्पाद-शुल्क पर तथा सूती कपड़े के उत्पादन से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर प्रभाव पड़ा है, अपितु इसका प्रभाव पहले के वर्षों में किये गये मूल्यांकन पर भी पड़ा है क्योंकि न्यायालय ने यह निर्णय भी दिया है कि याचिकाओं के दायर किए जाने की तिथि से पहले के तीन वर्षों की अवधि में वसूल किए गए शुल्क को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ शामिल करने का आदेश भी दिया है। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा अपना विनिर्णय तथा आदेश दिए जाने के बाद, अनेक याचिकायें, इसी मुद्दे को लेकर विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर कर दी गई हैं।

गुजरात उच्च न्यायालय में ही 130 से अधिक मामले दायर किये गए हैं। उच्च न्यायालय द्वारा अभी तक 120 मामलों में, जो कि स्वतन्त्र प्रौसेसर्ज से सम्बद्ध है, अपना निर्णय दिया जा चुका है जिसका प्रभाव 30 करोड़ रुपयों से भी अधिक के राजस्व पर पड़ा है। अन्य उच्च

न्यायालयों में भी स्वतन्त्र प्रोसेसर्ज तथा संशिष्ट मिलों द्वारा अनेक मामले दायर किये जा चुके हैं। अगर यह उच्च न्यायालय भी गुजरात उच्च न्यायालय की तरह ही अपने निर्णय देने लगे तो सरकार को अनेक करोड़ रुपयों की हानि हो सकती है।

माननीय सदस्यों को यह मालूम ही है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रणाली कैसे लागू की जाती है। यह चूंकि अप्रत्यक्ष कर होता है इसलिए इसका उद्ग्रहण उत्पादन शुल्क सम्बन्धी सामान का निर्माण करने वालों से लिया जाता है। निर्माता यह शुल्क सामान के खरीदारों से वसूल कर लेते हैं। सामान के खरीदार यह शुल्क अपने खुदरा विक्रेताओं से वसूल कर लेते हैं तथा खुदरा विक्रेता यह शुल्क उपभोक्ताओं से वसूल कर लेते है। इस प्रकार किसी भी उत्पाद-शुल्क को अन्ततः उपभोक्ता से ही वसूल किया जाता है।

जो बात मैं माननीय सदस्यों के समक्ष स्पष्ट करना चाहता हूं वह यह है, तथा जिसका उल्लेख गुजरात उच्च न्यायालय के इस मामले से है, वह यही है कि सम्पूर्ण प्रोसेसिंग प्रक्रिया बोझ अन्तिम रूप में उपभोक्ता पर ही जाकर पड़ता है। परन्तु न्यायालय के फैसले के अनुसार याचिकाकर्ताओं को शुल्क लौटाने से ऐसे व्यक्तियों को न केवल काफी लाभ होगा, अपितु इसके विपरीत उपभोक्ताओं को जिन्होंने ये कपड़े खरीदे थे, उन्हें भी किसी प्रकार की राहत मिलने वाली नहीं है। मेरी यह मान्यता है कि माननीय सदस्य मेरे साथ इस बात से सहमत होंगे कि सरकार को यह धनराशि इस प्रकार से प्रोसेसर्ज या निर्माताओं की जेबों में नहीं जाने देनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप सूती, मानव-निर्मित तथा ऊनी कपड़ों के उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण की योजना में अनिश्चितता उत्पन्न हो गई है। इस प्रकार की अनिश्चितता कर-प्रशासन तथा स्वयं निर्माताओं के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए यह अनिवार्य है कि इस मामले को शीघ्रातिशीघ्र बिना किसी संदेह के हल किया जाना चाहिये।

सूती कपड़े सम्बन्धी वर्तमान उत्पाद-शुल्क ढांचे का उपयोग उपयुक्त प्रकार से उत्पाद-शुल्क लगाने, जिससे कि अपेक्षित प्रोत्साहन मिल सके तथा कमजोर वर्गों को उपयुक्त सुरक्षा प्रदान की जा सके, को दृष्टिगत रख कर किया गया है। इससे इस उद्योग के विकेन्द्रीयकरण करने तथा इसे रोजगार प्रधान बनाने तथा विशेष रूप से हस्त-निर्मित क्षेत्र का विकास करने में काफी सहायता मिली है।

श्रीमान जी, यह थीं वह परिस्थितियां जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (संशोधन) अध्यादेश 1979 (1979 का 12) 24 नवम्बर, 1979 को प्रख्यापित किया गया था। वर्तमान विधेयक उक्त अध्यादेश का ही स्थान लेगा। इस विधेयक के उपबन्धों द्वारा गत वर्षों में लगाए गए शुल्कों, किए गए निर्धारणों के बारे में कोई नया दायित्व उत्पन्न करने का इरादा नहीं रखता।

श्रीमान जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री एन. जी. रंगा (गुंटूर) : श्रीमान जी, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । मेरे माननीय मित्र प्रस्तुत विधेयक के अमल माध्यम से जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, उनका हथ-करघा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री आर. वेंकटारमन : मैं सभी प्रश्नों का उत्तर अन्त में दूंगा ।

सभापति महोदय : अगर मंत्री महोदय को कोई आपत्ति न हो तो वह उन्हें स्पष्टीकरण अभी दे दें क्योंकि श्री रंगा सम्भवतः उस समय उपस्थित नहीं हों ।

श्री आर. वेंकटारमन : श्रीमान जी, उत्पाद-शुल्क अलग-अलग प्रकार से केवल हथकरघा उद्योग के हितों की सुरक्षा के लिए लगाया गया था । सरकार ने हथकरघा पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाया है और हस्त-चित्रित तथा हस्त-प्रोसेसिंग कपड़े आदि पर कम उत्पाद-शुल्क लगाया है और मशीन द्वारा बनाये तथा अन्य कपड़ों पर अधिक उत्पाद-शुल्क लगाया गया है । प्रस्तुत विधेयक के माध्यम से हमने इसी मूल व्यवस्था को बनाये रखा है ।

हथकरघा वस्त्र उद्योग पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । मूल शुल्क इस प्रकार से लगाया गया है कि जिससे हस्त-प्रोसेसिंग तथा श्रमिक-प्रधान क्षेत्रों को रियायत मिल सके और प्रस्तुत विधेयक के माध्यम से यही सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है । गुजरात उच्च न्यायालय का कहना है कपड़ा तो कपड़ा रहता चाहे वह कोरे कपड़े का चरण हो या उस कपड़े पर चित्रण किया गया हो या उसको रंगा गया हो, वह कपड़ा ही रहता है और आप उस पर शुल्क नहीं लगा सकते । मैं इसका उत्तर तो दे सकता हूं परन्तु चूंकि मैं इस समय न्यायालय में नहीं हूं इसलिए इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं समझता । न्यायालय का निर्णय है । हम इस निर्णय को सन्दर्भ में ही कह लाये है ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : सभापति महोदय, श्रीमान जी मन्त्री महोदय ने केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित कर दिया हैं । अपने वक्तव्य में उन्होंने बताया कि पिछले अधिनियम को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था और तदनुसार 130 मामले दायर किये गये थे औंर उसके अनुसार लगभग 30 करोड़ रुपया विभिन्न पार्टियों को लौटाया जा चुका है । अतः इसीलिए अध्यादेश जारी किया गया था और अब यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया है जो अधिनियम का रूप ले लेगा । परन्तु मैं केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क लगाये जाने की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

श्रीमान जी, आपको मालूम ही है कि राज्य सरकारों को अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क का

अपना उचित अंश नहीं मिल रहा है और आपको मालूम ही है कि सभी विकास कार्य राज्य सरकारों को ही करने पड़ते हैं। इस प्रकार यदि उनको केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क का उचित अंश न दिया जायेगा तो वह अपने विकास कार्यों को उचित ढंग से नहीं कर सकते हैं।

श्रीमान जी, बिक्री-कर ही राज्य सरकारों की आय का प्रमुख साधन होता है। 1957 में अतिरिक्त शुल्क अधिनियम पारित किया गया था और उसके अनुसार चीनी, सूती कपड़ा, तम्बाकू तथा चमड़े को राज्य सरकारों के बिक्री-कर से बाहर कर दिया गया था।.......... चीनी, कपड़ा, तम्बाकू, चमड़ा आदि पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क बढ़ाया गया था। बाद में अनेक वस्तुओं पर उत्पाद-शुल्क और विशेष उत्पाद-शुल्क बढ़ाया गया। आम तौर पर ये कर धीरे-धीरे बढ़ाये गये। और अब हम देखते हैं कि केन्द्रीय सरकार वर्ष प्रतिवर्ष अप्रत्यक्ष कर बढ़ाती है और इस प्रकार सरकार राज्य सरकारों को उनके वैध अंश से वंचित कर देती है।

विकास परिषद ने निर्णय लिया है कि केन्द्र की अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क की राशि राज्यों में वितरित की जानी चाहिए। मैंने पहले ही इस बात का उल्लेख किया है कि सभी विकास कार्य राज्य सरकारों को करने होते हैं। परन्तु धन की कमी के कारण वे अपने कार्य करने या अपने विकास कार्यों को सुचारु रूप से कार्यान्वित करने में असमर्थ होते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने विकास परिषद की पिछली बैठक में यह कहा था कि राज्यों के लिए अधिक धनराशि निर्धारित की जानी चाहिए और बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रख कर वित्तीय सम्बन्धों के बारे में केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने केन्द्रीय सरकार द्वारा चीनी, कपड़ा, तम्बाकू, चमड़ा आदि पर लगाये गये अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क को समाप्त करने की मांग की थी। उन्होंने यह कहा था कि ये समाप्त किए जाने चाहिएं और ये राज्य के बिक्री-कर के अन्तर्गत लाये जाने चाहिएं ताकि राज्य सरकारें अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत कर सकें और वे वित्तीय कार्यों के बारे में अपने कर्तव्यों का भली-भांति प्रकार से निर्वहन कर सकें।

अत: मेरा सरकार से निवेदन है कि वह गैर-कांग्रेसी सरकारों को गिराने में अपनी शक्ति न गंवाये। केन्द्रीय सरकार को, राज्य सरकारों को इन उत्पाद-शुल्कों का वैध अंश दिया जाना चाहिए। इस तरह से वह हमारे देश के संघीय ढांचे को मजबूत कर सकती है।

अत: मेरी मांग यह है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री के कथनानुसार यह अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क समाप्त किया जाना चाहिए। अब जहां तक केन्द्र राज्य सम्बन्धों की बात है, मेरा यह विचार है कि केन्द्र और राज्य के बीच वित्तीय सम्बन्धों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

सभी राज्य सरकारों में असन्तोष है और उनकी मांग है कि उन्हें सभी विकास सम्बन्धी कार्य करने हैं, उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में पेय जल की व्यवस्था करने सम्बन्धी, सड़कें बनाने, स्कूल और स्वास्थ्य केन्द्र खोलने आदि कार्य करने होते हैं।

माननीय मन्त्री से मेरा निवेदन है कि वह केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय सम्बन्धों पर पुनर्विचार करें। मेरा उनसे यह भी निवेदन है कि वह राज्य सरकारों, विशेषकर पश्चिम बंगाल

को अधिक धन दें, क्योंकि पिछली बार जो बाढ़ आई थी उसमें हमें बाढ़ राहत कार्य करना पड़ा था और अब पश्चिम बंगाल सरकार घोर सूखे की स्थिति का सामना कर रही है। अतः इसे राहत कार्य करने होंगे। केन्द्रीय सरकार नासिक में और नोट छाप करके घाटे कों पूरा कर सकती है। परन्तु राज्य सरकार तो भारतीय रिजर्व बैंक से अधिक धनराशि ही ले सकती है। परन्तु आप राज्य सरकार के लिए पर्याप्त धन की मंजूरी नहीं दे रहे हैं। अतः पश्चिम बंगाल की ओर से मेरा आपसे निवेदन है कि आप पश्चिम बंगाल सरकार को विभिन्न निर्माण करने के लिए अधिक धनराशि मंजूर करें, जिससे वह अपना कार्य सुचारु रूप से चला सके। इन विचारों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : सभापति महोदय, वास्तव में मैं इस विधेयक पर बोलना नहीं चाहता था। परन्तु मेरे साथी प्रो० दंडवते ने मुझसे कुछ विचार व्यक्त करने के लिए कहा था। जहां तक इस वर्तमान विधेयक का सम्बन्ध है, मैं मन्त्री महोदय का विरोध नहीं करता हूं। इसके विपरीत मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, क्योंकि अपने समय में हमने यह विधेयक पुरःस्थापित किया था। परन्तु यह सभा भंग होने के साथ व्यवगत हो गया था। अतः उन्होंने यह विधेयक पुरःस्थापित किया है।

जहां तक विचार किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मेरे साथी श्री हाल्दर द्वारा उठाए गए प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं इन बातों में विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं। उन्होंने राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता देने की बात कही है। उसमें कतई सन्देह नहीं हो सकता। उनके इस सुझाव या मांग पर कोई विरोध नहीं है कि राज्यों की गैर-कांग्रेसी सरकारें हमारे देश के संघीय ढांचे में गिरायी नहीं जानी चाहिए। केन्द्रीय सरकार को विरोधी दलों के शासन वाली राज्य सरकारों का सम्मान करना चाहिए। परन्तु इस समय आपकी अनुमति से मैं कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं या माननीय मन्त्री, जिनके कार्यभार में समूचा वित्त मन्त्रालय और इस समय अप्रत्यक्ष कर विभाग है, का ध्यान कुछ बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। अब जहां तक अप्रत्यक्ष कर विभाग द्वारा कर-वसूली का सम्बन्ध है, स्थिति अच्छी होनी चाहिए। व्यावहारिक दृष्टि से यह भारत सरकार के कुल राजस्व का 75% है। प्रत्यक्ष कर से केवल 25% राजस्व मिलता है। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि अप्रत्यक्ष करों के मामले में कर्मचारियों पर व्यय या प्रशासन व्यय मुश्किल से 0.8% है जबकि प्रत्यक्ष करों के मामले में यह 2.5% है। अतः भारत सरकार को अधिकांश राजस्व अप्रत्यक्ष करों से मिलता है और इसलिए अप्रत्यक्ष कर विभाग के कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। मुझे उस बात की जानकारी है कि अप्रत्यक्ष कर विभाग के कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं मिल रही है और अप्रत्यक्ष कर विभाग के प्रशासन पर 0.8% ही खर्च किया जा रहा है। अतः मेरा माननीय वित्त मन्त्री से अनुरोध है कि वह कर्मचारियों की शिकायतों, विशेषकर उनके लिए पदोन्नति के अवसर न होने के मामलों की जांच करें। पदोन्नति के अवसर बहुत कम हैं और मुझे ऐसे मामलों की जानकारी है कि 28 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों को अपनी समूची सेवा में एक बार भी पदोन्नति नहीं हुई है। सरकार

का मानदंड यह है कि कर्मचारियों को सेवाकाल के दौरान पदोन्नति के कम से कम तीन अवसर मिलने चाहिएं। यह एक बड़ी समस्या है जो उनके सामने आएगी और मुझे विश्वास है कि वह इसकी जांच करेंगे। निस्सन्देह कर्मचारियों के लिए भवन-निर्माण की समस्या हल की जानी होगी, क्योंकि वे सीमा पर नाजुक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। यह भी बड़ी गम्भीर समस्या है और मुझे आशा है कि वह इसकी छानबीन करेंगे।

अब भारत सरकार या कोई राज्य सरकार राज्य में या देश में एकवादी है। इस सम्बन्ध में लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। जहां तक वित्त मन्त्रालय का सम्बन्ध है, मेरा वित्त मन्त्री से अनुरोध है कि उन्हें एक पृथक अभियोजन निदेशालय बनाना चाहिए, क्योंकि 1979-80 वर्ष के लिए कुल कर-वसूली बहुत अधिक थी। सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क विभागों के लिए कुल बजट प्राक्कलन लगभग 8282 करोड़ रुपए है जो प्रति घंटे 1 करोड़ रुपए बैठता है। इस बड़ी वसूली के साथ और न्यायालयों में इस विभाग से सम्बन्धित मामलों का बचाव करने के लिए सरकार को वित्त मन्त्रालय के अन्तर्गत अभियोजन निदेशक की आवश्यकता है जिसकी सहायता उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क विशेषज्ञ करेंगे। विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अनेक मामले हैं। मैं निश्चयपूर्वक और विशेष रूप से यह कह सकता हूं कि विधि मन्त्रालय के अधिकारियों को कानून के सांविधानिक उपबन्धों की अधिक जानकारी है। उन्हें दीवानी या फौजदारी कानून की अधिक जानकारी है परन्तु उन्हें सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क आदि की इतनी अधिक जानकारी नहीं है। एक बार उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर किए जाने के बाद विधि मन्त्रालय मामले में कार्यवाही करेगा। वे विशेषज्ञ नहीं हैं और वे अधिक दिलचस्पी नहीं लेते हैं और उन्हें उत्पाद-शुल्क कानून की पेचीदगियों की जानकारी नहीं होती है। अतः यह अत्यावश्यक है, क्योंकि रिट याचिका सम्बन्धी मामले इस कारण अवरुद्ध हो जाते हैं। अनेक बड़े औद्योगिक घरानों ने उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में ऐसी रिट याचिकायें दायर की हैं। उदाहरण के लिए टाटा इस मामले में काफी विख्यात हैं। उन्होंने रिट याचिकायें दायर की हैं। करोड़ों रुपए का उत्पाद-शुल्क वसूल किया जाना बाकी है और कोई वसूली नहीं की जाती है। मुझे यह कहने में खुशी होती है कि अप्रत्यक्ष करों के मामले में बकाया राशि प्रत्यक्ष करों की मुश्किल से 5 प्रतिशत ही है। आयकर की बकाया राशि करोड़ों रुपए है जबकि अप्रत्यक्ष करों के मामले में यह केवल हजारों में ही होगी। परन्तु मैं सुझाव देता हूं कि हम एक पृथक अभियोजन निदेशालय बनायें जिसमें उत्पाद-शुल्क या सीमा-शुल्क कानून के विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाए और वे प्रत्यक्ष रूप से इस निदेशालय का पर्यवेक्षण करें जिससे विभिन्न उच्च न्यायालयों जौर उच्चतम न्यायालय में मामलों पर पूरी तरह अनुवर्ती कार्यवाही हो ओर सभी लम्बित मामले, विशेषकर वे मामले जिनमें रोक आदेश प्राप्त हुए हैं, शीघ्र निपटाये जायें।

पिछली सरकार ने सभा में यह वचन दिया था कि लोक सभा में एक व्यापक उत्पाद शुल्क विधेयक पेश किया जाएगा। पिछली सरकार ने इस विशेष प्रयोजन के लिए एक पृथक

विभाग बनाया था जिसमें व्यापक उत्पाद शुल्क विधेयक का प्रारूप तैयार किया जा रहा था। इस कार्य में अनेक अधिकारी लगाए गए थे। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री मामले की छानबीन करेंगे और अगले वजट सत्र मार्च-अप्रैल-मई के दौरान इस सभा में व्यापक उत्पादशुल्क विधेयक पेश किया जाएगा जिससे वे सभी कठिनाइयां दूर की जा सकें जो या तो उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों के कारण या अप्रत्यक्ष कर कानून के लागू करने में उत्पन्न होने वाले विभिन्न विवादों को अन्तिम रूप देने के कारण उत्पन्न हुई हैं।

इसके अतिरिक्त व्यापार और वाणिज्य तथा विभिन्न कर दाताओं की लगातार यह मांग है कि उत्पाद शुल्क के लिए एक अखिल भारतीय वर्गीकरण न्यायाधिकरण होना चाहिए। ये वर्गीकरण मामले लाखों की संख्या में हैं। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं परन्तु केवल ये सुझाव दे रहा हूं। यह अखिल भारतीय वर्गीकरण न्यायाधिकरण बनाना आवश्यक है जिससे करदाताओं में विश्वास की भावना पैदा की जा सके और न्यायालयों में जाने से बचा जा सके जहां समय अधिक लगता है। चूंकि प्रत्यक्ष करों के मामले में हमारे पास एक अपीलीय न्यायाधिकरण है और इससे करदाताओं और वादियों में विश्वास पैदा होता है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भी एक अखिल भारतीय वर्गीकरण बनायें।

माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह ऐसे मामलों पर शीघ्र निर्णय लें जो पहले ही रिकार्ड में हैं। इस मामले में काफी प्रगति हुई है। उन्हें तो इन प्रस्तावों पर अपनी अन्तिम स्वीकृति देनी है। मुझे विश्वास है कि जब हम अगले सत्र में यहाँ आयेंगे तो हम इन सभी मामलों पर निर्णय ले लेंगे और हम इस सभा में एक अन्तिम व्यापक विधेयक लायेंगे जिससे उत्पाद शुल्क में जो कमियां और त्रुटियां हैं, वे दूर कीं जा सकें। वास्तव में आप देखेंगे कि सभी अधिकारी और सरकारी तंत्र वहुत अच्छा है परन्तु कुछ कमियां और त्रुटियां हैं और इस सम्वन्ध में सावधानी वरतनी होगी। यदि एक पृथक अभियोजन निदेशालय बनाया जाएगा और उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क कानून विभाग में विशेषज्ञ नियुक्त किए जायेंगे तथा वे उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में सरकार की ओर से प्रनिनिधित्व भी करेंगे तो जो स्थिति इस विशेष मामले में उत्पन्न हुई है, वह पैदा नहीं होगी।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, इसे वैध बनाने के सिवाय ओर कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हम उपभोक्ताओं को कोई राहत दिए बिना राजकोष से 30 करोड़ रुपए की उत्पाद शुल्क की धनराशि करदाताओं को वापस नहीं दिला सकते। मेरी जानकारी के अनुसार यदि हम उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों को एक साथ लें तो यह सैकड़ों करोड़ रुपए होगी। कर निर्धारितियों ने यह कर उपभोक्ताओं से पहले ही वसूल कर लिया है और उस उत्पाद शुल्क की वापिसी से वास्तविक उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं मिलेगी। इसे उपभोक्ताओं को वापिस नहीं करेंगे 'ईक्विटी' भी सरकार के पक्ष में है।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और इन विचारों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री टी० आर० समन्ना (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, इस विधेयक पर बोलने के लिए मुझे मौका देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। यद्यपि मैं इस विधेयक के पीछे जो भावना है उसका विरोधी नहीं हूं, पर मैं इसका दो कारणों से विरोध करता हूं। एक तो यह कि सरकार द्वारा जो उत्पाद शुल्क और अन्य शुल्क इकट्ठे किए जाते हैं उसके बारे में एक ओर उसका कहना है कि वह कीमतें घटाने के लिए हर सम्भव प्रयास करेंगे और दूसरी ओर वह अधिक शुल्क लगा रही है जिससे स्वभावतः कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि शुल्क का बोझ उपभोक्ता पर ही पड़ेगा। इस मामले में 25% शुल्क लगाया जाएगा। इस उत्पाद-शुल्क के अलावा आप केन्द्रीय और राज्य बिक्री कर लगाते हैं चुंगी लेते हैं। इन सबको मिला कर लगभग 30 से 35 प्रतिशत कर बैठते हैं। अतः सरकार को यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि अधिक कर लगाने से उपभोक्ता मूल्य बढ़ेंगे। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह ऐसी नीति अपनाए कि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं पर अधिक कर न लगें। अन्यथा गरीब आदमी को रोजमर्रा की वस्तुओं के भारी दाम अदा करने पड़ेंगे।

दूसरी बात यह है कि अधिकांश विधायी उपाय जल्दी में लाये जाते हैं। केन्द्र और राज्य सरकारें इन उपायों को इतनी जल्दबाजी में लाती हैं कि परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय इन्हें अवैध करार दे देते हैं। भारत सरकार के पास कानूनी सलाहकारों की बहुत बड़ी संख्या है। मेरी समझ में नहीं आता कि इन्हें पेश करने से पहले इन सलाहकारों की राय क्यों नहीं ली जाती। कई बार यह मंत्रियों की सनक पर निर्भर होता है और रातों रात विधेयक पेश कर दिये जाते हैं। अतः मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि सभी कानूनी पहलुओं का अध्ययन किया जाए।

तीसरी बात हथकरघों और बिजली करघों को छूट देने की है। यह शुल्क कपड़ा सस्ते दामों पर बेचने के उद्देश्य से युद्ध के बाद लागू किया गया था। मैं इसका विस्तार से वर्णन नहीं करना चाहता। मैं केवल यह आग्रह करना चाहता हूं कि खादी हाथ से बुने कपड़े सूती और ऊनी कपड़े पर यह शुल्क नहीं लगना चाहिए।

मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने यह स्पष्ट किया है कि इसका बुनकरों और खादी और कुटीर उद्योग में रत लोगों पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इन्हें सरकार संरक्षण दे रही है।

विस्तार में गए बिना मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब भी कराधान उपाय पेश किए जाएं उनसे उपभोक्ताओं पर असर नहीं पड़ना चाहिए। दूसरे सभा के समक्ष इस प्रकार के महत्वपूर्ण विधेयकों को लाने से पहले इनके सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर पूरी तरह विचार कर लिया जाना फिर उपभोक्ता वस्तुओं विशेषरूप से आवश्यक वस्तुओं की कीमत पर अधिक बोझ नहीं पड़ना चाहिए। इन वस्तुओं पर केन्द्र और राज्य दोनों सरकारें कर लगाती हैं। निर्माता भी भारी मुनाफा कमाते हैं और थोक बिक्रेता तथा खुदरा बिक्रेता भी मुनाफा कमाते हैं। अतः मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह जो कुछ भी उनकी शक्ति में है करें और यह सुनिश्चित करें कि उपभोक्ताओं से अनुचित कर बसूल न किए जाएं।

वित्त और उद्योग मन्त्री (श्री आर० वेंकटारमन) : माननीय सदस्यों ने विधेयक को जो समर्थन दिया उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। विधेयक में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं है। इसके द्वारा उस कर को नियमित करने का प्रस्ताव है जो कई वर्षों से लगता आ रहा है। पर इसकी वैधता को गुजरात उच्च न्यायालय ने चुनौती दी थी। अतः न तो अतिरिक्त कर लगाया जा रहा है और न ही नया कर। मैं श्री शमन्ना से अनुरोध करूंगा कि वह व्यर्थ में अधिक चिन्तित न हों। यह बात भी नहीं है कि इस विधेयक को जल्दबाजी में लाया जा रहा है। यह तो केवल उस त्रुटि को सुधारने के लिए लाया गया है जिसे न्यायालय के फैसले ने ··

श्री टी० आर० शमन्ना : वर्तमान विधेयक नहीं अपितु मूल विधेयक।

सभापति महोदय : जब वह मूल रूप से पेश किया गया था।

श्री आर० वेंकटारमन : इसका स्पष्टीकरण देने में मुझे काफी समय लग जाएगा। मूल विधेयक भी जल्दबाजी में पेश नहीं किया गया था। उसमें कहा गया था कि ग्रे कपड़ा वह कपड़ा है जो बुनाई की प्रथम अवस्था में होता है और उसी अवस्था पर उस पर कर लगता है। उसके बाद अनेक प्रक्रियाएं होती हैं। कभी इसे रंगा जाता है, कभी सनफोराइज किया जाता है। फिर छापा जाता है। कई और काम भी होते हैं। और जब उसकी कीमत बढ़ाई जाती है तो बेचे जाने वाले उस माल की बढ़ी हुई कीमत पर हम कर लगाते हैं। अतः जब अंत में परिष्कृत कपड़ा बेचा जाता है, हम उस पर कर लगाते हैं, पर ग्रे-कपड़े पर लगे मूल कर का समायोजन कर दिया जाता है। अतः जब विधेयक मूल रूप में लाया गया तब भी जल्दबाजी नहीं बरती गई। इस पर गहराई से विचार किया गया। पर कभी-कभी इन के निर्वचन पर मतभेद पैदा हो जाता है। अतः जब कोई व्याख्या दी जाती है तो हम उस निर्णय के आधार पर त्रुटि को सुधारते हैं।

अब मैं श्री हाल्दर द्वारा उठाए गए केन्द्र-राज्य वित्तीय संबन्धों पर आता हूं। इस मसले पर लगातार बहस होती रही है और इस विधेयक पर चर्चा के दौरान ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन होगा।

इस मुद्दे पर बराबर विचार करना होगा जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्यों कोकरों और शुल्कों के उनके शेयर ठीक-ठीक मिलें। वस्तुतः इस सरकार का दृष्टिकोण यह है कि केन्द्र और राज्य सरकारें देश के कल्याण के लिए मिल-जुल कर काम करें। अतः केन्द्र और राज्य सरकारों को अपने-अपने उन दायित्वों को निभाने का मौका दिया जाना चाहिए जो उन्हें संविधान के अनुसार निभाने हैं। अतः मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि राजस्व के समुचित और तर्क संगत विजान के मामलों पर सरकार बड़ी सावधानी से और प्राथमिकता के आधार पर विचार करेगी।

श्री हाल्दर ने चीनी, कपड़ा, तम्वाकू आदि जैसे चुनींदा वस्तुओं पर अतिरिक्त कर लगाने का प्रश्न उठाया है। इस विषय पर मतभेद है। कुछ लोग और अधिक वस्तुओं पर अति-

रिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की बात कहते हैं, कुछ इसका विस्तार नहीं चाहते; कुछ के विचार से वर्तमान शुल्क भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए । इस प्रश्न पर मतैक्य नहीं है । पर इस पर सभी सम्बद्ध लोगों को मिल कर विचार करना होगा । अतः इस आश्वासन के साथ कि पश्चिम बंगाल की ओर सरकार पूरा-पूरा ध्यान देगी, मैं दूसरे विषय को लेता हूं ।

मेरे माननीय मित्र श्री सतीश अग्रवाल ने एक मूल्यवान सुझाव दिया है । वे कुछ मास पूर्व इससे सम्बद्ध थे और विषयं से परिचित हैं । मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं कि कर्मचारियों की शिकायतें दूर की जानी चाहिए । मैं इससे भी सहमत हूं कि उनका वेतन इकठ्ठा किए गए राजस्व से सम्बद्ध होना चाहिए । अगर उत्पाद शुल्क कर्मचारियों के वेतन उत्पाद शुल्क के साथ सम्वद्ध किए जाएंगे तो आयकर विभाग के कर्मचारियों के वेतन भी उनके वेतनों से सम्बद्ध करने होंगे ।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : वह मेरा सुझाव नहीं था । मैंने यह कहा था कि सारे प्रशासन पर कुल राजस्व का एक विशिष्ट प्रतिशत खर्च किया जा रहा है । वहां कर्मचारियों की तरक्कियां रुकी पड़ी हैं । अतः पदोन्नति के लिए अधिक अवसर बनाए जाएँ । उदाहरण के लिए कर सहायक का पद जिसे भूतपूर्व वित्त मँत्री ने अनुमोदित किया था, उसे गृह मंत्री ने रोक दिया । आप उस पर कार्यवाही करें । आपके किए यह कठिन नहीं है । आप इस मामले को पुनः आरम्भ करें और अधिक पद बनाएं ताकि पदोन्नति-स्थिरता को दूर किया जा सके ।

श्री आर० वेंकटारमन : कुछ भी हो, जो तर्क दिया गया वह उचित नहीं है । मैं पहले ही कह चुका हैं कि कर्मचारियों की न्यायोचित शिकायतों को दूर किया जाएगा और उनकी जरूरतों पर विचार किया जाएगा । पर यह तर्क उचित नहीं है कि उन पर राजस्व का केवल एक प्रतिशत विशेष खर्च किया जाता है ।

दूसरी बात उन्होंने एक व्यापक विधेयक लाने की कही । विधेयक तैयार किया जा रहा है । मैंने हाल ही में इस मंत्रालय का कार्यभार सम्भाला है । मैं इस विधेयक के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करूँगा । इसे अगले सत्र में पेश करना सम्भव नहीं होगा । मैं बजट पेश करने के वाद इस पर विचार करूंगा ।

कर्मचारियों के लिए मकान की समस्या भी उठाई गई । मैं इससे सहमत हूं और इस पर विचार करूँगा ।

सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उत्पाद-शुल्क मदों के वर्गीकरण के बारे में उठाया गया है । मेरे प्रिय मित्र को मालूम है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है जो परिभाषिक शब्दावली का वर्गीकरण करती है और हमने भी उक्त वर्गीकरण को ही अपनाया है । उनका सुझाव एक कदम और आगे है । एक ट्राइब्यूनल होना चाहिये जो इनकी व्याख्या करेगा । इस पर कार्यवाही करने हेतु मेरा विभाग विचार करेगा ।

श्री सतीश अग्रवाल : आपने मेरी बात का गलत अर्थ लगाया है । वर्गीकरण और

अन्तराष्ट्रीय ट्राइब्यूनल सीमाशुल्क के लिए हैं। मैं वर्गीकरण में विवाद के लिए उत्तपाद-शुल्क अपीलीय ट्राइब्यूनल की बात कर रहा हूं। वह इस देश में ही है।

श्री आर० वेंकटारामन : हमने अन्तर्राष्ट्रीय परिभाषिक शब्दावली को अपनाया है। आप अन्तर्राष्ट्रीय वर्गीकरण चाहते थे और आप इसके लिए विधेयक लाए।

श्री सतीश अग्रवाल : वह सीमाशुल्क के बारे में था।

श्री आर० वेंकटारमन : यह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कानूनी तंत्र ओर सुदृढ़ बनाई जाए। हमें उच्च न्यायालयों में केस नहीं हारना चाहिए जिन मामलों में हम हार जाते हैं उसके लिए हमें धन खर्च करना पड़ता है जिसका अर्थ है सरकारी राजस्व की हानि। हम अच्छे से अच्छे आदमी चुनते हैं। श्री अग्रवाल स्वयं अपने विभाग के लिए सर्वोत्तम व्यक्तियों को चुनते रहे। एक पृथक निदेशालय के गठन के बारे में मैं इस समय वचन नहीं दे सकता। इसके लिए कई बातों की जांच करनी होगी। आशा है मेरे दोस्त इसके लिए आश्वासन का आग्रह नहीं करेंगे। सदस्यों ने आमतौर इस विधेयक को जो समर्थन किया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं और प्रस्ताव करता हूं कि विचार किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएं।

समापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय उत्पाद.शुल्क और नमक अधिनियम, 1944
और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं)
अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक
पर विचार किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम खण्डवार विचार करेंगे। खण्ड 2 से 6 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया।

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"तीसवें" के स्थान पर "इकतीसवें" प्रतिस्थापित किया जाए।

(श्री आर० वेंकटारमन)

सभापयि महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री आर० वेंकटारमन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जावे ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : दोषपूर्ण मसोदे के कारण इसे फिर अस्वीकृत किया गया ।

सभापति महोदय : आप बोलने का अवसर क्यों चूक गये ।

श्री आर० वेंकटारमन : आप इसे सभा में कह सकते थे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपको पत्र लिखूंगा । आप कृपया संशोधन करें **(व्ययधान)**··· भिन्न तरीके से ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है और विवेयक, संशोधित रूप में पास किया गया है ।

आसाम राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा के सम्बन्ध में सांविधिक संकल्प

सभापति महोदय : ज्ञानी जेलसिंह ने लिखा है कि श्री पी. वेंकट सुब्बया उनकी ओर से सांविधिक संकल्प पेश करेंगे ।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा आसाम राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 12 दिसम्बर, 1979 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है ।"

जनता सरकार द्वारा त्याग पत्र दिए जाने के पश्चात् श्री योगेन्द्रनाथ हजारिका के नेतृत्व में 9 सितम्बर, 1979 को एक नये मंत्रिमण्डल ने कार्यभार सम्भाला । आसाम में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति से कांग्रेस (यू) तथा भारतीय साम्यवादी दल द्वारा अपना समर्थन वापस लेने के फलस्वरूप इस सरकार का बहुमत समाप्त हो गया ।

राष्ट्रपति को अपने दिसांक 11 दिसम्बर, 1979 के प्रतिवेदन में, जिसकी प्रतियां 23 जनवरी, 1980 को सभा-पटल पर रखी गईं थी राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन उद्घोषणा जारी करने की सिफारिश की थी। उन्होंने यह भी सिफारिश की थी कि राज्य की विधान सभा को निलम्बित अवस्था में रखा जाये। तदनुसार 12 दिसम्बर, 1979 को इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।

इस बात की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है कि राज्य में स्थायी सरकार बने। तथापि, यह सम्भावना है कि 12 फरवरी, 1980 तक कोई सरकार बनायी जा सके और तब तक वर्तमान उद्घोषणा व्यवगत हो जायेगी जब तक कि संसद के दोनों सदन इस संकल्प का अनुमोदन न कर दें।

मेरा सभा से अनुरोध है कि वह आसाम राज्य के बारे में 12 दिसम्बर, 1979 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करे।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि जैसे ही वहां उत्तरदायी सरकार बन जायेगी इस संकल्प को रद्द किया जायेगा।

सभापति महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ।

"कि यह सभा आसाम राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 12 दिसम्बर, 1979 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

श्री समर मुकर्जी (हावड़ा) : महोदय, मैं इस उद्घोषणा का समर्थन करता हूं। परन्तु इस सन्दर्भ में मैं आपका ध्यान इस आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसके कारण केन्द्रीय सरकार के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह उन मामलों में हस्तक्षेप करके स्थिति को सामान्य बनाए जिनकी वजह से आन्दोलन हो रहे हैं और अशान्ति व्याप्त है। सरकार इन मामलों का सन्तोषजनक हल भी सुनिश्चित करे।

महोदय, मैंने प्रधान मन्त्री के समक्ष कुछ प्रस्ताव रखे थे और वह उन प्रस्तावों से सहमत हो गई हैं और इस दिशा में कुछ पहल भी की गई है पर स्थिति ऐसी और इतनी गम्भीर है कि धीमी गति से काम होने के कारण वह प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यपाल के प्रशासन से स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। समय बीतता जा रहा है। यही कारण है कि आप इस उद्घोषणा की पुष्टि चाहते हैं। परन्तु वहां की सभी स्वस्थ लोकतन्त्री शक्तियों की एकता के लिए तथा उन्हें गतिशील बनाने के लिए प्रयत्न किए जाएं ताकि वहां चल रहे विघटनकारी आन्दोलन का सामना किया जा सके। यह आन्दोलन निरन्तर बढ़ता जा रहा है तथा इसकी वजह से वहां के अल्पसंख्यक समुदायों के जीवन और सम्पत्ति को नुकसान पहुंच रहा है।

महोदय, आसाम एक सीमावर्ती राज्य है तथा इसके साथ अन्य सीमावर्ती राज्य भी जुड़े हैं। ऐसी समस्याओं से ही इस प्रकार के आन्दोलन पैदा हुए हैं जिनका फायदा अब विघटनकारी

तत्व उठा रहे हैं। बार-बार यह कहा गया है कि इनके पीछे कोई विदेशी एजेन्सियां काम कर रही हैं। आन्दोलन ने अब विकृत रूप ले लिया है और ऐसे समय में संयुक्त असम की आवाज उठाई गई है और इससे तेल शोधक कारखानों को कच्चा तेल पहुंचाने में बाधा डाली गई है परिणामस्वरूप उन क्षेत्रों में और राज्यों में जहां असम से तेल या कच्चा तेल जाता है गम्भीर कठिनाइयां उठ खड़ी हुई हैं। मामले पर यहां बहस हो चुकी है। मैं तो केवल स्थिति की गम्भीरता की ओर संकेत कर रहा हूं। अब तो नारा यह है कि 'असम स्वतन्त्र होना चाहिए।' यह निश्चित रूप से पृथकतावादी आन्दोलन है और जो इस आन्दोलन के मुखिया थे अब अपनी जिम्मेदारी से इन्कार कर सकते हैं। परन्तु यह तो अब इस बिन्दू तक पहुंच गया है कि इन पृथकतावादी शक्तियों को दबाने के लिए प्रभावी हस्तक्षेप आवश्यक है।

सभी अल्पसंख्यक लोग वहां स्वयं को असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। हजारों बेघर हो गए हैं, घरों को जला दिया गया है, लोगों को कत्ल कर दिया गया है, सम्पति को लूटा गया है और यही सब वहां चल रहा है। मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूं। यहां असंख्य उदाहरण दिए गए हैं। यह केवल असम पुलिस का प्रश्न नहीं है। यह तो सम्पूर्ण भारत का प्रश्न है। इस प्रश्न का हल सभी लोगी को दलबन्दी से ऊपर उठकर करना है। यह भारत की एकता का प्रश्न है, यह भारत के नागरिकों के अधिकारों का प्रश्न है। असमी लोगों के दिलों में यह आशंका भी घर कर रही है कि बाहर के लोगों के आने से वे अल्पसंख्या में रह जाएंगे। इस पर भी सहानुभूति से विचार किया जाना चाहिए और उचित कदम उठाये जाने चाहिए ताकि वे आशवस्त अनुभव करें कि उनके पृथक अस्तित्व पर किसी प्रकार प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेघालय की भी यही समस्या है।

निस्सन्देह, यह समस्या बड़ी जटिल है, परन्तु जिस तरह से यह आन्दोलन पृथकतावादियों के हाथों में चला गया है उस पर विचार करने के पश्चात् मैं यह स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि इस क्षेत्र में सी. आई. ए. पूर्णतया सक्रिय है यदि इसे रोका नहीं गया और यदि इसकी प्रतिक्रिया अन्य राज्यों में भी हुई तो भारत का विघटन हो जाएगा। उत्तर बंगाल में भी एक आन्दोलन आरम्भ किया गया था। लारियों को रोका गया और उन्होंने असम को भोजन ले जाने से इन्कार कर दिया। उस हालत में साधारण व्यक्ति ही सबसे अधिक प्रभावित होंगे। इसीलिए हमने वहां हस्तक्षेप किया और उन्हें विचार करने के लिए कहा ताकि ऐसा न हो, परन्तु यदि इस नारे को कि 'असम में उत्पादित तेल केवल असमियों की सम्पति है,' न दबाया गया तो बंगाल भी कहेगा कि बंगाल में निकाला गया कोयला केवल पश्चिम बंगाल की सम्पति है। यदि असम तेल नहीं देगा तो पश्चिम बंगाल कोयला नहीं देगा। अन्य राज्य भी कहेंगे कि सीमेन्ट आदि नहीं देंगे। इसका अर्थ हुआ कि हम स्वयं को भारतीय मानने से इन्कार करते हैं, हम केवल यहीं सोचते हैं कि हम असमी, बंगाली और बिहारी आदि हैं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : इसका हल साम्यवाद है।

श्री समर मुकर्जी : साम्यवाद ही प्रभावी उपाय है। इसका उपहास मत कीजिए।

अब, प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दो प्रकार की नागरिकता रखने का प्रस्ताव है। भारतीय नागरिकता और असमी नागरिकता। इस प्रकार के विघटनकारी नारे और सूत्र रखे जा रहे हैं। इसके लिए लोकतन्त्री शक्तियों को संगठित होना पड़ेगा। पर इसके तंत्र कहां हैं मेरा प्रश्न यही है। यह राज्यपाल द्वारा नहीं किया जा सकता।

यह रिपोर्ट मिली है कि सम्पूर्ण प्रशासन इस आन्दोलन का एक आवश्यक अंग है। अधिकारियों की ऐसोशिएशन ने एक संकल्प पारित किया है, जिसके अनुसार वे तब तक सरकार से सहयोग नहीं करेंगे जब तक विदेशियों को सूची से नहीं हटाया जाता है। सरकारी कर्मचारियों का एक वर्ग भी इस आन्दोलन में भाग ले रहा है। अतः उन्हें भी पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए संयुक्त प्रयास करने की आवश्यकता है। केन्द्रीय सरकार के लिए आवश्यक है कि गम्भीर रूप से प्रयास करे और स्थिति की गम्भीरता की उपेक्षा न करे।

विदेशियों की परिभाषा का जहां तक संबंध है, वह एक विवादास्पद विषय है। भारत सरकार ने कुछ नहीं बताया है कि विदेशी की परिभाषा कैसे की जानी है। अत: प्रधान मन्त्री द्वारा बुलाई गई बैठक में मैंने यह प्रस्ताव रखा था कि यह भारतीय संविधान के अनुरूप होनी चाहिए। समय का सवाल भी है। मुजीबुर्र रहमान से इस संबंध में पहले भी समझौते किए गए हैं, जिनका प्रधान मन्त्री ने भी उल्लेख किया परन्तु विदेशी की परिभाषा के संबंध में मतैक्य होना चाहिए।

यह सच है कि यदि बाहरी लोग आते रहेंगे तो इससे न केवल असम के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा अपितु त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के लिए भी खतरा हो जाएगा। अत: सीमा को बन्द करना एक महत्वपूर्ण पहलू है ताकि बंगला देश या बाहर से होने वाली घुसपैठ रोकी जा सके। परन्तु जो लोग वहां वर्षों से रह रहे हैं उनको निकाला जा रहा है। उनके गांवों को जलाया जा रहा है, उन्हें जान से मारा जा रहा है। इसी प्रकार के दंगे हमने पहले भी देखे हैं और अब भी हो रहे हैं।

जो व्यक्ति अधिकारियों, इंजीनियरों के रूप में वहाँ गए हैं तथा जो अन्य कार्य कर रहे हैं और वर्षों से वहां रह रहे हैं उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। दुलियाजान में न केवल श्री मोइत्रा तथा कुछ अन्य व्यक्तियों को मारा गया है अपितु मुझे रंजन चक्रवर्ती के मारे जाने के मामले की जानकारी मिली है वह एम० बी० बी० एस० थे और गोहाटी मेडीकल कालिज में एम० डी० कर रहे थे। बाहर के गैंग के लोग चौथी मंजिल पर उनके मकान में घुस गए और रात को उसे जान से मार दिया। वे एक योग्य युवा डाक्टर थें। उनका परिवार असहाय हो गया है। उनके पिता ने एक पत्र लिखा है, उसकी प्रति मेरे पास है, मैं इसे प्रधान मंत्री को भेजूंगा इस भयावह कत्ल के लिए किसी को नहीं पकड़ा गया।

अत: स्थिति इतनी गम्भीर है कि इस मामले में प्रभावी हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है इसके साथ-साथ विदेशी की परिभाषा करने के विषय में भी एक सूत्र तैयार किया जाए एक प्रस्ताव हाल ही में पश्चिम बंगाल के हमारे मुख्य मंत्री ने रखा है यह सुझाव उन्होंने तब दिया

जब वह प्रधान मंत्री से मिले थे। उन्होंने सुझाव दिया कि एक आयेग का गठन किया जाए जिसके गठन में सभी पक्षों से परामर्श किया जाए और जो यह निर्धारित करे कि "विदेशी" किसे माना जाए ।

इस प्रकार यह केवल मतदामा सूची को संशोधित करने का प्रश्न नहीं अपितु अल्पसंख्यकों तथा असमियों में सुरक्षा की भावना बहाल करने का प्रश्न है। वे पूर्णतया आशवस्त हों कि उनके अस्तित्व की रक्षा की जाएगी। मुख्यतया इसके पीछे अर्थिक कारण हैं और कुछ स्वार्थी तत्व तथा विघटनकारी शक्तियां भी इसके पीछे हैं। यह सीमावर्ती क्षेत्र है। जहाँ पहले भी 'आत्म निर्णय' तथा अन्य बातों के संबंध में नारे उठाए गए हैं। यह बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। अतः प्रभावी कदम उठाने के प्रश्न पर देर नहीं की जा सकती। यही कारण है कि मैं आग्रह कर रहा हूं कि यदि लोकप्रिय सरकार का गठन किया जा सकता है तो उसके लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए तथा उस सरकार को प्रथकतावादी आन्दोलन का सामना करने की जिम्मेवारी लेनी चाहिये तथा वह सरकार उन लोगों से भी निपटेगी जो इस आन्दोलन को विघटनकरारी तरीके में बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं।

उसका कार्य न केवल प्रशासन को गति प्रदान करना होगा बल्कि लोगों में जनतान्त्रिक जागरूकता और एकता की भावना लाना होगा और ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी होगी जिसमें अल्पसंख्यक स्वंय को सुरक्षित अनुभव करें । अन्यथा उन्हें अपनी जीविकोपार्जन नहीं करने दिया जाएगा, वे अपने कार्यों पर नहीं लौट सकते । सभी प्रकार के प्रमाण-पत्र स्वीकार नही किए जा रहे हैं। वहाँ अधिकांश लोग गरीब है और वे साधनविहीन हैं तथा न ही उनके पास नागरिकता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए संगठन है। इसलिए उन्हें बाहर न निकाला जाए, के नागरिकता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकते। उनका प्रश्न भी हमें याद रखना होगा क्योंकि वे जनता का सबसे अधिक गरीब वर्ग हैं। वहाँ पर ऐसे हजारों लोग हैं वे हिन्दू, मुस्लिम, बंगाली और नेपाली तथा उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हैं वे सभी स्वयँ को असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। यही कारण है यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण बन गया है। यदि सरकार इस संबंध में कार्यवाही करती है, तो हम पूरा समर्थन देंगे। परन्तु इसमें देर नहीं होनी चाहिए ।

अन्त में मैं यह कहती हूं कि सरकार सभी स्वस्थ शक्तियों से अपील करे कि ये अपने अधिकार का प्रयोग करे तथा जनता को प्रभावित करें ताकि वे इन विघटनकारी शक्तियों के बहकावे में न आएं और उनमें एकता और एकनिष्ठता की भावना पैदा हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पन्सकुरा) : सभापति महोदय, मैं भी इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं। इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प भी नहीं है। सामान्यतः हम राष्ट्रपति शासन के विरुद्ध हैं। परन्तु यहां की स्थिति अपवादपूर्ण है। मैं उन सभी बातों को नहीं दोहराऊंगी जो हमारे सम्माननीय सहयोगी श्री समर मुखर्जी ने कही हैं।

मैं इस बात की ओर भी ध्यान दिलाना चाहती हूं कि राज्यपाल के शासन के दौरान आसाम की स्थिति में कदापि सुधार नहीं हुआ है। मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि यह संकल्प संसद के सत्र की समाप्ति पर लाया गया है। मैं अपनी भावनाएं व्यक्त किये बिना नहीं रह सकती कि आसाम के संकट की गहराई को शेष देश समझ नहीं सका है और इसकी ओर उचित ध्यान नहीं दिया जा सका है। मैं आपके माध्यम से सरकार और विशेषकर प्रधान मन्त्री से अपील करती हूं कि अब संसद का अधिवेशन समाप्त हो रहा है वह इसकी ओर तेजी से ध्यान दें। यह बड़ा ही गम्भीर प्रश्न है। वरना हमारे भारत का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा।

क्या आप किसी ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकते है जिसमें लोगों पर अपने ही घर जलाने के आरोप लगाये जा रहे हों और उनके विरुद्ध मुकदमें आरम्भ किये जा रहे हों। यही बात आसाम में हो रही है। 8 हजार घर जला दिये गये हैं और ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें जिनके घर जला दिये गये हैं उन्हीं पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने स्वयं ही अपने घर जला लिये हैं। मुझे अनेक मामलों का पता है किन्तु मैं उनका यहां जिक्र नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे मालूम है उन्हें पुनः सताया जायेगा। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है। किन्तु राज्यपाल शासन जैसी सामान्य स्थिति के अन्तर्गत भी यही हो रहा है। यदि वकील लोग उनकी जमानत के लिये न्यायालय में जाते हैं तो उन्हें घेर लिया जाता है और उन्हें चोट पहुंचाने की धमकी दी जाती है। अतः जमानत पर रिहाई भी नहीं मांगी जा सकती; उन्हें प्रायः जमानत भी नहीं मिल सकती। जो व्यक्ति पंगु हैं उनपर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है ये लोग तो हत्या कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका शरीर ही उसकी अनुमति नहीं देता किन्तु उन पर हत्या के आरोप इसलिये लगाये जा रहे हैं क्योंकि वह भाषाई अल्पसंख्यक हैं। उन पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है और उनके विरुद्ध मामले चलाये जा रहे हैं। उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। मुझे यह कहने में दुःख होता है कि राज्यपाल के शासन के दौरान भी इस राज्य के अधिकांश क्षेत्र में प्रशासन बिलकुल पक्षपातपूर्ण है उन उच्च अधिकारियों का, जो न असमी हैं और न ही बंगाली अथवा जो किसी दूसरी राष्ट्रीयता अथवा स्थान के नहीं है और जिनमें अल्पसंख्यकों का विश्वास था राज्यपाल शासन के दौरान स्थानान्तरण कर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर कामरूप के श्री एस. पी. श्री वास्तव तथा डी. आई. जी श्री के. पी. एस. गिल न तो बंगाली थे और न ही असामी। इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया जा सकता था किन्तु राज्यपाल शासन के दौरान उन्हें सख्ती करने वाले अधिकारी समझा गया और आतंक पैदा करने के लिये उनका स्थानान्तरण कर दिया गया। न केवल हजारों व्यक्ति बेघर हो गये हैं—14 हजार से अधिक लोग बेघर हो गये हैं – 500 से अधिक व्यक्ति मारे गये और महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। इस प्रकार कीं घटनाएं वहां हो रही हैं, इन गम्भीर घटनाओं के बारे में पता लगाया जा सकता है, सुना जा सकता है। किन्तु आंतक के भरे वातावरण और छोटी-छोटी घटनाओं के कारण बिल्कुल असुरक्षापूर्ण स्थिति बन गई है। इसलिये मैं यह अनुभव करती हूं कि यदि आसाम की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया गया, हो सकता है ऐसा चुनावों के

कारण हुआ है। अथवा जल्दी ही संसद के सत्र होने के कारण हुआ हो। किन्तु अब संसद का सत्र भी समाप्त हो रहा है, लोगों को-अधिकारियों को-न केवल दल के नेताओं को बल्कि सरकारी नेताओं को, विशेषकर प्रधान मन्त्री को वहां शीघ्र ही जाना चाहिये।

अब मैं अपना भाषण समाप्त करने से पहले शरणार्थियों के बारे में एक दो बात और कहना चाहती हूं। शरणार्थी लोग बड़ी ही खराब स्थिति में रह रहे हैं, हजारों को शिविरों में रहने के लिये बाध्य होना पड़ा है। मेरी राय में राहत शिविर कहने मात्र को ही हैं।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उनके सिर ढकने के लिये केले के पत्तों की छतें बना दी गई हैं और उन्हें शिविर कहा जा रहा है और ऐसी व्यवस्था की तब गई है जबकि सर्दी का मौसम चल रहा है, आसाम की जलवायु के अनुसार वहां बड़ी कड़ी सर्दी पड़ती है।

ऐसे भी आरोप हैं कि जो भी नाम मात्र की राहत उन्हें दी जा रही है, वह उन तक पहुंच नहीं पा रही है। इस सम्बन्ध में प्रबन्ध की जिम्मेदारी किसकी है ? वितरण की जिम्मेदारी किसकी है ? यहाँ भी वही अधिकारी जिनमें से अधिकांश अधिकारी षणयन्त्र कर रहे हैं। महोदय, वहां सबसे पहले स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयत्न होना चाहिये और स्थिति को सामान्य बनाने के लिये सभी जानते हैं कि विदेशियों के प्रश्न को पहले सुलझाना होगा। विदेशियों के प्रश्न पर हमारे दल अर्थात् आसाम में भारतीय साम्यवादी दल ने कुछ सुझाव दिये हैं जिन्हें मैं सदन के विचारार्थ प्रस्तुत कर रही हूं :----

(1) केन्द्रीय सरकार को यथा-सम्भव कम से कम समय में संविधान के संगत उपबन्धों और नागरिकता अधिनियम के अनुसार विदेशी नागरिकों के प्रश्न का समाधान करना चाहिये ऐसा करते समय नेहरू-लियाकत समझौता 1950 तथा भारतीय-बंगलादेश समझौता, 1972 को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये।

(2) नागरिकों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार किया जाना।

(3) सभी भारतीय वयस्कों के लिये पहचान पत्र जारी करना।

(4) मतदाताओं की संशोधित सूचियां तैयार करना, जिनमें से सभी विदेशी नागरिकों का नाम काटा जाये और नागरिकता के पात्र सभी भारतीयों का नाम उनमें शामिल हो।

(5) उपरोक्त (2) (3) और (4) में वर्णित बातों का कार्यान्वियन करने के लिये ग्राम-पंचायत अथवा वार्ड-स्तर पर सार्वजनिक समितियों का गठन, जिनमें सरकारी अधिकारी तथा जनता के प्रतिनिधि हों।

उपरोक्त बातों में से सबसे अन्तिम बात बड़ी महत्वपूर्ण है। चूंकि केवल निचले स्तर पर ही जनता यह जान सकेगी कि वास्तव में विदेशी कौन है और भारतीय नागरिक कौन हैं। इन

शरणार्थी शिवरों में वास्तव में हजारों व्यक्ति ऐसे हैं जो असमी भाषा बोलते हैं। फिर भी वह इन कैंपों में हैं। स्थानीय तौर पर इनकी नागरिकता के बारे में जनता के प्रतिनिधि ही पता लगा सकते हैं। इसके इलावा उनकी नागरिकता का पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। क्योंकि इतने वर्षों के बाद भी नागरिकता सम्बन्धी प्रमाणपत्र कौन संभाल कर रखता है? सभी ऐसा नहीं करते हैं। किन्तु स्थानीय लोग जानते होंगे कि वास्तविकता क्या है। आसाम में स्थिति को सामान्य बनाने के लिये जोर शोर से अभियान आरम्भ किया जाना चाहिये। मेरा यह विचार है कि समूचे देश भर से अच्छे व्यक्तियों को आसाम भेजा जाना चाहिये। यदि महात्मा गांधी बलियाघाट जा सकते थे तथा दंगे समाप्त करवाने के लिये वहां कैंप लगा सकते थे तो आसाम में स्थिति को सही करने के लिये समूचे देश की चेतना को क्यों नहीं जगाया जा सकता? वहां उन्हें सद्भावना यात्राओं पर जाना चाहिये। मैं चाहती हूं कि ऐसा तो मेरे विचार से अब ऐसा नहीं हो रहा है।

अन्त में मैं यह कहना चाहती हूं कि असमी भाषाई लोगों का यह डर भी सही है कि किसी दिन वहां विदेशी नागरिकों की संख्या उनसे अधिक हो जायेगी। बंगाल के लोग इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं चाहते। हम यह चाहते हैं कि विदेशियों का पता लगा कर उन्हें वापस भेजा जाये। हम यह भी चाहते हैं कि जो वास्तव में विदेशी नागरिक नहीं हैं उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिये। इस समस्या का समाधान करते समय इन दोनों बातों का ध्यान रखा जाना चाहिये। इसलिये, महोदय मैं आपके माध्यम से न केवल सरकार से बल्कि समूचे सदन से पुनः अपील करती हूं कि इस मामले को शीघ्र ही सुलझाया जाये।

श्री सन्तोष मोहन देव (सिलचर): सभापति महोदय, मैं आसाम में राष्ट्रपति शासन लागू करने सम्बन्धी घोषणा का पूर्ण समर्थन करता हूं। मैं आसाम में सिलचर से चुना गया एक भाषाई अल्प-संख्यक हूं। आसाम के शेष 12 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं हो सके। असमी होने के नाते मुझे आसाम में आसामी जनता की आवाज उठानी चाहिये। वहां की वर्तमान स्थिति तथा वहां की जनता की आकांक्षाओं के बारे में विपक्षी सदस्यों ने अनेक बातों का उल्लेख किया है। उन्होंने जो भी कहा है, मैं उनसे सहमत हूं। उन्होंने समस्या को स्पष्ट किया है और समाधान भी सुझाया है। इस सम्बन्ध में कोई दो रायें नहीं हैं। इस सदन के सभी सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि केन्द्र को हस्तक्षेप करना चाहिये और समस्या का समाधान करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को आसाम जाना चाहिए। आसाम में जो पृथकतावादी आन्दोलन धीरे-धीरे सशक्त होता जा रहा है, भारत माता को बचाने के लिए उसे रोका जाना चाहिए।

किन्तु आसाम की जनता इस आन्दोलन में भाग ले रही है; यहां तक कि सरकारी कर्मचारी भी इसमें भाग ले रहे हैं। उन्होंने समितियों का गठन किया है। यहां तक कि डाक्टरों ने भी संकल्प लिया है कि जो लोग दंगों में जख्मी होते हैं वह उनका इलाज नहीं करेंगे। सरकारी अधिकारी, अर्द्ध-सरकारी अधिकारी आदि इस आन्दोलन में किस तरह से भाग ले रहे हैं, इसे देख कर भी अनुमान लगाया जा सकता है कि यह आन्दोलन कोई छोटा आन्दोलन नहीं है।

आम तौर पर आसाम की जनता भी यह महसूस करती है कि एक समय आयेगा, जब आसाम में विदेशी उनसे अधिक होंगे। केन्द्रीय सरकार के पास सुगमता से उपलब्ध आंकड़े देखने से पता चलेगा कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, भारतीय तेल निगम, रेलवे, जीवन बीमा निगम तथा बैंकों में कितने लोग लगे हैं। इसकी तुलना में उन स्थानीय लोगों की संख्या देखिये, जिनको रोजगार मिला हुआ है। आसाम में स्थानीय लोगों को रोजगार बहुत कम मिला है, मैं यह स्वीकार करता हूं कि वह अखिल भारतीय स्तर पर प्रतियोगिता में सफल नहीं हो सकते। अब समय आ गया है जबकि केन्द्रीय सरकार को समस्या का समाधान करना चाहिये। आसाम में रोजगार समस्या पर ध्यान दिया जाना चाहिये और इस सम्बन्ध में कोई ऐसा सांविधिक प्रावधान किया जाये कि आसाम में सभी संगठनों में स्थानीय जनता को रोजगार प्राप्त हो। आसाम में आर्थिक और औद्योगिक विकास की स्थिति भी बड़ी खराब है। केन्द्रीय सरकार ने चाहे वह कोई भी हो आसाम की निरन्तर उपेक्षा की है।

यदि एक परियोजना आरम्भ की जाती है तो उसे पूरा करने में बड़ा समय लगता है। उदाहरण के तौर पर पेपर मिल को ही लीजिये। इसे चार वर्ष लगे हैं। पहाड़ी क्षेत्र में हमने तिनसुखिया तक बड़ी रेलवे लाइन की मांग की थी। वर्षों से हम संसद में इसकी माँग करते आ रहे हैं, किन्तु इसके लिये आश्वासन तक भी नहीं दिया गया है। अब उसके लिये किसी राजनीतिक दल को दोष देना व्यर्थ है। हमें तो अब वर्षों से कष्ट पा रही आसामी जनता की समस्याओं पर ध्यान देना है। वहां के युवा वर्ग को 20 वर्ष पहले वाला युवा वर्ग नहीं समझा जा सकता। उन्होंने भारत का भ्रमण किया है और देखा है कि भारत के अन्य भागों में कितनी प्रगति हुई है। यदि वह भारत के अन्य भागों में हुई प्रगति की आसाम में हुई प्रगति से तुलना करते हैं तो उन्हें निराशा का अनुभव होता है।

उन्हें अपने लिये कहीं कुछ नजर नहीं आता है। मैं इस सम्मानित सदन से अनुरोध करता हूं कि चाहे आप किसी आयोग का गठन करें अथवा कोई शिष्टमण्डल भेजें, आप आसाम में रोजगार की स्थिति तथा वहां के आर्थिक और औद्योगिक विकास की ओर अवश्य ध्यान दें। कुछ विपक्षी सदस्यों ने वहां सरकार के गठन की बात कही है, वहां लोकप्रिय सरकार का गठन किया जाना चाहिये। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में बड़ी ही सतर्कता बरतें, क्योंकि राज्यपाल की रिपोर्ट को लोक सभा के माननीय सदस्यों में परिचालित किया जा चुका है। उससे हमें एक बात का पता चला है कि अतीत में राज्यपाल ने 17 विधायकों के नेता को सरकार बनाने की अनुमति दी थी। परन्तु आरम्भ में श्री हजारिका आसाम में वर्तमान आन्दोलन पर काबू पाने में विफल रहे। उन्होंने प्रेस में वक्तव्य दिया है कि आसाम में 16 लाख विदेशी हैं। उन्होंने मात्र वक्तव्य ही दिया परन्तु वह नहीं जानते थे कि इस समस्या को कैसे निपटाया जाये। परिणामस्वरूप उनके मन्त्रिमण्डल के 7 मन्त्रियों ने त्याग-पत्र दे दिया तथा राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा।

हमने देख लिया है कि उस समय कांग्रेस (अ) ने श्री हजारिका को समर्थन दिया। परन्तु

कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। हमने यह भी देखा कि क्या श्री गौलप बोरबोटा जनता और कांग्रेस (अ) के समर्थन से सरकार बना सकते हैं अथवा नहीं। यदि बना पाते हैं तो अच्छी बात है।

परन्तु सरकार को इस बात पर भी अवश्य ध्यान देना चाहिए कि क्या स्थायी सरकार बन सकती है। यदि खिचड़ी सरकार बनती है तो यह लोगों के लिए कष्टदायक होगी।

जैसाकि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि इस आन्दोलन में लगभग सभी सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया है। जब वे इस आन्दोलन को समर्थन देते हैं तो इसका कारण यह है कि वे उसके सामान्य उद्देश्य का समर्थन करते हैं। इस पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए। आसाम के लोगों के मनोभावों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यद्यपि मैं आसाम के भाषाई अल्पमत ग्रुप से हूं तथापि हम ही अधिक शिकार बने हैं। वहां के लोगों को अपने आवास, अपनी भूमि तथा अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। पिछले दो दशकों से आसाम में भाषाई दंगे आम बात हो गई है। मैं मन्त्री महोदय से अपील करता हूं कि इसे रोका जाये। अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि केन्द्र इस समस्या के समाधान के लिए हस्तक्षेप करे ताकि वहां पर स्थायी रूप से शान्ति कायम हो सके।

धन्यवाद :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, आज जब यह सदन असम की विषम परिथिति के बारे में चर्चा कर रहा है, तब कछार को छोड़कर शेष असम के निर्वाचित प्रतिनिधि इस सदन में नहीं है। 12 सीटें खाली पड़ी हैं, देश का एक महत्वपूर्ण भाग, जो सीमा पर अनस्थित है, सामरिक दृष्टि से हमारे लिये बड़े महत्व का है, उसका इस सदन में प्रतिनिधित्व नहीं है।

अभी हमारे मित्र ने कहा कि असम की जनता के मन में यह भावना घर कर गई है कि नई दिल्ली में उसकी उपेक्षा होती है। जितना महत्तपूर्ण क्षेत्र है, उतनी तेजी से कदम उस क्षेत्र के आर्थिक विकाश के लिए नहीं उठाये गये। परिणाम यह है कि असम के लोग अपने को उपेक्षित, अनेरक्षित, शोषित और शापित समझते हैं।

इस आथिक संकट के साथ एक नया संकट असम में खड़ा हो गया है, उसे आप संख्यासुर कह सकते हैं, संख्या का असुर। सारे देश में आवादी बढ़ती है 24 फीसदी की रफतार से, मगर असम में आवादी बढ़ती है, 34 फीसदी की रफतार से। 1971 में ही असम की जनसंख्या में 26 लाख की वृद्धि हुई, जिस वृद्धि को प्राकृतिक या स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता।

समस्या की गंभीरता को चीफ इलैक्शन कमिशनर श्री शकधर ने भी स्वीकार किया था। ऊटकमंड में इलैक्टोरल अफिसर्स का जो 1978 में सम्मेलन हुआ था, उसमें श्री शकधर ने जो कुछ कहा था उसे मैं उद्धरण देता हूं

"इन लोगों का उस क्षेत्र में प्रवेश करना एक आम बात हो गयी है। मैं समझता

हूं कि यह अनुमान गलत नहीं है कि दो जनगणनाओं के बीच वृद्धि 34·95 प्रतिशत हुई है और 1991 में होने वाली जनगणना में 1961 की तुलना में 100 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हो जायेगी। दूसरे शब्दो में ऐसी स्थिति आ सकती है जब कि किसी राज्य में विदेशी राष्ट्रिकों की प्रतिशतता काफी हो जायेगी। यह हो सकता है कि वे राज्य की कुछ जन संख्या की तुलना में बहुमत में न हो।"

असम का संकट उसके व्यक्तित्व को वचाने का संकट है। असम की भाषा है, प्रकृति उदार है, असम संस्कृति-सम्पन्न है, प्राकृतिक साधनों से भरपूर है, मगर असमवासियों को यह डर है कि वह अपने ही घर में अल्पसंख्या में रह जायेंगे। इस भय को निकालना बहुत जरूरी है। पछले 4,5 महीने से असम में जो आन्दोलन चल रहा है, वह किसी राजनीतिक दल द्वरा संचालित नहीं है, वह जनता का आन्दोलन है। वह किसी भाषा-भाषी वर्ग के खिलाफ भी नहीं है किसी विशेष धर्म या मजहब को मानने वालों के विरुद्ध भी नहीं है। उसके मूल में एक ही प्रेरणा है कि असम असमिया भाषा बोलने वालों का प्रदेश किस प्रकार रहेगा?

इस आन्दोलन के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिन पर केन्द्रीय सरकार को ध्यान देना चहिये। असम में राष्ट्रपति राज्य है, विधान-सभा मूर्छित अवस्था में है, केन्द्र की देखरेख में शासन चल रहा है। अभी दुलियाजान में जो गोली-कांड हुआ है, उसकी आन्तरिक जांच जरूरी है। सरकारी सूत्रों के अनुसार 5 व्यक्ति मरे, लेकिन असम में अफवाहें उड़ रही हैं, मुझे भी असम में जाने का मौका मिला था, और उन अफवाहों से लोग भ्रमित हो रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं। कितने लोग मरे हैं, यह निश्चित करना असम्भव नहीं होना चाहिये। क्या गोली चलाना आवश्यक था, जितने वल का प्रयोग किया गया, क्या उतना बल काम में लाये बिना भी परिस्थिति पर काबू नहीं पाया जा सकता था? इन प्रश्नों का उत्तर जरूरी है।

सरकार का कहना है कि पांच लोग मरे हैं। मगर वहां के लोगों का कहना है कि संख्या बहुत ज्यादा है, 71 लोग लापता हैं। अगर आप असम के समाचारपत्रों को देखें, तो उनसे तो बड़ी भयावह तस्वीर हमारे सामने आती है। मेरी मांग है कि दुलियाजान के गोलीकांड की अदालती जांच होनी चाहिए। केन्द्र सरकार को इस सम्बन्ध में शीघ्र कदम उठाना चाहिए।

उत्तर कामरूप में व्यापक पैमाने पर हिंसात्मक घटनायें हुई हैं, लोग मरे हैं और हजारों लोग शिविरों में पड़े हैं वहां स्थिति पर काबू पाने के लिए फौज को बुलाया गया था। अच्छा होता, अगर हम सेना को वहां न लाते। सैंट्रल रिजर्व पुलिम या बार्डर सिक्युरिटी फोर्स की सहायता से वहां परिस्थिति पर काबू पा लिया जाना चाहिए था। मुझे उस इलाके में जाने का मौका मिला था। सेना के जवानों के विरुद्ध ज्यादतियों की शिनायतें हैं और शिकायतें करने बालों में हमारी बहनें शामिल हों, यह बड़ी दुखदायी स्थिति है। इस स्थिति को टाला जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में भी जन-मानस में जो उद्वेलन हैं, उसको शान्त करने के लिए कुछ कदम जरूरी हैं।

प्रधान मंत्री के निमंत्रण पर असम के छात्र संगठनों के प्रतिनिधि यहां आये है। हम

उम्मीद करते है कि बातचीत के द्वारा कोई ऐसा रास्ता निकलेगा, जिससे असम के जन-मानस को शान्त किया जा सकेगा। दो तीन कदम आवश्यक हैं।

असम में विदेशी नागरिकों का आना रुकना चाहिए। बंगला देश के साथ लगी हुई सीमा को कड़े प्रबन्ध में देना चाहिए। मैं जानता हूं कि इसमें व्यावहारिक कठिनाइयां हैं। पिछले तीस सालों में हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अमल नहीं कर पा रहे हैं। असम के लोगों का धैर्य टूट रहा है, नौजवान बिगड़ रहे है। अगर समय रहते कदम न उठाया गया, तो नौजवानों का एक वर्ग ऐसे तत्वों के हाथ में जा सकता है, जो सारे भारत का भला नहीं चाहते है। मैं अपने मित्र, श्री मुकर्जी, से सहमत नहीं हूं कि यह आन्दोलन सिसेशनिस्ट है। आन्दोलन में भाग लेने वाले भारतीय हैं, देशभक्त हैं, असम को भारत के अभिन्न अंग के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन नौजवानों का एक ऐसा वर्ग हो सकता है, जो कहे कि जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो सकती है, तो हम ऐसा रास्ता अपनायें, जो अहिंसा का रास्ता न हो।

विदेशी नागरिक कौन हैं, यह तय होना चाहिए। मतदाता सूचियों में उन्हें स्थान नहीं मिलना चाहिए था। अगर उन्हें स्थान मिल गया, तो उन्हें पहचान कर मतदाता-सूचियों से निकाला जाना चाहिये। असम के लोगों का कहना है कि लाखों लोग मतदाता-सूचियों में शामिल कर लिये गये हैं। पहली बार यह परिस्थिति तब सामने आई, जब श्रीं हीरालाल पटवारी के निधन पर उपचुनाव का प्रश्न उठा। मतदाता सूची देखी गई, तो पता लगा कि एक चुनाव-क्षेत्र में 70,000 विदेशी नागरिक हैं। जब उनमें से 26 हजार के नाम छांट लिये गये, तो एक आदोलन हो गया। कोई भारत के नागरिकों को वहां से निकालना नहीं चाहते हैं, और न निकालना चाहिए। जो असम में रहते है, वे किसी भी भाषा के बोलने वाले हों, किसी भी मजहब के मानने वाले हों, वे असम के नागारिक और निवासी हैं। उनके अधिकार, जीवन और सम्मान की रक्षा होनी चाहिए।

मगर जो विदेशी नागरिक हैं, वे कैसे असम में रह सकते है ? वे मतदान में भाग कैसे ले सकते हैं ? सरकार बनाने में अपने मताधिकार का उपयोग कैसे कर सकते हैं ? उनको पहचानना और निकालना जरूरी है।

असम की आर्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिए शीघ्र कदम उठाने चाहिए। मैं स्वीकार करता हूं कि अभी तक हम वहां ब्राडगेज लाइन नहीं ले जा सके है। एक छोटी सी पट्टी असम को जोड़ती है। बंगलादेश का दबाव है, उधर चीन है और इसलिए इस सम्बन्ध में कदम उठाना जरूरी है।

एक बात मैं नई सरकार के गठन के बारे में कह दूं। अगर सचमुच में असम की समस्या को हल करना है तो वहां सर्वदलीय सरकार का गठन अगर यह संभव है तो होना चाहिए। मैं जानता हूं कि सर्वदलीय सरकार बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन असम की परिस्थिति अगर हम विस्फोटक समझते हैं और समझते हैं कि असम के कारण देश की अखंडता और सुरक्षा को भी

आंच आ सकती है तो सारे राजनैतिक दल आपस के विवाद से ऊपर उठ कर असम के प्रश्न को एक राष्ट्रीय प्रश्न के रूप में ले सकते हैं और उस के समाधान के लिए अगर सरकार गठन करना संभव हो तो सर्वदलीय सरकार गठन कर सकते हैं।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसन सोल) : कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जायेगा

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं उन सदस्यों की इन भावनाओं में उनके साथ हूं कि सरकार को देश के इस भाग में हालत सुधारने के लिए कारगर कदम उठाने चाहिए ताकि वहां के लोग शान्ति और सद्भाव तथा आपसी विश्वास के साथ रह सकें। यह बड़ी ही चिन्ता की बात है कि न केवल आसाम के लोगों में अपितु देश के समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी लोगों में असंतोष व्याप्त है। वहां आपस में सद्भाव नहीं हैं, एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। कुछ मामलों में आशंकाएं व्यक्त की जा रहीं हैं जिनसे संस्कृति, भाषा और जीवनयापन के तरीकों पर प्रभाव पड़ रहा है। अतः वहां के लोगों की आशंकाओं, भय को दूर करने के लिए कुछ प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। उनके दिमाग से भ्रम दूर किया जाना चाहिए ताकि वे लोग आपसी सदभाव से रह सकें। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि मतदाता सूची बनाने में कुछ गम्भीर त्रुटियां रह गई हैं। अब इन त्रुटियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। यह सत्य है कि वहाँ बड़ी संख्या में विदेशी आकर बस गए हैं और उस समय इसे रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए हैं। बताया गया है कि एक उपचुनाव के समय मतदाता सूची से लगभग 50, 000 नाम यह कहकर काट दिए गए कि वे विदेशी हैं। इसको लेकर आग भड़क उठी और लोग समझने लगे कि अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी लाखों ऐसे अनाधिकृत मतदाता होंगे। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इस बात की सावधानी बरते कि भविष्य में हमारे देश में अप्राधिकृत विदेशियों को घुसपैट करने का मौका न दिया जाए क्योंकि इससे एक गंभीर समस्या पैदा हो जाती है।

एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाना चाहिए कि कोई भी भारतीय नागरिक देश के किसी भी भाग में साथी नागरिक, भाई और बहिन की तरह रह सके। चाहे कश्मीर हो या केरल या देश का कोई अन्य भाग, वह विश्वास के साथ वहां रह सके। परसों ही आसाम से छात्रों का एक शिष्टमण्डल मुझसे मिला था। जब मैंने उनकी मूल आशंका के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि देश के इस भाग में कई अप्राधिकृत बिदेशी बस गए हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें यह डर है कि देश के अन्य भागों से लोग आकर यहां बस जाएंगे और विभिन्न क्षेत्रों में हमारे अवसर छीन लेंगे। वे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। उन्हें डर है कि उन्हें नौकरियां नहीं मिल पाएंगी। वे व्यापार और बिजनेस में अपना समुचित हिस्सा नहीं पा सकेंगे। आसाम की इस आर्थिक-सामाजिक समस्या से सभी अवगत हैं। वहां जो थोड़े-बहुत मौके हैं उनका लाभ देश के अन्य राज्यों के लोग उठा लेंगे। मेरे विचार से सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिएं ताकि

वहां का पिछड़ापन दूर हो सके और वहां के लोग अपने को सुरक्षित समझ सकें तथा उन्हें उनका न्यायोचित हिस्सा मिल सके ।

गृह मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बया) : अध्यक्ष महोदय, जिन सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है उन सभी ने मूल्यवान सुझाव दिए हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा को बताना चाहता हूं कि जिस दिन से नई लोक सभा ने कार्य करना आरम्भ किया उसी दिन से हम इस समस्या पर विचार कर रहे हैं। इस विषय पर इस सभा तथा राज्य सभा दोनों में ध्यान-आकर्ष प्रस्तावों, प्रश्नोंत्तरों आदि के माध्यम से व्यापक चर्चा हो चुकी है और सरकार भी इस पर गम्भीरता से विचार कर रही है ।

इस कठिन और विकट समस्या का हल ढूंढने के लिए प्रधान मन्त्री जी ने विरोधी पक्ष के सभी नेताओं का सहयोग मांगा है। मैं सदस्यों की इस राय से सहमत हूं कि आसाम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में हालत बहुत गम्भीर है। स्थिति विशेषकर आसाम में खराब है जहां भारी संख्या में लोग आन्दोलन कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप तेल कारखानों में काम रुक गया है तथा वहां से कच्चे तेल और अन्य पेट्रोलियम पदार्थों को बाहर ले जाना कठिन हो रहा है। अल्पसंख्यक असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हैं और आसाम के लोगों के दिमागों में भय और आशंकाएं हैं कि वहां उनसे भी अधिक संख्या में बाहर से लोग आकर बस रहे हैं और वे अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। इस समय आसाम राज्य को इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ।

इस स्थिति पर काबू पाने के लिए प्रधान मन्त्री ने पहल की है। आमाम छात्र यूनियन का एक शिष्टमण्डल दिल्ली में है और वह आसाम की समस्याओं के बारे में प्रधान मन्त्री से विचार-विमर्श कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि प्रधान मन्त्री एक ऐसा समाधान ढूंढ निकालने में सफल होंगी जो सभी को मान्य होगा और आसाम में यथाशीघ्र आम हालत बहाल हो जाएगी ।

कुछ माननीय सदस्यों ने अल्पसंख्यकों को जो अत्यधिक भयभीत हैं सुरक्षा प्रदान करने के लिऐ सुझाव दिया है। जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि सीमावर्ती चौकियों पर अधिक आदमी तैनात किये गये हैं और विदेशियों के बड़ी संख्या में प्रवेश को रोकने के लिए तेज कदम उठाये जा रहे हैं। पिछले दिन प्रधान मन्त्री ने इस सभा में बोलते हुए कहा कि "विदेशी" शब्द को परिभाषित करना बहुत कठिन है। इस शब्द के कई अर्थ दिये जा रहे है। इस विषय में कुछ स्पष्ट विचार बनाया जाना चाहिए जिससे बाहर से विदेशियों के भारी संख्या में प्रवेश को रोका जा सके। दूसरी बात यह है कि उन सभी लोगों को जिनकी इस प्रकार के आन्दोलनों से हानि हुई है, उनके पुनर्वास और राहत के लिए उपाय किये जाने चाहिए। मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत सरकार इस स्थिति के बारे में पूरी तरह से अवगत है और इस सम्बन्ध में सभी उपाय किये जायेंगे ।

साथ ही श्री वाजपेयी और अन्य माननीय सदस्यों ने आर्थिक पिछड़ेपन और क्षेत्रीय असंतुलन का भी उल्लेख किया है। आसाम एक ऐसा राज्य है जहां देश के कतिपय अन्य भागों

की तरह से क्षेत्रीय असंतुलन है। सरकार का यह प्रयत्न होगा कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि ये क्षेत्रीय असंतुलन ठीक किये जायें।

आसाम में सरकार बनाने के बारे में राज्यपाल द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं कि वहां एक स्थायी सरकार बने और जब राज्य में एक उत्तरदायी सरकार बन जायेगी तो वह विभिन्न समस्याओं का समाधान भी करेगी। वास्तव में सभी राज-नीतिक दल एक परिवर्तन की स्थिति में हैं और आसाम में जो नई घटना हुई है उससे क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति हुई है। अब तक आसाम में क्षेत्रीय दलों की कोई समस्या नहीं थी। आसाम में सभी राष्ट्रीय दल काम कर रहे थे। किन्तु इस आन्दोलन में कतिपय क्षेत्रीय दल उभरे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयत्न किये जाने हैं कि इस समस्या के समाधान के लिए एक स्थायी और सशक्त सरकार बने।

जहां तक पृथकतावादी आन्दोलन का सम्बन्ध है, जिसका श्री समर मुखर्जी ने उल्लेख किया है मैं तो स्पष्ट रूप से यह कहने के लिए तैयार नहीं हूं······

अध्यक्ष महोदय : सभा चाहे तो हम और 15 मिनट बैठ सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : हां।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : मैं तो यह स्पष्ट रूप से कहने के लिए तैयार नहीं हूं कि इस समस्त आन्दोलन के पीछे कोई बुरा अथवा पृथकतावादी उद्देश्य है। किन्तु कुछ इश्तहार लगे हैं जिनसे यह मालूम होता है कि पृथकतावादी आन्दोलन हो सकता है। सरकार इस स्थिति से अवगत है और हम उचित जांच कर रहे हैं। यदि कोई बात होती है तो हम यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठायेंगे कि भारत की एकता बनी रहे। इस प्रकार के आन्दोलनों को रोकने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न किये जायेंगे।

इस समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री को लिखे गये अपने पत्र में पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने कतिपय सुझाव दिये हैं। उस पत्र पर प्रधान मन्त्री सक्रिय रूप से विचार कर रही हैं। श्री समर मुखर्जी यह कहते आ रहे हैं कि वह प्रधान मन्त्री से हाल ही में मिले हैं और उन्होंने "विदेशो" शब्द की परिभाषा के सम्बन्ध में कुछ सूत्र सुझाया है। इन सभी बातों पर विचार किया जायेगा। प्रधान मन्त्री इन सब बातों पर कार्यवाही कर रहे हैं और वह आसाम के लोगों में विश्वास पैदा करेंगे। मुझे इसमें कोई संशय नहीं है कि बहुत शीघ्र ही आसाम में शान्ति स्थापित हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा आसाम राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 12 दिसम्बर, 1979 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन पर विचार करने का प्रस्ताव

ग्रध्यक्ष महोदय : अब हम राज्य सभा द्वारा बोनस संदाय (अधिनियम) विधेयक में किए गए संशोधन पर विचार करेंगे।

पर्यटन ग्रौर नगर विमानन तथा श्रम मंत्री। (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 1977 में राज्य सभा द्वारा और संशोधन करने के लिए किए गए निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाए।

ग्रधिनियमन सूत्र

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में "तीसवें" **के स्थान पर** "इकतीसवें" **प्रतिस्थापित किया जाए।**"

श्री जी० एम० बनात वाला (पोन्नानी) : क्या यह कार्यसूची में शामिल है ?

ग्रध्यक्ष महोदय : इसे परिचालित किया गया था। प्रश्न यह है :

"बोनस (संदाय) (संशोधन) अधिनियम, 1977 में राज्य सभा द्वारा और संशोधन करने के लिए किए गए निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाए"

ग्रधिनियमन सूत्र

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में "तीसवें" **के स्थान पर** "इकतीसवें" **प्रतिस्थापित किया जाए।**"

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा।

ग्रध्यक्ष महोदय : अब हम राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए संशोधन पर विचार करेंगे। प्रश्न यह है :—

'ग्रधिनियमन सूत्र'

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में "तीसवें" **के स्थान पर** "इकतीसवें" **प्रतिस्थापित किया जाए।**"

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा।

श्री जे० बी० पटनायक : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधन को स्वीकार किया जाए।"

ग्रध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधन को स्वीकार किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा।

राज्यसभा से सन्देश

सचिव : महोदय, मुझे राज्यसभा के महा सचिव से प्राप्त निम्नसंदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(i) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 2 फरवरी, 1980 को हुई अपनी बैठक में लोकसभा द्वारा 30 जनवरी, 1980 को पास किए गए संघ राज्य शासन (संशोधन) विधेयक, 1980 में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

(ii) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1980 को जिसे लोक सभा ने 30 जनवरी, 1980 की अपनी बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था को वापस लौटाने का निदेश हुआ है और यह बताना है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

अध्यक्ष महोदय : सभा अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

मध्याह्न पश्चात् 6·05 तत्पश्चात लोक सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।